एफ. एस. एन. एल.

"व्यर्थ से अर्थ" "Wealth From Waste"

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2018-19

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
40 वां वार्षिक प्रतिवेदन

Ferro Scrap Nigam Limited
(A Government of India Undertaking)
40 th Annual Report

श्री बी.बी.सिंह - अध्यक्ष
(24.01.2017 से)

Shri B.B. Singh - Chairman
(w.e.f. 24.01.2017)

श्री राजीब भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

Shri Rajib Bhattacharya
Managing Director

श्री असीम कुमार बासु
(17.10.2015 से 30.11.2018 तक)

Shri Asim Kumar Basu
(w.e.f. 17.10.2015 to 30.11.2018)

श्री अरुण कुमार कैलू
(18.05.2015 से 05.02.2019 तक)

Shri Arun Kumar Kailoo
(from 18.05.2015 to 05.02.2019)

श्री औरोबिन्दो बेहेरा
(27.11.2015 से)

Shri Aurobindo Behera
(w.e.f. 27.11.2015)

श्रीमती भानु कुमार
(01.12.2018 से)

Smt. Bhanu Kumar
(w.e.f. 01.12.2018)

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा
(14.12.2018 से)

Smt. Laxmi Verma
(w.e.f. 14.12.2018)

श्री आशीष शर्मा
(05.02.2019 से)

Shri Ashish sharma
(w.e.f. 05.02.2019)

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी
(11.03.2019 से)

Smt. aparna Chaturvedi
(w.e.f. 11.03.2019)

पंजीकृत कार्यालय : एफ.एस.एन.एल भवन, इक्विपमेन्ट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37, भिलाई (छ.ग.)
फोनः (0788) 222-2474/2475, फैक्सः (0788) 222-0423/3884

Registered Office : F.S.N.L. Bhawan, Equipment Chowk, Central Avenue, Post Box No. 37, Bhilai (C.G.)
Phone : (0788) 222-2474/2475, Fax : (0788) 222-0423/3884

E-mail : fsnl.co@gov.in Visit us at ://www.fsnl.nic.in

एफ. एस. एन. एल.

"व्यर्थ से अर्थ" "Wealth From Waste"

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

FERRO SCRAP NIGAM LIMITED
(A Government of India Undertaking)

40 वां वार्षिक प्रतिवेदन
40th Annual Report
2018-2019

विषयसूची

• निदेशक मण्डल	02
• अध्यक्ष का बयान	04
• निदेशक का प्रतिवेदन	07
• लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	22
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	35
• सचिवीय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र क्रमांक–एम–आर–3	36
• वार्षिक प्रतिवेदन के उद्धरण प्रारुप क्रमांक एमजीटी–9	41
• कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन	52
• सचिवीय लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	66
• तुलन पत्र	67
• लाभ व हानि विवरण	68
• नगद प्रवाह विवरणी	69
• वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ	71-106

विगत -5 वर्षों का वित्तीय सूचक

Financial Indicators - last 5 years

सकल टर्न ओवर (रू . करोड़ में)
Gross Turnover (Rs. in Cr)

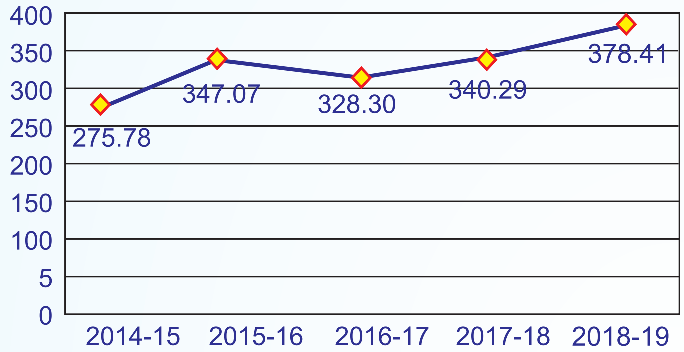

सकल लाभ (रू . करोड़ में)
Gross Margin (Rs. in Cr)

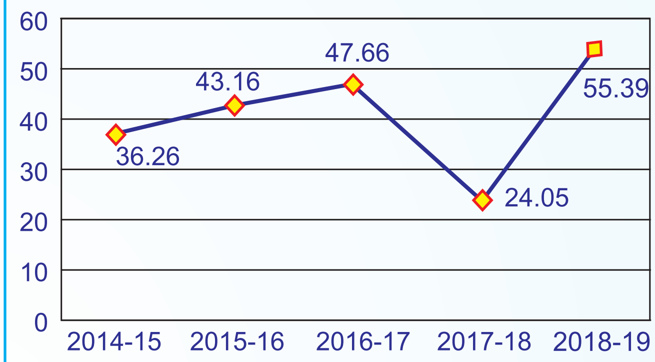

कर पूर्व लाभ (रू . करोड़ में)
Profit Before Tax (Rs.in Cr)

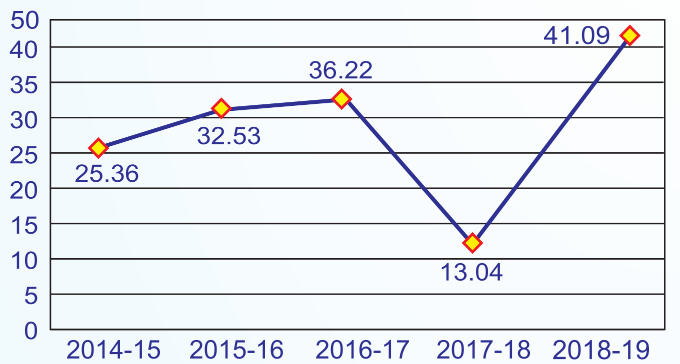

कर के बाद लाभ (रू . करोड़ में)
Profit After Tax (Rs.in Cr)

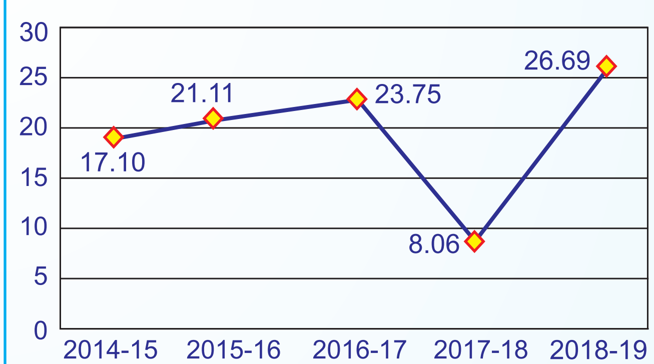

उत्पादन की राशि रु. 10.00 लाख से बढ़कर रु 20.00 लाख किए जाने के संबंध में भारत सरकार व्दारा जारी अधिसूचना दिनांक 29-03-2019 को मद्देनजर रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बही खातों में रु. 19.00 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

Considering Gazette Notification issued by Govt. of India on 29.03.18 for Enhancement of Gratuity amount from Rs. 10.00 lakhs to Rs. 20.00 lakhs, additional provision or Rs. 19.00 Cr has been recognised for F.Y 2017-18 in the Books of Accounts.

निदेशक मण्डल	BOARD OF DIRECTORS
श्री बी.बी. सिंह – अध्यक्ष	Shri B.B. Singh - Chairman
श्री राजीब भट्टाचार्य – प्रबंध निदेशक	Shri Rajib Bhattacharya - Managing Director
श्री असीम कुमार बासु (30.11.2018 तक)	Shri Asim Kumar Basu (Upto 30.11.2018)
श्री औरोबिन्दो बेहेरा	Shri Aurobindo Behera
श्री अरुण कुमार कैलू (05.02.2019 तक)	Shri Arun Kumar Kailoo (Upto. 05.02.2019)
श्रीमती भानु कुमार (01.12.2018 से)	Smt. Bhanu Kumar (w.e.f. 01.12.2018)
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (14.12.2018 से)	Smt. Laxmi Verma (w.e.f. 14.12.2018)
श्री आशीष शर्मा (05.01.2019 से)	Shri Ashish Sharma (w.e.f. 05.02.2019)
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (11.03.2019 से)	Smt. Aparna Chaturvedi (w.e.f. 11.03.2019)

कंपनी सचिव / Company Secretary

श्री अशोक मिश्रा

Shri Ashok Mishra

लेखा परीक्षक / Auditors

मेसर्स लक्ष्मी तृप्ति एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

M/s. Laxmi Tripti & Associates
Chartered Accountants

आंतरिक लेखा परीक्षक / Internal Auditors

मेसर्स एस ए बी डी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल

M/s. SABD and Associates
Chartered Accountants

सचिवीय लेखा परीक्षक / Secretarial Auditor

मेसर्स प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स

M/s. Pratibha Khandelwal and Associates

बैंकर्स	Bankers
भारतीय स्टेट बैंक	State Bank of India
बैंक ऑफ इंडिया	Bank of India
इंडियन बैंक	Indian Bank
आंध्रा बैंक	Andhra Bank
बैंक ऑफ बड़ौदा	Bank of Baroda
आई डी बी आई बैंक	IDBI Bank

पंजीकृत कार्यालय

एफ.एस.एन.एल. भवन,
इक्विपमेन्ट चौक,
सेन्ट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स नं. 37
भिलाई (छ.ग.)
फोन: (0788) 2222474/475
फैक्स: (0788) 2220423/2223884

Registered Office :

F.S.N.L. Bhawan,
Equipment Chowk, Central Avenue,
Post Box No. 37,
Bhilai (C.G.)
Phone : (0788) 2222474/475
Fax : (0788) 222-0423/2223884

E-mail : fsnl.co@gov.in
Visit us at : //www.fsnl.nic.in

CIN:U27102CT1989GOI005468

लक्ष्य

कम्पनी की संकल्पना है
कि अपने ग्राहकों को बेहतर
सेवायें प्रदान करने हेतु अपने वर्तमान
क्रियाकलापों का विस्तार करते हुए अपने
संचालनीय क्षितिज को बढ़ाए तथा कंपनी को
प्रतिस्पर्धात्मक बनाए ।

Vision

The Company has a Vision to increase its operational horizon by expanding the exisitng business to provide better service to its customer and to make the company competitive.

ध्येय

कम्पनी का ध्येय ''व्यर्थ से अर्थ'' उपार्जित करना है ।

Mission

The Mission of the Company is to generate "Wealth from Waste"

उद्देश्य

कम्पनी का उद्देश्य इस्पात उद्योग में
व्यर्थ पुर्नश्चक्रण प्रबंधन क्षेत्र में बाजार में
अग्रणी बने रहना है ।

Objectives

The Company's objective is to remain a market leader in the field of waste recycle management in the steel industry.

v/;{kh; Hkk"k.k

सज्जनों,

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आपके साथ इस बात को साझा करते हुए प्रसन्नता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में एक बार पुनः एफ.एस.एन.एल. ने उत्कृष्ट भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के साथ उल्लेखनीय रूप से उत्तम कार्य किया है।

Hkkfrd fu"iknu d: egRoi.k fcn

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कम्पनी ने पुनश्च अत्यधिक उत्तम कोटि का निष्पादन करते हुए धातु अवशेष (स्क्रैप) के संकलन, प्रसंस्करण तथा निक्षेप में 35.66 लाख टन तथा धातु मल (स्लैग) के संकलन, प्रसंस्करण तथा निक्षेप में 95.76 लाख टन (कुल 131.42 लाख टन का पुनश्चर्क्रण/संचलन) का लक्ष्य हासिल किया है जो कि एफ.एस.एन.एल. के लिए अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है तथा पिछले वर्ष की तुलना में 18.51% अधिक है।

foÙkh; fu"iknu d: egRoi.k fcn

कुल रु. 378.41 करोड़ के उपार्जन के साथ एफ.एस.एन.एल. द्वारा प्रभावकारी वित्तीय निष्पादन दर्ज किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के रु. 340.29 करोड़ के आंकड़े की तुलना में पुनश्च अबतक का एक सर्वोच्च रिकार्ड है। कम्पनी का सकल उपांत (मार्जिन) तथा कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के इन्हीं आंकड़ों (रु. 24.05 करोड़ तथा रु. 13.03 करोड़) की तुलना में क्रमशः रु. 55.39 करोड़ तथा रु. 41.08 करोड़ रहा। वर्ष 2018–19 हेतु घोषित लाभांश रु. 9.27 करोड़ है, जो कि प्रदत्त पूंजी का 28.97 है।

Hkkoh ;kstuk,a

एफ.एस.एन.एल. नई सम्भावनाओं के अन्वेषण में सतत प्रयासरत है जो उसके हितग्राहियों की मूल्याभिवृद्धि तथा व्यावसाय के प्रसार में योगदान कर सकें।

कम्पनी द्वारा एस.एम.एस. (इस्पात) धातु मल के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, रायपुर (एन.आई.टी., रायपुर) को नियुक्त किया गया था ताकि ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले नैसर्गिक भरणों हेतु आवश्यक विभिन्न मापदंडों को स्थापित किया जा सके। एन.आई.टी., रायपुर ने इंडियन रोड्स कांग्रेस, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारतीय मानक संस्थान द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु जारी विभिन्न संहिताओं/नियमावलियों तथा विनिर्देशों के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में उप–आधार, आधार तथा बिट्यूमेन (एस्फाल्ट/डामर) की परतों हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले नैसर्गिक भरण पदार्थों के स्थान पर इस्पात के धातुमल के इस्तेमाल की उपयुक्तता की पुष्टि की है। इस विषय को हमारी सभी सहयोगी इस्पात संयंत्रों के साथ उठाया गया है ताकि वे धातु मल उत्पाद का, भरण पदार्थों के रूप में इस्तेमाल हेतु विपणन, विभिन्न सड़क निर्माण अभिकरणों के बीच करें ? एफ.एस.एन.एल. भरण सामग्रियों का आवश्यक आकार में प्रसंस्करण तथा लदान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इस्पात संयंत्रों द्वारा इस विषय में पुष्टीकरण के एक वर्ष के भीतर एफ.एस.एन.एल. धातुमल की, भरण सामग्री के रूप में छंटाई तथा विचूर्णन की सुविधाओं की स्थापना आवश्यकतानुसार कर देगा। इससे इस्पात संयंत्रों को अपने अनुपयुक्त धातुमल की निकासी में, बहुमूल्य रिक्त स्थान की प्राप्ति में तथा नैसर्गिक भरण पदार्थों की प्राप्ति के लिए पहाड़ों के विस्फोटन व खदानों के उत्खनन जैसे क्रियाकलापों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी।

मूल ऑक्सीजन भट्टी (बी.ओ.एफ.) के तलछट तथा अन्य लौह युक्त अवशेषों से प्रयोगशाला स्तर पर ईंटे बनाने की प्रक्रिया तकनीक के विकास हेतु एफ.एस.एन.एल. तथा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ('सी.एस.आई.आर.')– राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर ('एन.एम.एल.') द्वारा एक अनुबंध किया गया है। एफ.ओ.बी. तलछट (60% से अधिक लौह युक्त) तथा अन्य लौह युक्त अवशेष इस्पात संयंत्रों के भीतर बिना इस्तेमाल के पड़े हुए हैं जिनसे पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ जनित होती हैं साथ ही बहुमूल्य जगह भी अनावश्यक रूप से इन अवशेषों से घिरा पड़ा रहता है। चूंकि एल.डी. कन्वर्टर में लौह अवशेष (स्क्रैप) (एल.डी.कन्वर्टर में लगभग 14 % लौह अवशेष का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है) के स्थान पर बी.ओ.एफ. के तलछट से बने ईंटों का उपयोग किया जावेगा, यह उपाय इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप की न्यूनता को कम करने एवं

साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन में भी मदद करेगा।
सी.एस.आई.आर.–एन.एम.एल. द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा प्रतिपादित किया है कि यह पदार्थ अन्य योगजों के संयोजन के अंतर्गत ईंट बनाने हेतु उपयुक्त है। इस्पात संयंत्रों के कन्वर्टर में संयंत्रीय परीक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में ईंटों के निर्माण के लिए अनुबंध हेतु सी.एस.आई.आर.–एन.एम.एल. के साथ चर्चा प्रगति पर है।

foLrkj xfrfof/k;k

हाल ही में मिश्र धातु निगम मर्यादित, हैदराबाद (मिधानि) जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, द्वारा एफ.एस.एन.एल. को पांच वर्ष की अवधि के लिए अवशेष (स्लैग स्कल), तल जमाव (फ्लोर जैम) तथा संयंत्रीय अवशेष प्रतिगम (प्लांट रिटर्न स्क्रैप) के संकलन एवं प्रसंस्करण, उत्पादीय अवशेषों (वेयर स्क्रैप) के संधारण तथा अग्निरोधी ईंटों के पृथक्करण का कार्य प्रदान किया है। एफ.एस.एन.एल. व्यवसायिक सम्भावनाओं के नए द्वारों की भी तलाश में है। हम आशान्वित हैं कि वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों के बेड़े के साथ एफ.एस.एन.एल. के पास अपने व्यवसाय एवं परिचालन में बहुगुणक विकास लाने के लिए अपार सम्भावनाएं हैं ।

daiuh ds 0;olk; ij çHkkokRl tld egRoi.k oS/kkfud çdj.k

एफ.एस.एन.एल. ने कोलकाता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका क्रमांक 33074 (W) वर्ष 2013 पर पारित आदेश, जिसके तहत उक्त एकल न्यायपीठ ने मनोनयन नीति के आधार पर एफ.एस.एन.एल. को कार्याबंटन की व्यवस्था रद्द कर दी थी, को चुनौती देने हेतु माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष एक अपील क्रमांक MAT 244/2019 दिनांक 15.02.2019 दायर की है। एफ.एस.एन.एल. को माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के आदेश दिनांक 01.04.2019 के माध्यम से स्थगन प्राप्त हो गया है जिससे कोलकाता उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा याचिका क्रमांक 33074 (W) वर्ष 2013 पर पारित आदेश स्थगित हो गया है। अतएव, मनोनयन नीति के अंतर्गत एफ.एस.एन.एल. को कार्याबंटन की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी जब तक माननीय कोलकाता न्यायालय में दायर याचिका का निराकरण नहीं हो जाता ।

vo'ks"k iqu%laxg.k Bsdk dh orZeku fLFkfr

1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण की इकाईयां – सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा दिनांक 07.09.2019 को लौह अवशेष, ईंट व मलबे के निष्कर्षण व विस्थापन, पिघली हुई धातु के अग्निरोधी पीपानुमा सांचे (tundish) से निष्कर्षित अवशेषों तथा 'लैडल स्कल' का प्रसंस्करण, धातु कर्म के अवशेषों का संग्रहण तथा धातु अवशेषों के प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 01.12.2018 से तीन वर्षों तक होगी। अन्य इकाईयों द्वारा अभी दीर्घावधि अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना शेष है तथा फिलहाल इन इकाईयों में कार्य का निष्पादन विस्तारित समय में किया जा रहा है।

2) भारतीय इस्पात प्राधिकरण – राष्ट्रीय इस्पात निगम मर्यादित, नीलांचल इस्पात निगम मर्यादित, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., एयर इंडिया, एस्सार स्टील इंडिया लि. तथा मिश्र धातु निगम लि. के साथ अनुबंध किया जा चुका है।

d,iksZjsV xousZal ,oa vU; uhfr;ka

निगमिय शासन प्रणाली पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं के अनुपालन में मंडल स्तरीय समितियां, नामित अंकेक्षण समिति, मनोनयन एवं पारिश्रमिक समिति तथा कारपोरेट सामाजिक दायित्व निगरानी समिति आपकी कम्पनी में क्रियाशील हैं।
कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा रु. 66.81 लाख की सी.एस.आर. परियोजनाओं को विशाखापट्टणम, बोकारो (दोनों ही क्रमशः आंध्रप्रदेश व झारखंड के आकांक्षी जिले) तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आरम्भ किया गया है।

एफ.एस.एन.एल. द्वारा राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते एफ.एस.एन.एल. को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई–दुर्ग द्वारा अनुकरणीय कार्य के लिए 'राजभाषा उत्कृष्ट पुरस्कार – 2018' से नवाजा गया है। एफ.एस.एन.एल. को वर्ष 2017–18 के लिए 'उत्तम' समझौता ज्ञापन मूल्यांकन से पुरस्कृत किया गया है। आपकी कम्पनी में 'सचेतक' नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) पूर्णतः परिचालन में है।

कार्य स्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति कार्यरत है जो समय–समय पर स्थिति की समीक्षा करती है।

vkHkkjkfä

समापन के पूर्व इस अवसर पर मैं अपने ग्राहकों, यानि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात संयंत्रों, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एयर इण्डिया, एस्सार स्टील तथा मिश्र धातु निगम लिमिटेड को सहृदय आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम इस्पात मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य विभागों के आभारी हैं तथा आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना के राज्य सरकारों के भी, उनके सतत् समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए तथा हमारी धारक कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. के भी आभारी हैं।
मैं मंडल के मेरे सहयोगियों को भी मंडल की गतिविधियों में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करूंगा। अंत में, किन्तु अल्प में नहीं, मैं सभी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष के दौरान उनके निष्ठापूर्ण प्रयासों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करता हूँ।

मैं सभी श्रमिक संगठनों को भी उनके सहयोग एवं कार्यक्षेत्र में सौहार्द्रपूर्ण माहौल तथा उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए श्रेष्ठतम सराहना अभिलेखित करना चाहता हूँ।

मुझे विश्वास है कि लागत नियन्त्रण तथा दक्षता उन्नयन के क्षेत्रों में सतत एवं केन्द्रित प्रयासों तथा कुशल, अनुभवी तथा समर्पित मानव संसाधन से कम्पनी का वित्तीय निष्पादन वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी और उन्नत होगा।

मैं दुर्गा पूजा, दीपावली तथा आगामी त्योहारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

धन्यवाद,

जय हिन्द

सही/–
राजीब भट्टाचार्य
(अध्यक्ष)

fun'kd ifronu

प्रति,
सदस्यवृन्द,
Qjk Ld i fuxe fyfeVM

egkuHkko]

आपके निदेशकगण को दिनांक 31/03/2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन के साथ–साथ लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन तथा नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए हर्ष है। इस प्रतिवेदन के साथ कार्पोरेट गवर्नेंस पर प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के विचार–विमर्श एवं विश्लेषण संलग्न हैं।

fu"iknu fof'k"Vrk,¡ ¼2018&2019½

¼v½ Hkkfrdh; fu"iknu

कंपनी ने एक बार फिर सभी प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में भौतिक लक्ष्यों को पार करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एफएसएनएल ने 35.66 लाख टन स्क्रैप और 95.76 लाख टन स्लैग (कुल 131.42 लाख टन) में ऑल–टाइम रिकॉर्ड रिकवरी, प्रोसेसिंग और डिस्पैच हासिल किया जो कि पिछले वित्त वर्ष के संबंध में 18.51% का सुधार है। वर्तमान प्रदर्शनों और पुराने डंपों से इनपुट में कमी जैसी बाधाओं के बावजूद भौतिक प्रदर्शन हासिल किया गया है। स्टील प्लांट, बर्नपुर, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला और बोकारो स्टील प्लांट में वर्तमान गतिविधियों को बढ़ाने से स्क्रैप और स्लैग की उपलब्धि संभव है। बोकारो और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति, टीम भावना, कड़ी मेहनत और सभी कर्मचारियों के समर्पण के साथ–साथ ग्राहकों से प्राप्त सहयोग और समर्थन के कारण।

¼c½ foLrkj.k@ubZ ifj;kstuk,¡

दुर्गापुर स्टील प्लांट ने नए स्लैग यार्ड से स्लैग को स्थानांतरित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

¼l½ fodkl dh fujarjrk

(1) कंपनी ने अपने निगमन कार्यालय, भिलाई में रद्दी कागज पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित किया है जो रद्दी कागज और उपयोग किए गए कागज को उपयोगी स्टेशनरी में बदलकर आंतरिक उपयोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्राओं में वितरित किया जाता है।

एक टन पुनर्चक्रित कागज 64 प्रतिशत ऊर्जा, 58 प्रतिशत जल और 17 वृक्षों की रक्षा कर वायु प्रदूषण को कम करता है।

(2) कंपनी ने वर्षा जल संचयन और संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए वर्षा जल संचयन निगमन कार्यालय एवं भिलाई इकाई और प्रबंध निदेशक के अधिकारिक निवास में जल संग्रहण गड्ढे का निर्माण किया है जिससे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके।

(द) प्राकृतिक समुच्चय के विकल्प के रूप में ग्रामीण सड़क निर्माण में उपयोग के लिए 63 मीट्रिक टन आकार के 63 एमएम से 75 एमएम धातु मुक्त एलडी स्लैग:

ग्रामीण सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले समुच्चय के लिए आवश्यक तीन प्रकार के एसएमएस स्लैग सैंपल अर्थात हाल ही में आए, 5 वर्ष के और एफएसएनएल द्वारा आपूर्ति किए गए 10 वर्ष। चूंकि धातु विज्ञान की पुनर्प्राप्ति के बाद एसएमएस स्लैग में सड़क बनाने, रेत गिट्टी, मिट्टी की मरम्मत आदि जैसे उपयोग के लिए कई स्थान पाए

जाते हैं, इसलिए एफएसएनएल ने विभिन्न मापदंडों की जांच करने के लिए टेस्ट में एसएमएस स्लैग की उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर (एनआईटी–रायपुर) से संपर्क किया।

एनआईटी–रायपुर ने अपनी सिफारिश में पुष्टि की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार सड़क–निर्माण की विभिन्न परतों में उपयोग के लिए एसएमएस स्लैग उपयुक्त है– ग्रामीण सड़क विनिर्देशों और आईआरसीःएसपीः121–2018 प्राकृतिक समुच्च के स्थान पर।

एफएसएनएल ने भी प्राकृतिक एग्रीगेट्स के विकल्प के रूप में ग्रामीण सड़क निर्माण में उपयोग के लिए 60 एमटी 63 मिमी से 75 मिमी आकार के धातु मुक्त एलडी स्लैग को संसाधित और स्टॉक किया है।

¼p½ ljdkjh bZ&cktkj dk ek/;e ls [kjhnnkjh ¼tse½

डिजिटल इंडिया की पहल करते हुए कंपनी ने बड़े पैमाने पर सरकारी ई–बाजार पोर्टल का उपयोग शुरू कर दिया है, जो डीजीएस और डी द्वारा द्वितीयक खरीद के लिए किया जाता है।

¼N½ ÅtkZ laj{k.k

कंपनी ने अपने निगमन कार्यालय में छत के ऊपर 15 किलोवाट सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करके ग्रीन ऑफिस की अवधारणा की ओर कदम बढ़ाया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सौर ऊर्जा इकाई के माध्यम से विद्युत शक्ति के 11823 युनिट का उपयोग करके ऊर्जा को संरक्षित किया है।

¼t½ {kerk dk mi;ksx

कंपनी ने वर्ष 2018–19 में 98.71 प्रतिशत क्षमता को संचालित किया है।

¼>½ foRrh; fof'k"Vrk,¡

(लाख रुपयों में)

fooj.k	2018&2019	2017&2018
कुल राजस्व	**37841.34**	34,029.79
कर–पूर्व लाभ	**4108.95**	1,303.78
djksijkar ykHk ¼ih,Vh½	**2668.83**	806.71
कुल पड़ता(ग्रास मार्जिन)	**5539.73**	2,405.29
पूर्व वर्ष से अग्रेषित शेष	**(48.34)**	11.05
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	**(431.29)**	(123.50)
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**2189.20**	694.26
fofu;kstu		
अंतरिम साम्य लाभांश	**320.00**	608.00
प्रस्तावित अंतिम साम्य लाभांश	**322.01**	8.99
साम्य लाभांशों पर कर	**131.97**	125.61
सामान्य आरक्षित निधि	**1400.00**	0.00
अगले वर्ष के खाते में प्रेषित अधिशेष	**15.22**	(48.34)
प्रति शेयर आय (रूपये) (अंकित मूल्य रूपये)	**8.34**	2.52
प्रति कर्मचारी पीबीटी	**5.47**	1.63

कंपनी की कुल आय रु. 37,841.34 लाख सेवा शुल्क रु. 36,519.56 लाख के साथ रही, जो गत वर्ष रु. 34,029.79 लाख (सेवा शुल्क रु. 31,961.12 लाख) थी। वर्ष के दौरान कंपनी का कुल पड़ता ग्रास मार्जिन तथा कर–पूर्व लाभ रु. 5,539.73 लाख व रु. 4,108.95 लाख रहा, जो विगत वर्ष क्रमशः रु. 2,405.29 लाख एवं रु. 1,303.78 लाख था।

iwftxr O;; ¼dSfiVy½%

कंपनी ने वर्ष 2018–19 में अनुमानित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/अतिरिक्त परिसंपत्तियों के लिए रू. 18.35 करोड़ की लागत के लिए व्यय किया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में पूंजिगत व्यय लक्ष्य के संशोधित के आधार पर रू. 15.29 करोड़ निर्धारित किया गया था।

lkekU; vkj{k.k fuf/k%

31 मार्च, 2019 कंपनी के सामान्य आरक्षण निधि के रूप में रू. 15,389.87 लाख था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य आरक्षण निधि में 31 मार्च, 2019 को रू. 16,789.21 लाख कि राशि सामान्य आरक्षण निधि कंपनी के लाभ और हानि खाते में जनरल रिजर्व 1400.00 किसी को भी स्थानांतरित नहीं किया है।

ykHkka'k%

बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसार दिनांक 28/09/2018 को राशि रू. 320.00 लाख(रू. 1 प्रति शेयर), वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए रू. 607.04 लाख (रू. 1.897 प्रति शेयर) में अंतिम लाभांश 927.04 लाख प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार इक्विटी शेयरों पर वर्ष 2018–19 के लिए कुल लाभांश 28.97 प्रतिशत है (अर्थात रू. 2.897 प्रति इक्विटी शेयर)।

ÅtkZ laj{k.k] rduhdh lekos'k.k ,oa fons'kh fofue; vtZu rFkk O;;%

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) के संग पठित कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेषण एवं विदेशी विनिमय अर्जन तथा व्यय संबंधी सूचना अनुलग्नक–1 में दी गई है, जो इस प्रतिवेदन का भाग है।

vuqla/kku o fodkl dk;Z%

एफएसएनएल और सीएसआईआर–एनएमएल बीओएफ मल और अन्य संयोजक अर्थात ब्रिकेटिंग के लिए प्रक्रिया / प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक समझौता किया है, इस्पात संयंत्र में उत्पन्न ब्लास्ट फर्नेस मल/ ईएसपी डस्ट/ सिंटर रिटर्न है जोकि बेसिक ऑक्सीजन स्टील भट्ठी बनाने एक शीतलक और धातु स्क्रैप के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाएगा। सीएसआईआर एनएमएल ने विभिन्न परीक्षण किए हैं और रिपोर्ट की है कि प्रयोगशाला स्तर के अनुसार उपरोक्त सामग्री से किए गए अध्ययन और परिक्षण ब्रिकेट उपयुक्त हैं। सीएसआईआर–एनएमएल के साथ संयंत्र परीक्षण के लिए उपरोक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के साथ ब्रिकेट बनाने के लिए समझौता अंतिम रूप से चल रहा है।

LdSi fjdojh vuqca/k dh fLFkfr%

1- lsy la;a=

सेल संयंत्र को दीर्घकालिक करार के तहत कवर किया गया है:

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र : 31.07.2019 तक अनुबंध वैध है।

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र : 31.08.2019 तक अनुबंध वैध है।

(ग) <u>राउरकेला इस्पात संयंत्र :</u> 30.09.2019 तक अनुबंध वैध है।

(घ) <u>दुर्गापुर इस्पात संयंत्र :</u> नए समझौते को अंतिम रूप देने तक अनुबंध मान्य है।

(ड़) <u>आईएसपी बर्नपुर :</u> नए समझौते को अंतिम रूप देने तक अनुबंध मान्य है।

2. <u>आरआईएनएल, विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टणम</u>

दिनांक 31.08.2020 तक अनुबंध वैध है।

3. <u>नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, डुबुरी</u>

(क) बीएफ स्लैग और आयरन स्क्रैप की हैंडलिंग और प्रसंस्करण।
12.07.2023 तक अनुबंध वैध है।

(ख) एसएमएस स्लैग को संभालना।
21.01.2024 तक अनुबंध वैध है।

4. <u>बीएचईएल– हरिद्वार</u>
31.07.2020, तक अनुबंध वैध है।

5. <u>सेलम इस्पात संयंत्र – सेलम</u>

दिनांक 30.11.2019 तक वैध है।

6. <u>एयर इण्डिया, मुंबई</u>

अनुबंध दिनांक 30.09.2019 तक वैध है।

7. <u>भिलाई स्टील प्लांट, बीएफ स्लैग डंप और एलआरएस</u>

अनुबंध 23.09.2019 तक वैध है।

8. <u>एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड</u>

कार्य आदेश 31.03.2019 तक वैध है।

dkfeZd

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी में श्रम शक्ति की कुल संख्या 751 थी, जिसमें 144 कार्यपालक एवं 607 गैर–कार्यपालक वर्ग के कर्मचारी थे। दिनांक 31 मार्च 2019 के प्रभाव पर कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 19.84, 10.52 एवं 16.78 प्रतिशत था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी आधिकारिक दिशा–निर्देशों का एफएसएनएल द्वारा अनुपालन किया जाता है।

दिनांक 31.03.2019 को 751 कर्मचारियों की कुल संख्या में पुरुष एवं महिला कर्मियों की संख्या क्रमशः 733 एवं 18 थी।

दिनांक 31.03.2019 को विभिन्न वर्गों में अनु.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार था:

oxZ	deZpkfj;ksa dh la[;k		vu- tkfr		vu- tutkfr		vU; fiNM+k oxZ		vYila[;d		fnO;kax	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
ए	144	6	12	0	4	1	30	1	8	0	8	0
बी	466	4	93	0	36	0	56	0	46	0	0	0
सी	120	8	38	3	37	1	39	0	14	2	0	0
डी सफाई कर्मचारियों को छोडकर	0 3	0 0	0 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
कुल योग	733	18	146	03	77	02	125	01	68	02	08	0

fu;qfDr;k

वर्ष 2018–19 के दौरान ''ए'' समूह मे कुल 12 भर्तियां की गईं।

vYila[;dksa dk dY;k.k

प्रधान मंत्री की नई 15 बिन्दु योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया। दिनांक 31 मार्च 2019 को, कुल 751 कर्मचारियों में अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की कुल संख्या 68 थी, एवं एफएसएनएल में दिनांक 31 मार्च 2019 को अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता 9.05 प्रतिशत थी।

कर्मचारियों के लाभ हेतु जारी/समय–समय पर लागू कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाता है।

fu%'kDr oxZ dk dY;k.k

समस्त वर्ग के कर्मचारियों को, अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व समुदाय सहित, कंपनी के नियमानुसार सभी कल्याणकारी सुविधाएं तृप्तिकर रूप से प्रदान की जाती हैं।

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 dk ifjikyu

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, एफएसएनएल द्वारा एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), निगमन कार्यालय तथा 8 इकाईयों में एक–एक सहायक जन शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एफएसएनएल के ईडी (पी एण्ड सी), प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत विहित 17 विभिन्न टेंम्प्लेट/मैन्युअल/ स्वेच्छापूर्ण प्रकटन आदि का यथोचित अनुपालन किया गया है, तथा इन्हें कंपनी के वेबसाईट ''fsnl.nic.in'' पर भी प्रेषित किया गया है, एवं ऐसी सूचनाओं का निरंतर अद्यतन भी किया जाता है।

कंपनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।अधिनियम के तहत वांछित समस्त जानकारियों को निर्धारित समय सीमा में प्रदान कर दिया जाता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिकी प्रतिवेदन निरंतर प्रेषित किए जाते हैं। सूचना संबंधी समस्त आवेदनों का निराकरण अधिनियम में निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या 81 थी। सभी 79 आवेदन निपटा दिए गए हैं। केवल 02 आवेदन लंबित हैं, तारीख के अनुसार, जिन्हें निर्धारित समय के भीतर जवाब दिया जाएगा।

lrdZrk xfrfof/k;k¡

कंपनी के समग्र उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु संस्थान के विभाग प्रमुखों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए वर्तमान पद्धति एवं प्रणाली में सुधार करने हेतु सतर्कता विभाग का ''निवारक एवं अग्रसक्रिय सतर्कता'' पर ध्यान केन्द्रित है। निवारक उपाय के रूप में सभी इकाइयों में निरंतर जांच की गईं तथा अधिकारियों के आस्ति–विवरणियों की यादृच्छ जांच की गई। इसके अलावा, मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग को आवश्यक प्रतिवेदन/विवरणियां प्रेषित की गईं एवं मंत्रालय द्वारा समय–समय पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों की ली गई बैठकों के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों का विहित दिशा–निर्देशों /प्रक्रिया के अनुरूप निराकरण किया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ समन्वयन बैठकें भी आयोजित की गईं। मंत्रालय एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, प्रबंध निदेशक के साथ सतर्कता की संरचित बैठकें भी तिमाही संपन्न की जाती हैं।

सतर्कता विभाग की निगरानी में सत्यनिष्ठा अनुबंध का प्रतिपादन भी किया जाता है। दिनांक 31.03.19 तक 313 ठेकों को इस सत्यनिष्ठा अनुबंध के तहत समाविष्ट किया गया है। पारदर्शिता लाने हेतु उत्तोलन तकनीक अंगीकरण का प्रयास निरंतर जारी हैं, जिसके तहत सभी खुली निविदाएं कंपनी के वेबसाइट, 5 राष्ट्रीय दैनिक पर प्रदर्शित किए जाते हैं, तथा कार्य आदेश/निविदा, पूर्व–निर्धारित मूल्य से अधिक के बिल भुगतान का विवरण आदि भी प्रतिमाह वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

कंपनी में सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 से 3 नवंबर, 2018 तक किया गया, जिस दौरान विद्यालयों और महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम जैसे नारा प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सार्वजनिक स्थानों पर पॉम्पलेट वितरण, ''मेरा लक्ष्य–भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' निवारक सतर्कता विषय पर कार्यशाला, कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण आदि आयोजित किए गए ताकि कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरुकता लाई जाए, एवं इन आयोजनों का विवरण स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया गया।

lqj{kk

किसी भी संगठन के सुचारू संचालन में, सुरक्षा और सुरक्षित कार्य प्रथाओं के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के उपाय के रूप में, एफएसएनएल के निगमन कार्यालय के साथ–साथ सभी इकाइयों में सुरक्षा दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिसमें सुरक्षा और संबद्ध मामलों पर बहस, सुरक्षा और सुरक्षित कार्य प्रथाओं आदि पर बात की गई। आयोजित किए गए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके मनोबल को बढ़ाने और अन्य कर्मचारियों को भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार दिए गए। संयुक्त फोरम समिति की बैठकों में प्रबंधन और मान्यता प्राप्त यूनियनों के बीच समझौते के ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा संबंधित इस्पात संयंत्रों के अग्नि–शमन विभागों से तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जैसे विख्यात संस्थानों से परस्पर संपर्क बनाया जाता है, ताकि दुर्घटना के निवारण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कर्मचारियों को नामांकित किया जा सके। वर्ष 2018–19 के दौरान, प्रतिवेदनीय दुर्घटनाओं की आवृत्ति दर 0.14 प्रतिशत प्रति हजार श्रम कार्य दिवस थी।

izca/ku esa Jfedksa dh Hkkxhnkjh

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किसी भी संगठन के सुचारू कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, और प्रबंधन द्वारा किए गए गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से एफएसएनएल में एक संयुक्त मंच समिति (जेएफसी) है, जिसमें निगमन कार्यालय स्तर के विभाग प्रमुखों के साथ प्रबंधन एवं मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य शमिल हैं। संयुक्त मंच समिति का संयोजक प्रबंधन की ओर से नामांकित किया जाता है, संयुक्त मंच समिति की संयुक्त बैठक के रूप में संयुक्त कार्य के प्रतिनिधि एक समारोह में कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा और समस्याओं को सुलझाने के लिए आयोजित किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो समझौतों/समझौता ज्ञापनों को भी प्रबंधन और मान्यता प्राप्त संघ द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

संयुक्त मंच समिति की बैठकों में होने वाले परस्पर चर्चा से विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्याओं का सर्वोत्तम निष्कर्ष निकालने के लिए, एफएसएनएल में, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी एक अच्छी तरह से स्थापित घटना है।

vkS|ksfxd laca/k

वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी में सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखा गया था । विशाखापट्टणम इकाई में 16.07.2018 से 20.07.2018 तक कार्य रूकने के कारण 422.5 कार्य दिवस का नुकसान हुआ।

jktHkk"kk uhfr

राजभाषा नीति–निर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले सभी दिशा–निर्देशों का एफएसएनएल द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

सभी कर्मचारियों को अपने कार्य हिन्दी में संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित किया गया। विगत वर्ष की तरह, वर्ष 2018–19 में भी ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया गया। राजभाषा माह के दौरान हिन्दी टिप्पण/प्रारूप लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा प्रोत्साहन योजनाओं के अनुरूप इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद राशि का पुरस्कार प्रदान किया गया। अंचल के विख्यात लेखकों/कवियों को आमंत्रित करते हुए एक ''राजभाषा कार्यशाला'' का भी आयोजन किया गया।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के लाभ के लिए गुगल वॉयस टाइपिंग और यूनिकोड सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए व्यवहारिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

एफएसएनएल ने वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए ''इस्पात राजभाषा सम्मान (तृतीय पुरस्कार)'' प्रदान किया। 05.07.2018 को प्रबंध निदेशक को माननीय इस्पात मंत्री के कर कमलों द्वारा इंदौर में प्रदान किया गया।

एफएसएनएल ने ''राजभाषा उत्कृष्ठ पुरस्कार–2018'' प्रदान किया, जो कि आधिकारिक हिन्दी कार्यों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) भिलाई–दुर्ग द्वारा प्रदान किया गया।

इसके अलावा, प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल को नराकास –भिलाई, दुर्ग द्वारा ''राजभाषा उन्नायक सम्मान'' से सम्मानित किया गया।

ये दोनों पुरस्कार 13 फरवरी, 2019 को एफएसएनएल को प्रदान किए गए।

इस प्रकार, एफएसएनएल लगातार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहा है।

ukxfjd pkVZj

संस्थान का, नागरिकों/ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी, जिसमें सेवा का स्तर, सूचना, परामर्श का चयन, अभेदभाव एवं सुगम्यता, शिकायत निवारण, सौजन्य एवं निधि की कीमत, एवं साथ ही इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए संस्थान का नागरिकों/ग्राहकों से उम्मीद आदि को व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करने के उद्धेश्य से एफएसएनएल द्वारा सप्त–पद मानकों को अपनाते हुए एक नागरिक चार्टर बनाया गया है। कंपनी ने शिकायत निवारण तंत्र को अपनाया है, जो बोर्ड के अनुमोदित नागरिक चार्टर का हिस्सा है, जैसा कि नीचे बताया गया है :–

¼v½ yksd&f'kdk;r fujkdj.k

लोक–शिकायत निराकरण हेतु एफएसएनएल द्वारा तीन–चरण शिकायत निराकरण प्रणाली अपनाई गई है।

जन साधारण के सुगम उपयोग हेतु इकाईयों/निगमन कार्यालय के स्वागत कक्ष में शिकायत पेटियां रखी गई हैं।

शिकायत के सरल निराकरण हेतु, जन–साधारण में से कोई भी एफएसएनएल से तीन–चरण प्रणाली के तहत मुलाकात कर सकता है, जिसके प्रथम चरण में लोक शिकायत अधिकारी, दूसरे चरण में इकाई प्रमुख/निगमन कार्यालय में संचालन विभाग के प्रमुख तथा कार्मिक व प्रशासन प्रमुख आते हैं। प्रत्येक चरण में एक निश्चित समयावधि में शिकायत कर्ता को प्रत्युत्तर दी जाती है। यदि किसी भी चरण में शिकायत कर्ता जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह प्रबंध निदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

उपरोक्त तीन चरणों में की गई कार्रवाइयों की जांच के बाद, प्रबंध निदेशक द्वारा शिकायत का विश्लेषणात्मक जांच के उपरांत संबंधित शिकायतकर्ता को अपील प्राप्ति के 15 दिवसों के भीतर अपने निर्णयन से अवगत कराया जाता है।

मंत्रालय के ऑनलाईन ग्रीवान्स पोर्टल (सीपीजीआरएएम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी नियत समयावधि के भीतर ऑनलाईन निराकरण कर दिया जाता है।

¼c½ deZpkfj;ksa dh f'kdk;r dk fujkdj.k

कर्मचारियों के शिकायतों के लिए भी 3 चरणों की शिकायत निवारण प्रणाली जारी है। कर्मचारियों की कोई भी शिकायतें प्रायः इकाई स्तर पर निराकृत कर दी जाती हैं। ऐसी शिकायतें जिनमें निगमन प्रबंधन का हस्तक्षेप आवश्यक हो, उन्हें मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त मंच समिति की बैठकों में प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिनका वहीं निराकरण कर दिया जाता है।

lrZdrk uhfr ¼fOgfly Cyksvj ikWfylh½

कर्मचारियों को, सद्भावनापूर्वक लेखा परीक्षण समिति से सुगम संपर्क स्थापित कर कंपनी में किसी भी प्रकार के अनुचित अथवा अव्यवहारिक क्रियाकलाप अथवा किसी भी प्रकार के दुराचरण की जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करने एवं प्रबंधकीय कार्मिकों को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोकने के उद्देश्य से एफएसएनएल द्वारा एक संचेतक नीति भी अपनाई गई है। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई नीति, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

dk;ZLFky ij efgykvksa dk ;kSu mRihMu ¼jksdFkke] fu"ks/k vkSj fuokj.k½ vf/kfu;e] 2013 ds vrxZr izdVu

वर्ष 2018–19 के दौरान कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन की कोई भी घटना नहीं थी।

fu;=dk vFkok U;k;ky;k }kjk ikfjr lkFkd ,o egRoiw.kZ vkns'k

एफएसएनएल ने अपील दायर की है एमएटी 244/2019 दिनांक 15.02.2019 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के साथ रिट याचिका संख्या के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए 2013–07 की 33074(डब्ल्यू) एकल पीठ ने एफएसएनएल को नामांकन के आधार पर काम के लिए नामांकन नीति को रद्द कर दिया।

एफएसएनएल को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 01.04.2019 के आदेश के खिलाफ रिट याचिका संख्या में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के तहत रहने की अनुमति दी गई है। 2013 के 33074 (डब्ल्यू) और नामांकन के आधार पर एफएसएनएल को काम देने की मौजूदा प्रणाली अपील के निपटान तक जारी रहेगा।

lwpuk izkS|kfxdh igy

एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआईएमएस)–एफएसएनएल एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईआईएमएस) पैकेज के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्येक विभाग की संगठनात्मक गतिविधियों को सिंक्रनाइज कर रहा है।

deZpkjh izn'kZu izcU/ku iz.kkyh dk u;k laLdj.k&एफएसएनएल ने सफलतापूर्वक विकसित किया है और संगठन में ''ऑनलाइन कर्मचारी प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली'' आवेदन का नया संस्करण पुनःस्थापित किया है।

एफएसएनएल ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत आवश्यक स्वैच्छिक/ सू–मोटो प्रकटीकरण के लिए 17 विभिन्न टेम्पलेट्स/मैनुअल/मैनुअल के तहत जानकारी संकलित की है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.fsnl.nic.in पर होस्ट किया है और प्रकाशित की गई जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है।

deZpkfj;ksa dk fooj.k

कंपनी(प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2 व 3) के तहत वांछित कर्मचारियों के नाम व अन्य विवरण का प्रकटन आवश्यक नहीं है चूंकि वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान कोई भी कर्मचारी उपरोक्त संदर्भित नियम 5(2) में विहित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

funs'kd eaMy

funs'kd %

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में मंडल में श्री बम बहादुर सिंह डीआईएन (03212787) अध्यक्ष के रूप में, श्री राजीब भट्टाचार्य डीआईएन (07091356) कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में, श्री औरोबिंदो बेहेरा डीआईएन (00765734) नॉन–ऑफिसियल स्वतंत्र निदेशक के रूप में और श्रीमती भानु (डीआईएन:7982360) एमएसटीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन:08308190) गैर–आधारिक स्वतंत्र निदेशक, श्री आशीष शर्मा (डीआईएन:08365082) शासकीय नामित निदेशक और श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन:00028647) गैर–आधारिक स्वतंत्र निदेशक।

foÙk o"kZ 2018&19 ds nkSjku fu;qDr funs'kdksa dh lwfpr tkudkjh

श्री औरोबिंदो बेहेरा (डीआईएन:00765734), गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए दिनांक 27.11.2018 से नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की पुष्टि शेयरधारकों द्वारा की गई थी। कंपनी के शेयरधारकों द्वारा 20.12.2018 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में की गई थी।

दिनांक 01.12.2018 को श्री असीम कुमार बसु (डीआईएन:03102901) के स्थान पर श्रीमती भानु कुमार (7982360) को एमएसटीसी लिमिटेड डब्ल्यू.ई.एफ. के नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

दिनांक 14.12.2018 को श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएनः08308190) को तीन साल की अवधि के लिए गैर–आधारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 30.04.2019 को आयोजित कंपनी की अतिरिक्त सामान्य बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई।

श्री अरूण कुमार कैलू (डीआईएनः07521092) के स्थान पर श्री आशीष शर्मा (डीआईएनः08365082) को दिनांक 05.02.2019 को शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएनः00028647) को गैर–आधिकारीक स्वतंत्र निदेशक डब्ल्यू.ई.एफ. के रूप में दिनांक 11.03. 2018 को नियुक्त किया गया। कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 30.04.2019 को आयोजित सामान्य बैठक में पुष्टि की गई।

ie[k ic/kdh; dkfed

श्री राजीब भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, श्री शतदल मित्रा, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अशोक मिश्रा, कंपनी सचिव, कंपनी के मुख्य प्रबंध कर्मी हैं।

fun'kdk dh Lor=rk lc/kh vfHkO;fDr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसरण में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक श्री औरोबिंदो बेहरा, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुपालन स्वतंत्रता संबंधी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है।

y[kk ijh{kd

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं सह–पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सनदी लेखाकार में.लक्ष्मी तृप्ती एंड एसोसिएट्स को समीक्षावधि के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन अनुलग्नक–2 पर संलग्न है, जो इस प्रतिवेदन का भाग है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) व (7) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पण अनुलग्नक–3 पर संलग्न है, जो इस प्रतिवेदन का भाग है।

lfpoh; y[kk ijh{kd

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों एवं संह–पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के कंपनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुरूप कंपनी द्वारा मेसर्स, प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसियेट्स (सीपी नं. : 3973, एफसीएसः 7194), कंपनी सचिव को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर प्रबंधन का जवाब अनुलग्नक–4 पर संलग्न हैं, जो इस प्रतिवेदन का भाग हैं।

vkrfjd y[kk ijh{kd

मेसर्स, एसएबीडी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार द्वारा कंपनी के आंतरिक लेखाकार का कार्य संपन्न किया जाता है, जिनके प्रतिवेदनों की, लेखा परीक्षण समिति द्वारा समय–समय पर जांच की गई।

fun'kdk d mRrjnkf;Ro dh vfHkO;fDr

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार, कंपनी के संचालनीय प्रबंधन से उपलब्ध प्रमाण के आधार पर आपके निदेशक निम्नलिखित अभिव्यक्ति करते हैं:–

अ) यह कि, वार्षिक लेखा तैयार करने में, प्रयोज्य लेखा मानदण्डों का अनुसरण किया गया है, तथा प्रमुख विचलनों के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

ब) यह कि, आपके निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा–नीतियों का चयन करते हुए उनका सतत प्रयोग किया गया है, एवं ऐसे निर्धारण एवं अनुमान बनाए हैं जो वाजिब हैं तथा सटीक हैं, एवं जो वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के क्रिया कलापों का सही एवं स्पष्ट प्रदर्शन करती हैं, तथा उस अवधि में कंपनी के लाभ को दर्शाती हैं।

स) यह कि, आपके निदेशकों द्वारा आपके संस्थान की आस्तियों के अभिरक्षण एवं किसी भी प्रकार की धोखाधडी एवं अन्य अनियमितताओं की पतासाजी एवं रोकथाम के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के निर्वहन का समुचित एवं यथोचित ध्यान रखा गया है।

द) यह कि, आपके निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखाओं को एक गतिमान संस्थान के रूप में तैयार किया गया है।

इ) यह कि, आपके निदेशकों ने समस्त प्रयोज्य कानूनी प्रावधानों का अनुसरण सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रणालियां निर्मित की हैं, एवं ये प्रणालियां पर्याप्त और कारगर रूप से संचालित हैं।

okf"kd fooj.kh dk lkj

वार्षिक विवरणी के सार को दर्शाने वाले विवरण विहित प्रपत्र एमजीटी–9, vu|yXud&5 पर संलग्न है।

fun'kd eMy dh lfefr;k

एफएसएनएल में तीन बोर्ड बोर्ड स्तर की समितियाँ हैं, लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर जांच समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति।

y[kk ijh{k.k lfefr

कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों की धारा 177 के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट के ''अनुबंध VII'' के तहत उपरोक्त समिति का विवरण दिया गया है।

fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro i|ck/ku lfefr

कंपनी के (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 की धारा 135(1) एवं सह–पठित नियम 5 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा निदेशक मंडल की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबोधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति का विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–7 में दिया गया है।

कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी के वेबसाईट ''**www.fsnl.nic.in**'' पर उपलब्ध है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन सतद्द्वारा vu|yXu&6 पर संलग्न है।

ukekdu vkj ikfjJfed lfefr
¼iolo e: ikfjJfed lfefr d: : i e: tkuk tkrk Fkk½

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुपालन में, कंपनी ने बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। इस रिपोर्ट के ''अनुबंध VII'' के तहत उपरोक्त समिति का विवरण दिया गया है। एफएसएनएल, एक सीपीएसई होने के नाते, चयन और नियुक्ति निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, शासकीय सहित। होल्डिंग कंपनी द्वारा एक नामित निदेशक को छोड़कर नामांकित निदेशक और अन्य निदेशक, इस्पात मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। भारत की कंपनी के पास इनमें से किसी को भी शामिल करने या हटाने की कोई शक्ति नहीं है।

एक लोक उद्यम संस्थान होने की वजह से, कंपनी के अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारण प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। संगठित कर्मचारियों के वेतन–निर्धारण हेतु मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के साथ समझौते के माध्यम से इसका निर्धारण कर प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से इसे कंपनी द्वारा लागू किया जाता है।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित नियंत्रण संबंधि दिशा–निर्देशों के अनुरूप संस्थान में पारिश्रमिक समिति गठित है, जो लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के दायरे में, संस्थान के असंगठित के लिए निष्पादन संबद्ध भुगतान का निर्धारण कर सकती है।

जहाँ तक प्रबंध निदेशक के वेतनमान का प्रश्न है, यह मंत्रालय द्वारा नियुक्ति पर निर्धारित की जाती है।
स्वतंत्र और शासकीय नामित निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भौतिक संबंध या लेन–देन नहीं होता है। हालांकि गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा तय की गई दर के अनुसार दैनिक भत्ता और बैठने की फीस की भुगतान किया जाता है। बोर्ड और निदेशकों की समितियों की बैठक में भाग लेना। वर्तमान में बोर्ड के प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए आरएस के 670/– प्रतिदिन और आरएस के बैठने की फीस 15000/– है और निदेशकों की समिति गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों को भुगतान किया जा रहा है।

शासकीय नामित, कंपनी द्वारा किसी भी पारिश्रमिक के भुगतान अथवा बैठक शुल्क का हकदार नहीं है।

foRrh; fooj.kk d: lnHkZ e: vkrfjd fu;=.kk dh Ik;kIrrk

यथार्थ एवं स्पष्ट रूप से व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं वित्तीय प्रतिवेदनों की पारदर्शिता हेतु कंपनी के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए कंपनी में एक प्रभावी एवं सुदृढ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम है। वर्तमान नियंत्रण प्रणाली, नियम, कानून एवं नियमनों तथा कंपनी की प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के वैधानिक अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर देते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण की स्तंत्रता सुनिश्चित करने हेतु, आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य स्वतंत्र बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन, सुधार, आगणन, एवं आवश्यकतानुसार निवारक उपाय हेतु समय–समय पर प्रबंधन को प्रस्तुत किए जाते हैं।

vkink ic/ku uhfr

कंपनी के संचालन एवं अन्य क्रियाकलापों से संबद्ध व्यावसायिक आपदाओं की पहचान एवं मूल्यांकन हेतु कंपनी द्वारा आपदा प्रबंधन नीति अपनाई गई है, तथा आपदा लघुकरण उपाय निरूपित की गई है।

lprd uhfr ¼f0gfly Cykvj ikfylh½

कर्मचारियों को, सद्भावनापूर्वक लेखा परीक्षण समिति से सुगम संपर्क स्थापित कर कंपनी में किसी भी प्रकार के अनुचित अथवा अव्यवहारिक क्रियाकलाप अथवा किसी भी प्रकार के दुराचरण की जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करने एवं प्रबंधकीय कार्मिकों को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोकने के उद्धेश्य से एफएसएनएल द्वारा एक संचेतक नीति भी अपनाई गई है। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई नीति, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के

अनुरूप है।

यह नीति कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

lc) O;fDr O;ogkj

एमएसटीसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के अलावा, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) संबंधित पक्ष हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के तहत परिभाषित हैं।

और, कंपनी तथा निदेशकों, प्रबंधन, धारक कंपनी अथवा रिश्तेदारों के मध्य कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण संबद्ध व्यक्ति व्यवहार नही हुए हैं। लेखा मानक(एएस 24) के अनुसार यथोचित प्रकटन, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के टीप क्रं.39 में किए गए हैं।

diuh fu;=.k

कंपनी नियंत्रण, एवं प्रबंधन परिचर्चा व विश्लेषण पर पृथक प्रतिवेदन अनुलग्नक–7 पर संलग्न हैं, जो इस वार्षिक प्रतिवेदन का भाग है।

vkHkkj

निदेशक मंडल, अपने सम्माननीय ग्राहकों, सेल इस्पात संयंत्र, आरआईएनएल, एनआईएनएल, बीएचईएल, एयर इण्डिया तथा एस्सार स्टील से प्राप्त सहयोग को अभिलेखित करता है। निदेशक मंडल, इस्पात मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य विभागों, तथा आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों एवं धारक संस्थान एमएसटीसी लिमिटेड के प्रति, उनके निरंतर सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल, कंपनी के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए सभी वर्ग के समस्त कर्मचारियों द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा करता है।

okLr] funs'kd eMy
सही/–
बम बहादुर सिंह
अध्यक्ष
डीआईएन : 03212787

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2019

Åtk lj{k.k] rduhd lekos'ku] fons'kh fofue; vtu rFkk 0;; vkfn

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 एवं सह–पठित कंपनी(लेखा) नियमावली, 2014 के तहत प्रकटनार्थ, ऊर्जा संरक्षण, तकनीक समावेशन, विदेशी विनिमय अर्जन तथा व्यय आदि के संबंध में जानकारियां अधोवर्णित है :–

¼v½ Åtk lj{k.k

(i)	ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाये गये कदम अथवा प्रभाव	भारत सरकार के निर्देशानुसार हमने निगमन कार्यालय, भिलाई में पारंपरिक लाईट्स के बदले एलईडी लाईट्स लगवाया गया है। जिसमें बिजली की खपत 50 प्रतिशत कम हो गई है।
(ii)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोंतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	
(iii)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजिगत निवेश	भिलाई, निगमन कार्यालय की छत में 5 किलोवाट और 10 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जिससे 2017–18 में 11,823 किलोवाट सौर ऊर्जा शक्ति का उपयोग सौर ऊर्जा संयंत्र से किया गया है।

fo|r 'kfDr ,o bZ/ku mi;kx

	चालू वर्ष 2018-19			विगत वर्ष 2017-18		
	मात्रक (केडब्ल्यूएच)	कुल लागत	रू.प्रति यूनिट	मात्रक (केडब्ल्यूएच)	कुल लागत	रू.प्रति यूनिट
विद्युत	1647203	10430502	6.33	1676995	10804611	6.44

lpkyu ij ifr ;fuV miHkkx

	मानदंड (यदि हो)	चालू वर्ष 2018–19	गत वर्ष 2017–2018
उत्पाद : लौह एवं इस्पात स्क्रैप	निरंक	1.97	2.11

¼c½ rduhd lekos'ku

(i)	तकनीक समावेशन की दिशा में किए गए प्रयास	तकनीक अद्यतन एवं निरंतर प्रक्रिया है। ग्राहकों द्वारा वांछित बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से नई राहों के विकास हेतु निरंतर प्रयास किया जाता है।

(ii)	उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, उत्पादों का विकास अथवा आयात के विकल्प से प्राप्त लाभ	ik|kfxdh ifØ;k (अ) एफएसएनएल ने सीएसआईआर– एनएमएल, जमशेदपुर के साथ एक आर एंड डी परियोजना शुरू की है, जो लोहे और इस्पात बनाने के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को ब्रिकेट में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया पौद्योगिकी के विकास के लिए है। (ब) ग्रामीण सड़क निर्माण में स्टील के उपयोग के लिए डिजाइन दिशानिर्देश और विनिर्देश का विकास। (स) एफएसएनएल ने बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए और ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई संशोधन मौजूदा सेपरेटर और स्क्रीनिंग यूनिट में किए हैं। (द) बेहतर उत्पादन प्राप्त करने या उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफएसएनएल में नए के साथ पुराने और समस्याग्रस्त उपकरण और पुराने उप–असेंबली को बदलने का अभ्यास है। (इ) एफएसएनएल और आरआईएनएल, वीएसपी, विशाखापट्टणम ब्लास्ट फर्नेस में लाइम की जगह 0–10 मिमी और 30–50 मिमी एसएमएस स्लैग का उपयोग कर रहा है और जिससे भारी मात्रा में राशि की बचत हो रही है।
(iii)	आयातित तकनीक के संबंध में (वित्त वर्ष के प्रारंभ से पूर्व के तीन वर्षों के दौरान आयातित) (क) आयातित तकनीक कर विवरण (ख) आयात का वर्ष (ग) क्या तकनीक का संपूर्ण समावेशन किया गया (घ) यदि संपूर्ण समावेशन नहीं हुआ हो, तो वे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं किया गया, एवं उसका कारण।	निरंक
(iv)	अनुसंधान एवं विकास पर हुए खर्च	निरंक

¼l½ fon'kh fofue; vtu ,o O;; ¼yk[k :i; e½

वर्ष 2018–19 एवं 2017–18 के दौरान कुल विदेशी विनिमय व्यय एवं अर्जन 'निरंक' था।

okLr] fun'kd eMy

सही / –

ce cgknj flg

अध्यक्ष

डीआईएन : 03212787

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10.08.2019

Qjk LØi fuxe fyfeVM d lnL;k grq
LorU= vad{kdk dk çfronu
Lo-lEi.k foÙkh; foojf.k;k ij çfronu

vfHker

हमने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ("कम्पनी") के भारतीय लेखाप्रणाली मानकों (इंडियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स) पर आधारित स्व–सम्पूर्ण ('स्टैंड अलोन') वित्तीय विवरणियों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2019 की तिथि पर तुलन पत्र एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ हानि विवरण (अन्य समग्र आय समेत), अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण व प्रमुख लेखागत नीतियों का सारांश एवं अन्य सपष्टीकरणात्मक सूचनाएं निहित हैं, जिन्हें एतदनंतर "भारतीय लेखाप्रणाली मानकों पर आधारित स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियां" ("स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियां ") के नाम से इंगित किया जा रहा है , का अंकेक्षण किया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सूचनाओं एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के तत्वावधान में उपरोक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियां कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा वांछित सूचनाएं उचित प्रकार से प्रदान करती हैं तथा अधिनियम की धारा 133, सहपठित कम्पनी (भारतीय लेखा प्रणाली मानक) नियमावली, 2015 यथा संशोधित (भारतीय लेखाप्रणाली मानक) तथा भारत में सामान्यतरू स्वीकृत अन्य लेखाविधि सिद्धांत, में निर्धारित भारतीय लेखाप्रणाली मानकों के सादृश्य दिनांक 31.–03–2019 की तिथि पर कम्पनी के कारोबार की अवस्था तथा उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए लाभ व अन्य समग्र आय, अंश पूंजी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का सत्य व उचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

vfHker dk vk/kkj

हमने स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण अधिनियम (लेख–विधि मानक) की धारा 143 (10) के तहत किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियां आगे ''स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षकों के कर्त्तव्य'' नामक खं डमें वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी की गई नैतिकता से सम्बद्ध संहिता एवं स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के अंकेक्षण के सापेक्ष अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमाविलियों में अपेक्षित निष्पक्षता के सादृश्य कम्पनी से विलग हैं, साथ ही हमने इन्हीं अपेक्षाओं तथा भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा प्रतिपादित नैतिकताओं की संहिता के अनुरूप हमारे अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया है। हम विशवास करते हैं कि हमारे द्वारा एकत्रित अंकेक्षण प्रमाण स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों पर हमारे अभिमतों के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रदान करती हैं।

vad{k.k d ie[k rRo

अंकेक्षण के प्रमुख तत्व वे हैं जो कि वर्तमान अवधि के स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के अंकेक्षण में हमारे व्यावसायिक मतानुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मुद्दों को हमारे स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के अंकेक्षण के परिप्रेक्ष्य में तथा उन पर हमारे मतों के निर्धारण में समूचे तौर पर लिया गया है तथा इन मुद्दों के सन्दर्भ में उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। हमने अधोवर्णित मुद्दों को, हमारे प्रतिवेदन में प्रकटनार्थ, अंकेक्षण के प्रमुख तत्वों के रूप में निर्धारित किया है।

क्रमांक	अंकेक्षण का प्रमुख तत्व	अंकेक्षकों की प्रतिक्रिया
1	भारतीय लेखाप्रणाली मानकों पर आधारित स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों ("स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियां") पर टिपण्णी क्रमांक 4.8 जो कम्पनी द्वारा अपनाए गए अचल भंडारित सामग्री के मूल्यांकन विधि को वर्णित करती है, अर्थात् मूल्य पर, वर्ष 2001–02 से आगे 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	हमारा आलोकन है कि कम्पनी द्वारा भंडारित सामग्रियों के लिए अपनाई गई मूल्यांकन विधि भारतीय लेखा–विधि मानक– 2 के अनुरूप नहीं है।
2	1.2 से 5 घन मीटर क्षमता वाले उत्खनकों पर वर्तमान लेखा अवधि के दौरान मूल्य ह्रास की विधि में परिवर्तन, उत्खनकों के उष्ण अवशेष उत्खनन एवं सामान्य उत्खनन गतिविधियों में उपयोग के अनुसार विभाजन किये जाने से है। कृपया स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों से सम्बद्ध टीप क्रमांक 49 का सन्दर्भ लें ।	इस परिवर्तन के प्रभाव से वर्त्तमान लेखा अवधि के लिए मूल्य ह्रास में रु . 88–33 लाख की वृद्धि हुई है तथा परिणामस्वरूप कम्पनी के लाभ में उतनी ही राशि से कमी ।

भारतीय लेखा–विधि मानक क्रमांक 115 ”ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व ” (नवीन राजस्व लेखा–विधि मानक)। को अपनाए जाने की दृष्टि से राजस्व तथा अन्य सम्बद्ध शेषों की सटीक पहचान, मापन, प्रस्तुति तथा प्रकटन

नवीन राजस्व लेखा–विधि मानक अमल में लाए जाने में कुछ निश्चित अनुमानों को समाहित किया गया है जिनका ताल्लुक कुछ विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए दायित्वों का संव्यवहार शुल्क निर्धारण तथा एक अवधि तक निर्धारित राजस्व के मापन हेतु प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता से हैं।

इसके अतिरिक्त, नवीन लेखा विधि मानक में प्रकटन निहित है जिसमें विघटित राजस्व तथा शेष निष्पादन दायित्वों के निर्वहन में, तुलन पत्र की तिथि के उपरान्त लगने वाली समयावधि की सूचनाओं का समानुक्रमण शामिल है।

कृपया स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों पर

टिप्पणी क्रमांक **4-11** का अवलोकन करें।

प्रधान अंकेक्षण विधियां

नवीन लेखा–विधि मानक अपनाए जाने के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए हमने कम्पनी के कार्यविधि का आंकलन किया।

हमारी अंकेक्षण पद्धति में आंतरिक नियंत्रणों के खाके तथा संचालनात्मक प्रभावशीलता का परीक्षण एवं निम्नानुसार सारभूत परीक्षण समाहित था।

- नए राजस्व लेखाविधि के मानकों को लागू करने में आंतरिक नियंत्रण के खाके का मूल्यांकन किया गया
- सतत एवं नवीन अनुबंधों में से कुछ प्रतिदर्श चयनित किए गए तथा विशिष्ट परिचालनात्मक प्रभावकारिता तथा मूल्य निर्धारण से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का परीक्षण किया। इन आन्तरिक नियंत्रणों के परिचालन के सम्बन्ध में हमने एक संयोजित कार्यविधि संचालित की जिसमें पूछताछ व निगरानी, पुनर्निष्पादन व निरीक्षण का समावेश था।
- अनुबंध एवं तत्सम्बन्धी सूचनाओं से सम्बद्ध प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पंहुच व परिवर्तन प्रबंध नियन्त्रण का परीक्षण किया जिनका उपयोग नवीन लेखा–विधि मानक के अनुसार राजस्व के अभिलेख न एवं प्रकटन में किया जाता है।
- सतत अनुबंधों के प्रतिदर्श चयनित किए तथा निम्न प्रक्रिया का पालन किया।
- इन अनुबंधों मे विशिष्ट निष्पादन दायित्वों का अध्ययन, विश्लेषण तथा निर्धारण किया।
- इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कम्पनी द्वारा निर्धारित व अभिलेखित निष्पादन दायित्वों से किया।
- समय एवं सामग्री के अनुबंधों से अभिलेखित राजस्व के

  प्रतिदर्शों का अनुमोदित समय पत्रों के समुच्चयके साथ ही ग्राहकों में स्वीकार्यता, अनुवर्त्ती बीजकन, संग्रहण व विवादों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए परीक्षण किया गया।

  - स्थिर मूल्य अनुबंधों के प्रतिदर्शों के सन्दर्भ में, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि में प्रगति, जिसका उपयोग अभिलेखित राजस्व की गणना के लिए किया जाता है, का मिलान वास्तविक एवं समयाभिलेखन एवं बजटिंग प्रणालियों में अनुमानित प्रयासों के साथ किया गयाद्य हमने इन्हीं प्रणालियों से सम्बद्ध पहुँच व बदलाव प्रबंध नियंत्रण का भी परीक्षण किया।
  - वर्ग एवं सेवा प्रस्तावों के आधार पर विघटित राजस्वों के प्रतिदर्श का परीक्षण सम्बन्धित अनुबंधों में उल्लेखित

	निष्पादन दायित्वों के साथ किया गया • .वर्ग एवं सेवा प्रस्तावों के माध्यम से प्रकटित राजस्वों की तर्कसंगतता परखने हेतु विश्लेषणात्मक विधि का निष्पादन किया। • हमने सूचना के अनुक्रमण तथा बजटिंग प्रणाली, (जिसका उपयोग तुलन पत्र तिथि के उपरान्त पूर्ण किये जाने वाले बचे हुए निष्पादन दायित्वों की उस अवधि के प्रकटन हेतु किया जाता है जिसके दौरान उन दायित्वों को पूर्ण किया जावेगा) से जनित प्रतिवेदन के तर्क का पुनरवलोकन किया।

Lo&lEi.k foÙkh; foojf.k;k d vfrfjä lpuk, rFkk mu ij vd{kdk dk çfronu%

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधकीय विचार विमर्शों तथा विश्लेषणों में शामिल सूचनाएं, मंडल प्रेतिवेदन– अनुल्नकों समेत, व्यवसाय उत्तरदायित्व प्रतिवेदन, निगमित शासन–विधि तथा अंशधारकों की सूचनाएं शामिल हैं किन्तु स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियां तथा उन पर हमारे अंकेक्षक का प्रतिवेदन शामिल नहीं है।

स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों पर हमारे द्वारा प्रस्तुत अभिमत अन्य सूचनाओं को आवृत नहीं करता तथा हम उन पर किसी भी रूप में कोई निर्णयात्मक आश्वस्ति अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं ।

हमारे द्वारा स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के अंकेक्षण के सन्दर्भ में हमारा दायित्व था कि हम अन्य सूचनाओं का वाचन करें एवं ऐसा करते वक्त हम विचार करें कि कहीं अन्य सूचनाएं तथ्यात्मक रूप से स्व–सम्पूर्ण वितीय विवरणियों से असंगत तो नहीं हैं अथवा, अंकेक्षण के दौरान अथवा उपरान्त / पूर्व में हमारे संज्ञान में आई बातों का तथ्यात्मक रूप से अशुद्ध वर्णन तो नहीं किया गया ?
यदि, हमारे द्वारा निष्पादित अंकेक्षण कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन 'अन्य सूचनाओं' में तथ्यात्मक रूप से विसंगतियाँ हैं, तो हमें उन्हें प्रकटित करना होगा।

bl fo"k; e ge dN ?kkf"kr ugh djuk gA

Lo&lEi.k foÙkh; foojf.k;k d fy, çc/ku d mÙkjnkf;Ro

इन स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों, जो कम्पनी के वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, अन्य समग्र आय, अंश पूंजी में परिवर्तन तथा नकद प्रवाह की भारतीय लेखा–विधि मानक तथा भारत में सामान्यतरू मान्यता प्राप्त अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक स्वच्छ छवि प्रस्तुत करती है, को तैयार किये जाने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उद्धृत प्रावधानों के लिए कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है ।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की आस्तियों के संरक्षण, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पतासाजी तथा रोकथाम के लिए पर्याप्त लेखाभिलेखों का रखरखाव, उपयुक्त लेखा पद्धतियों का चयन एवं क्रियान्वयन, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान तथा पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों का खाका तैयार कर उन्हें अमल में लाना एवं उनका रखरखाव ताकि वे प्रभावकारी ढंग से क्रियाशील रहें और सटीक एवं समग्र लेखाभिलेखों को सुनिश्चित किया जा सके जो भारतीय लेखा विधि मानकों पर आधारित स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों की तैय्यारी एवं प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों तथा जो एक सत्य एवं स्वच्छ दृश्य प्रदान करे तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण सम्भावित तथ्यात्मक अशुद्धियों से मुक्त हों।

Lo&lEi.k foÙkh; foojf.k;k d fy, vd{kdk d mÙkjnkf;Ro

हमारा उद्देश्य है, स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के विषय में एक तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना कि वे एक मुश्त रूप में तथ्यात्मक अशुद्धियों से, चाहे वे धोखाधड़ी की वजह से हों अथवा त्रुटि की वजह से, मुक्त हैं तथा हमारे अभिमत से युक्त एक अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करना। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किन्तु प्रतिभूति नहीं कि एक अंकेक्षण, जो लेखा विधि मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है, सदैव ही किसी तथ्यात्मक अशुद्ध कथन को अन्वेषित कर ही लेगा, जब वह मौजूद हो। अशुद्ध मिथ्या कथन धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और, एकल अथवा समग्र रूप में यदि यह तार्किक रूप से सम्भव हो कि वे उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णयों को, जिन्हें इन स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियो के बल पर लिया गया था, प्रभावित कर सकें, तो इन्हें तथ्यात्मक रूप से गंभीर माना जाता है।

लेखाविधि मानकों के अनुरूप संचालित अंकेक्षण के अभिन्न अंग के रूप में हम पूरे अंकेक्षण के दौरान एक व्यावसायिक निर्णयात्मकता का अभ्यास

करते हैं तथा एक व्यावसायिक संशयात्मकता रखते हैं। हम अंकेक्षण के दौरान निम्नानुसार भी करते हैं।

स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों में तथ्यात्मक मिथ्या–कथनों, चाहे धोखाधड़ी जनित हों अथवा त्रुटि जनित हों, की पहचान करते हैं, उन जोखिमो के प्रति अनुक्रियाशील खाके तैयार करते हैं, अंकेक्षण विधियों का निष्पादन करते हैं तथा ऐसे अंकेक्षण प्रमाण हासिल करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं सटीक हों। धोखाधड़ी जनित तथ्यात्मक मिथ्या कथन को उजागर न किया जाना अधिक बड़ा जोखिम है, बनिस्ब्द त्रुटि जनित तथ्यात्मक मिथ्या कथन को उजागर न किये जाने के जोखिम से, चूंकि धोखाधड़ी में आपसी सांठ–गांठ, कूटरचना, जानबूझ कर नजरअंदाज कर देना, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आन्तरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

अंकेक्षण के प्रसंग में आतंरिक नियंत्रणों की समझ हासिल करना ताकि परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण की उपयुक्त रूप रेखा तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(I) के तहत हम कम्पनी द्वारा पर्याप्त आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा इन नियंत्रणों की प्रभावकारी क्रियाशीलता पर भी अभिमत प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अपनाई गई लेखाविधि सिद्धांतों की उपयुक्तता एवं लेखानुगत अनुमानों की तर्कसंगतता तथा इस सम्बन्ध में प्रबंधन द्वारा किय गए प्रकटनों का मूल्यांकन करते हैं।

प्रबंधन द्वारा चलित प्रतिष्ठान पर आधारित लेखा विधि के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा हासिल किये गए अंकेक्षण प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि घटनाओं अथवा परिस्थितियों के सन्दर्भ में तत्वसार अनिश्चितता विद्यमान है, जो कम्पनी के एक चलित प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की क्षमता के विषय में विशिष्ट शंका उत्पन्न करती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तत्वसार अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें हमारे अभिमत को परिष्कृत करने के लिए अंकेक्षक के प्रतिवेदन में स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के सम्बद्ध प्रकटनों पर ध्यान आकृष्ट करना होगा, यदि वे प्रकटन अपर्याप्त हों। हमारे निष्कर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन की तिथि तक एकत्रित किये गए अंकेक्षण प्रमाणों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं अथवा परिस्थितियाँ कम्पनी को चलित प्रतिष्ठान न बने रहने की स्थिति तक प्रभावित कर सकती हैं।

स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों की सम्पूर्ण प्रस्तुति, संरचना तथा तथ्यों का प्रकटन समेत मूल्यांकन तथा इस बात का आंकलन कि स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियां सम्बन्धित संव्यवहारों तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाती हैं कि एक विशुद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित हो।

तत्वसारता ही स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के मिथ्या–कथनों का परिमाण है जो, एकल तौर पर अथवा समग्र रूप से सम्भावित करता है कि वित्तीय विवरणियों के एक जानकार उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया जा सकता है । हम (I) हमारे अंकेक्षण कार्य की व्यापकता सुनिश्चित करने और हमारे कार्य के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए तथा (II) उजागर किये गए किसी अशुद्ध/मिथ्या कथन का वित्तीय विवरणियों में प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय तत्वसारता तथा गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं ।

हम उन्हें, जो प्रशासन के प्रभारी हैं, अन्य विषयों के साथ साथ चरणबद्ध अंकेक्षण कार्य के दायरे व अंकेक्षण कार्य के समय की सूचना देते हैं तथा महत्वपूर्ण निष्कर्षों, जिनमें अंकेक्षण के दौरान आतंरिक नियन्त्रण में पता लगाए गए महत्वपूर्ण खामियां भी शामिल हैं, को भी सूचित करते हैं। प्रशासन प्रभारियों को हम एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने निष्पक्षता से सम्बद्ध नैतिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह कि सभी सम्बन्धों एवं अन्य विषयों, जिनके विषय में तार्किक तौर पर यह माना जा सकता है कि हमारी निष्पक्षता पर असर करेंगे, तथा जहां लागू हो, तत्सम्बन्धी संरक्षण ।

प्रशासनिक प्रभारियों को सूचित विषयों में से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्त्तमान अवधि के स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों के अंकेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे तथा फलस्वरूप अंकेक्षण के मूल तत्व हैं। हम इन मूल विषयों का वर्णन हमारे अंकेक्षक के प्रतिवेदन में करते हैं, बशर्ते विधि अथवा नीतियाँ इन विषयों के सार्वजनिक प्रकटन को प्रतिबंधित न करें । अथवा जब, अत्यधिक अपूर्व परिस्थिति में हम तय करते हैं कि किसी विषय को हमारे प्रतिवेदन में सूचित नहीं करना है क्यों कि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम तर्कसंगत रूप से सार्वजनिक हित में सूचित कर दिए जाने के लाभ से कहीं अधिक वजनी हैं।

vU; oS/kkfud ,oa fu;ked vko';drkvksa ij çfrosnu

1. अन्य विषयों, जिन्हें अंकेक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(5) के तहत तथा हमारे द्वारा कम्पनी के बही खातों व अभिलेखों के परीक्षण सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत सिद्धांतों तथा हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर हम "अनुलग्नक–अ" में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों में उल्लेखित विषयों पर वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं।

2. कम्पनी (अंकेक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश"), यथा संशोधित, भारत शासन द्वारा जारी, अधिनियम की धारा 143, उप धारा 11 के अनुसार हम "अनुलग्नक–ब", आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में उल्लेखित विषयों पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

अ) हमने सभी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों की मांग की तथा प्राप्त किया, जो कि हमारी उत्तम सूचनाओं तथा धारणाओं के अनुसार अंकेक्षण कार्य हेतु आवश्यक थीं।

ब) हमारे मतानुसार, कम्पनी द्वारा वैधानिक रूप से अनिवार्य उचित लेखा पुस्तकों का रखरखाव अब तक किया गया हो, जैसा कि उन पुस्तकों के हमारे

परीक्षण से प्रतीत होता है।

स) तुलन प्त्र, लाभ हानि विवरणी, अन्य समग्र आय समेत, अंश पूंजी में परिवर्तन की विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी, जिनका उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, सम्बन्धित बही खातों से मेल खाते हैं।

द) हमारे मतानुसार, उपरोक्त स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियां भारतीय लेखाविधि मानकों जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 133, सहपठित, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत किया गया है, के प्रावधानों का अनुपालन करते हैं।

इ) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2), यानि संचालकों के अनर्हता पर लिखित अभ्यावेदन, शासकीय कम्पनी पर लागू नहीं।

फ) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इन नियंत्रणों की निष्पादनीय दक्षता, कृपया हमारे पृथक प्रतिवेदन "अनुलग्नक–स" का सन्दर्भ लें। हमारा प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इन नियंत्रणों की निष्पादनीय दक्षता पर एक अपरिष्कृत मत अभिव्यक्त करता है।

ज) अन्य विषयों के सन्दर्भ में, जिन्हें अधिनियम की धारा197 (16), यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना हैः

हमारे मतानुसार तथा हमारी उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

ह) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम,2014, यथा संशोधित, हमारे मतानुसार तथा हमारी उत्तम सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

I. कम्पनी ने लंबित वैधानिक प्रकरणों का अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटन अपने स्व–सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियों में किया है।

ii. कम्पनी दवारा, लागू नीतियों या लेखाविधि मानकों में निहित शर्त्तों के अनुसार दीर्घावधि अनुबंधों पर, व्युत्पन्न अनुबंधों समेत, भविष्य में सम्भावित भारी हानियों पर, यदि कोई हो, प्रावधान किया गया है।

iii. निवेशक शिक्षण तथा संरक्षण निधि में अंतरित किये जाने वाले राशियों के अंतरण में कम्पनी द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है।

okLr% y{eh rFkk ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkiky
,Qvkj,u % 009189lh

lgh@&
Lkh-,- y{eh ukjk;.k vxzoky
¼lk>snkj½
lnL;rk Øekad % 078427

LFkku % nqxZ
fnukad % 22@05@2019

Lor= vid{kd di çfronu dk vuiyXud&v

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼5½ di rgr Hkkjr di fu;=d ,oi egkys[kkijh{kd ¼lh, th½ di funs'k

Øekd	funs'k	çR;Uqkj
01-	क्या कम्पनी में समस्त लेखाविधि संव्यवहारों को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) प्रणाली से प्रसंस्कृत करने हेतु प्रणाली स्थापित है? यदि हाँ, तो लेखाविधि संव्यवहारों का आई .टी. प्रणाली से बाहर प्रसंस्करण का खातों की अखंडता पर प्रभाव साथ ही वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, प्रकट किये जांय।	एफ.एस.एन.एल. सभी लेखाविधि संव्यवहारों को एकीकृत लेखाविधि समुच्चय (integrated accounting package) यानि फास्ट ("FAST") पैकेज के माध्यम से प्रसंस्कृत करती है। कंपनी के पास दो पृथक आई.टी. पैकेज भी मौजूद हैं (1) भुगतान पंजी तथा (2) वस्तु सूची (इन्वेंटरी) जिन्हें एक संयुक्त उपक्रम के माध्यम से एकीकृत किया गया है। भुगतान पंजी एवं इन्वेंटरी से सम्बद्ध समस्त वित्तीय आंकड़े एकीकृत लेखाविधि समुच्च (FAST इन्टीग्रेटेड एकाउंटिंग पैकेज) में सम्मिलित हैं।
02-	क्या वर्त्तमान में मौजूद कम्पनी द्वारा लिए गए किसी ऋण का पुनर्गठन हुआ है ? अथवा कम्पनी द्वारा लिए गए किसी कर्जऋण/ब्याज इत्यादि को वापस अदा नहीं कर पाने की वजह से माफ की गई है। बट्टे खाते में प्रेषण की गई हैं? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव प्रकट करें।	एफ.एस.एन.एल. वित्त वर्ष वर्ष 2018–2019 के दौरान द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है। अतः किसी ऋण का पुनर्गठन नहीं हुआ है, न ही कम्पनी द्वारा लिए गए किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि को वापस अदा नहीं कर पाने की वजह से किसी प्रकार की कर्ज माफी/बट्टे खाते में प्रेषण की गई है।
03-	क्या किसी निश्चित योजना के लिए केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अभिकरणों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का, अंतर्निहित नियम एवं शर्त्तों के अनुसार समुचित लेखा–जोखा रखा गया है/उपयोग कर लिया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें	वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान एफ .एस.एन.एल. द्वारा किसी निश्चित योजनान्तर्गत केन्द्रीय/राज्य स्तरीय अभिकरण से कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–ब

¼leku rkjh[k rd Qjk LØi fuxe fyfeVM d lnL;k dk gekjh fjikV d vU; dkuuh vkj fu;ked vko';drkvk ij fjikV d rgr ijkxkQ 2 e lnfHkr g½

1. कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में.

(क) कंपनी द्वारा परिमाणात्मक विवरणों एवं स्थाई संपत्तियों की अवस्था को दर्शाते हुए उचित अभिलेख निर्वहित किए गए हैं।

(ख) कंपनी के पास निश्चित परिसंपत्त्यिों के सभी मदों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ती की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के लिए, कुछ अचल संपत्तियों को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टिकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) कंपनी के पास अपनी कोई निजी अचल संपत्ति नहीं है, जबकि पट्टे के अचल संपत्तियों का पट्टा (स्वामित्व) विलेख कंपनी के नाम पर है।

2. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान नियमित अंतराल में भण्डार सामग्रियों की भौतिकीय जांच की गई है। कंपनी के पास भण्डार सामग्रियों का यथोचित अभिलेख है। हमारी नजर में, भण्डार सामग्रियों के भौतिकीय जांच में पाई गई विसंगतियों का कंपनी के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं है, एवं इनका लेखा बहियों में उचित उल्लेख किया गया है।

3. प्रदत्त जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा, किसी भी कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पक्षो, जो कंपनी अधिनियम, 2013(''अधिनियम'') की धारा 189 के अंतर्गत विहित रजिस्टर में उल्लेखित हैं, को काई प्रतिभूतित अथवा अप्रतिभूतित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के मद 3(3)(ए) से (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, अतएव इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

4. हमारी नजर में, तथा हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण, गारंटी एवं प्रतिभूति के संबंध में कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है।

5. कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से जमा राशि स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2019 तक कोई अतिरिक्त जमा नहीं है, इसलिए, आदेश के भाग 3 (V) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6. कंपनी द्वारा किए गए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश के धारा 3 (VII) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

7. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सांविधिक देय राशि के संबंध में:

(अ) हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखा पुस्तिकाओं एवं अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए जांच के अनुसार, कंपनी द्वारा भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, मूल्य संवर्धन कर (वैट), संपत्ति कर, सीमा–शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर एवं अन्यअविवादित वैधानिक देय राशियों को संबंधित प्राधिकारियों के पास सामान्यतया नियमित रूप से, जहाँ भी लागू हो, जमा कराया गया है।

(ब) प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री संविधिक देय राशि के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2019 को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था। तारीख से वे देय हो गए।

(स) हमें प्रदत्त सूचना के अनुसार विवादित वैधानिक बकाया राषि, जिनका भुगतान नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैः–

vf/kfu;e dk uke	cdk;k jkf'k dk fooj.k	jkf'k ¼yk[k :i;k e½	cdk;k jkf'k dh lcaf/kr vof/k	okDihB tgk fookn yafcr g
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	डुबुरी युनिट में ''कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज'' पर सेवा कर, जैसा कि सुपेट द्वारा मांग किया गया था। सेंट्रल एक्साइज के, जयपुर, (भुगतान किया गया)	83.13	अक्टूबर, 2003 से अप्रैल, 2004	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, रांची द्वारा आदेशानुसार बोकारो इकाई में '' व्यापार सहायक सेवाओं'' पर सेवा कर	722.11	10.09.2004 से 28.02.2005 और 01/02/2008 से 31/03/2010	आयुक्त, रांची आयुक्त , जमशेदपुर
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	अतिरिक्त आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, बोलपुर और सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम, आसनसोल द्वारा आदेश के अनुसार बर्नपुर इकाई में ''व्यापार सहायक सेवाएं'' पर सेवा कर	212.70	अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2006 और सितम्बर, 2004 से मार्च, 2005	आयुक्त, (अपील), कोलकाता अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, रायपुर द्वारा मांग के अनुसार भिलाई यूनिट में ''कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज'' पर सेवा कर	315.63	अगस्त, 2002 से जून, 2006	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता, नई दिल्ली)

vf/kfu;e dk uke	cdk;k jkf'k dk fooj.k	jkf'k ¼yk[k :i;ks esa½	cdk;k jkf'k dh lcaf/kr vof/k	okDihB tgka fookn yafcr gS
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर द्वारा मांग की गई डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैंडलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर	445.24	मई, 2004 से मार्च, 2007	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र धातु इस्पात संयंत्र में ''कार्गो हैंडलिंग सेवाओं'' और ''व्यापार सहायक सेवाओं'' पर सेवा कर	2821.86	सितम्बर, 2004 से नवंबर, 2008, और अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ''व्यापार सहायक सेवा'' पर सेवा कर	831.48	अप्रैल, 2008 से मई, 2009 और जून, 2009 से सितम्बर, 2009	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, भुवनेश्वर द्वारा मांग के अनुसार डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज'' पर सेवा कर	231.71	अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलपुर द्वारा मांग के अनुसार दुर्गापुर इकाई में ''व्यापार सहायक सेवाओं'' पर सेवा कर	239.72	अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर द्वारा मांग की गई डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैंडलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर	278.70	अप्रैल, 2007 से मार्च , 2009	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)

vf/kfu;e dk uke	cdk;k jkf'k dk fooj.k	jkf'k ¼yk[k :i;k esa½	cdk;k jkf'k dh lacf/kr vof/k	okDihB tgka fookn yafcr gS
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर द्वारा मांग की गई डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज'' पर सेवा कर	35.79	अक्टूबर, 2010 से मार्च, 2015	अपीलीय प्राधिकारी, (सीईएसटीएटी, कोलकाता)
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	आयुक्त, सेवा कर, मुंबई द्वारा मांग के रूप में डोलवी इकाई में ''व्यापार सहायता सेवा'' पर सेवा कर।	103.32	2009–10, 2010–11 और 2012–13	आयुक्त अपील, रायगढ़
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	बोकारो यूनिट में डी–एस्कलेशन पर सेवा कर की देयता के अतिरिक्त सेनवैट उपयोग और समायोजन पर सेवा कर	14.42	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016	आयुक्त अपील, रांची
वित्त अधिनियम,1994 (वर्तमान तक यथा संशोधित)	सेल द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन के मूल्य पर सेवा कर–बोकारो से एफएसएनएल को असिस्टेंट आयुक्त, सीजीएसटी और सीएक्स डिवीजन–1, बोकारो द्वारा मांग	13.33	अप्रैल, 2015 से जून, 2017	आयुक्त अपील, रांची
ओड़िशा बिक्री कर अधिनियम, 1947	उड़ीशा बिक्री कर विभाग द्वारा मांग के अनुसार राउरकेला इकाई में बिक्री कर और प्रवेश कर के लिए	43.56	2002 –03	सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, कटक
पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	पश्चिम बंगाल विक्रय कर विभाग द्वारा मांग के अनुसार दुर्गापुर इकाई में बिक्री कर के लिए	2.94	2013–14	पश्चिम बंगाल सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल, कोलकाता

8. हमारी नजर में, तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा बैंकों की बकाया के भुगतान में कोई चूक नहीं की गई है। कंपनी द्वारा किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण भी नहीं लिया गया है, तथा कोई डिबेंचर भी जारी नहीं की गई है।

9. अपनाई गई लेखा परीक्षण विधि एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी द्वारा प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर अथवा अनुवर्ती पब्लिक ऑफर एवं ऋण दस्तावेज तथा सावधिक ऋण आदि के जरिए धन अर्जन नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के मद 3(9) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं, अतएव इस पर टिप्पणि नहीं की गई है।

10. अपनाई गई लेखा परीक्षण विधि एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, यही उल्लेखित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कंपनी के द्वारा अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई धोखधड़ी न तो की गई और न ही पाई गई।

11. अपनाई गई लेखा परीक्षण विधि एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का प्रावधान अथवा भुगतान, कंपनी अधिनियम की अनुसूचि–5 की धारा 197 में निहित प्रावधानों के अनुरूप वांछित अनुमोदन के द्वारा किया गया है।

12. हमारे विचार में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतएव, आदेश के मद 4(12) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

13. हमारे विचार में, संबंधित पक्षों के साथ समस्त व्यवहार, कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप किए गए हैं, तथा इनका विवरण यथा प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों में उल्लेखित हैं।

14. अपनाई गई लेखा परीक्षण विधि एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अंशों का अधिमान्य आबंटन या निजी नियोजन, अथवा पूर्ण या पार्श्व रूप से परिर्वतनीय डिबेंचर नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(14) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, अतएव इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

15. अपनाई गई लेखा परीक्षण विधि एवं प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी निदेशक अथवा उनसे संबद्ध किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–नकदी व्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3 (15) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, अतएव इस पर टिप्पणि नहीं की गई है।

16. हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत कंपनी के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, एवं तदनुसार, आदेश की धारा 3(16) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, अतएव इस पर टिप्पणी नहीं की गई हैं।

okLr y{eh rflr ,M ,lkfl,V~l
lunh y[kkiky
,Qvkj,u % 009189lh

lgh@&
Lkh-,- y{eh ukjk;.k vxokY
¼lk>nkj½
lnL;rk Øekd % 078427

LFkku % nx
fnukd % 22@05@2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक के समदिनांकित प्रतिवेदन का अनुलग्नक–स

(अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद 1 (एफ) में संदर्भित हमारी रिपोर्ट के सदस्यों के लिए फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए भी)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के मद 1 के तहत
<u>आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन</u>

हमारे द्वारा फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (''कंपनी'') का दिनांक 31 मार्च, 2019 की तारीख पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय विवरणों का, उस तारीख पर समाप्त कंपनी के वित्तीय विवरणों के परीक्षण के साथ संयोजित परीक्षण किया गया।

vkrfjd foRRkh; fu;=.k gr ic/ku dh tokcngh

कंपनी का निदेशक मंडल, जो भारत में सम्मिलित कंपनी है, वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निदेशन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों के अनुरूप, कंपनी द्वारा विहित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों के आधार पर वित्तीय नियंत्रण का प्रयोग जारी रखने के लिए जवाबदेय हैं। इन जवाबदेहियों में, कंपनी अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के अनुरूप अभिकल्पन, कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन की सुनिश्चतता हेतु प्रयुक्त किए गए समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निरंतर प्रयोग, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का संरक्षण, धोखा एवं त्रुटियों की पतासाजी व रोकथाम, लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता एवं संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय विवरणों का सामयिक प्रस्तुति आदि शामिल हैं।

y[kk ijh{k.k dh tokcngh

हमारी जवाबदेही, वित्तीय प्रतिवेदन हेतु कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपने लेखा परीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रयोज्य आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10), दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर प्रयोज्य, के अंतर्गत विहित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा मानकों के संबंध में जारी निर्देशन नोट (''निर्देशन नोट'') के अनुरूप किया गया है, दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत हैं।

हमने अधिनियिम के प्रावधानों, लेखा एवं अंकेक्षण मानकों तथा उन विषयों को, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसमें निहित नियमों के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अपेक्षित हैं, को शामिल किया गया।

हमने अपना लेखा परीक्षण कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित किया है। उन मानकों के लए अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करें तथा उसके बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने उपाय और लेखा परीक्षण करें कि क्या वित्तीय विवरणियां तात्विक विसंगतियों से मुक्त है।

अंकेक्षण प्रक्रिया पद्धति में वित्तीय विवरणों मे राशि के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य एवं प्रकटीकरण प्राप्त करना शामिल किया जाता है। चयनित प्रक्रियाएं क्या धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से वित्तीय विवरणियों को तात्विक विसंगतियों के जोखिमों के निर्धारण सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है उन जोखिमों का आंकलन करने में लेखा परीक्षक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के उद्देश्य से कंपनी की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं कि वह परिस्थितियो में उपयुक्त हैं किन्तु कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता का वित्तीय रिपोर्ट पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखा परीक्षण में उपयोग किये गए लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन तथा कंपनी निदेशकों द्वारा निर्धारित लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

foRrh; ifronu ij vkrfjd foRrh; fu;=.k dk rkRi;

किसी कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे इस तरह आकल्पित किया गया है जिससे वित्तीय प्रतिवेदनों की तथा बाह्य आवश्यकताओं के लिए सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई

विवरणियां की विश्वसनीयता के विषय में उचित आश्वासन दी जा सके। किसी कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों व कार्यविधियों का समावेश होता है जोः

(1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बद्ध हों जिनसे कम्पनी के संव्यवहारों तथा आस्तियों की निवृत्तियों के विषय में तर्कसंगत विस्तार, शुद्धता तथा निष्पक्ष प्रकटन हो सके।

(2) पर्याप्त आश्वासन दे सकें कि वित्तीय विवरणियों को सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतो के अनुरूप तैयार करने हेतु आवश्यक सभी संव्यवहारों को अभिलेख किया गया है तथा कम्पनी की प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रबंधन व निदेशकों से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुरूप ही किया जा रहा है।

(3) आस्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निवृत्ति, की रोकथाम अथवा ऐसे किसी अनाधिकृत प्रयास को समय से उजागर कर सकने के विषय में पर्याप्त आश्वासन दे सकें जिनका कम्पनी के वित्तीय विवरणियों पर प्रभावकारी असर पड़ सकता होः

foRRkh; i=frosnu ij vkarfjd foRrh; fu;a=.k dh vUrfuZfgr lhek,a

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण, साथ ही, आपसी घाल–मेल अथवा नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधकीय उल्लंघनों के चलते, त्रुटिवश अथवा धोखाधड़ी की नीयत से दोषपूर्ण विवरणियों की प्रस्तुति सम्भव है, जिन्हें खोजा नहीं जा सकता। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रण में किसी मूल्यांकन का भावी अवधि के लिए अनुमान जोखिमपूर्ण हो सकता है चूंकि वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिवर्तित स्थितियों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश में क्षय हो सकता हैः

vfHker

हमारे विचार में, हमें दी गई सूचनाओं की उत्कर्षता तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर कम्पनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय प्रतिवेदनों हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपलब्ध हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 की स्थिति में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ''वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण'' नामक संहिता में उद्धत आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अंगो को ध्यान में रखते हुए। कम्पनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु स्थापित मानदेडों के आधार पर प्रभावकारी ढ़ग से परिचालित थे।

okLrs y{eh rfIr ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkikky
,Qvkj,u % 009189lh

lgh@&
Lkh-,- y{eh ukjk;.k vxzoky
¼lk>snkj½
InL;rk Øekad % 078427

LFkku % nsgx
fnukad % 22@05@2019

fnukd 31 ekp] 2019 dk lekIr o"k gr Qjk LØi fuxe fyfeVM d foÙkh; foojf.k;k ij dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143 ¼6½ ¼c½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;k

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वित्तीय प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत वित्तीय संसूचनाओं के प्रकटनार्थ निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप तैयार करवाना कम्पनी प्रबंधन का कर्तव्य है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) में उद्धृत अंकेक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अंकेक्षण के आधार पर अपने मतों को उक्त अधिनियम की धारा 143 के अतर्गत उजागर करने हेतु उत्तरदायी हैं। उन्होंने तदनुसार किया है, ऐसा उनके द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22 मई, 2019 में प्रकटीकृत है।

मेरे द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का पूरक अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143 (6) (अ) के तहत किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण स्वतंत्र रूप से, वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रयुक्त टीकेधटिप्पणियों से युक्त कागज पत्रों को संज्ञान में न लेते हुए किया गया है। तथा यह प्राथमिक तौर पर अंकेक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों से पूछे गए प्रश्नों एवं कुछ लेखाभिलेखों के चुनिन्दा परीक्षण तक सीमित है।

मेरे द्वारा निष्पादित पूरक अंकेक्षण के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण तथ्य मेरे संज्ञान में नहीं आई है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ब) के अंतर्गत वैधानिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन पर किसी टिप्पणी अथवा परिशिष्ट को जन्म दे।

कृते व भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्फत

सही/–

(इंदु अग्रवाल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक अंकेक्षण एवं
पदेन सदस्य, अंकेक्षण मंडल, रांची

स्थान : रांची
दिनांक : 15 जुलाई, 2019

ifrHkk [kMyoky ,.M ,lkfl;V~l
diuh lfpo

ii= d-,evkj&3
lfpoh; y[kk ijh{kk ifronu

31 ekp] 2019 dk lekIr foRr o"k d fy,

diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 204¼1½ ,o diuh¼fu;fDr ,o ikfjJfed dkfed½fu;ekoyh] 2014½ d fu;e 9 d vuqlj.k e

सेवा में,
सदस्यगण,
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,
सीआईएन : यू27102सीटी1989जीओआई005468,
एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक,
सेन्ट्रल एवेन्यू, भिलाई, जिला–दुर्ग
छत्तीसगढ़ 490001

प्रिय महोदय,

मैंने फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (कंपनी) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुसरण तथा कुशल कार्पोरेट प्रेक्टीस के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया। सचिवीय लेखा परीक्षण इस प्रकार किया गया जो मुझे निगमित व्यवहार, सांविधिक अनुसरण के मूल्यांकन करने एवं इन पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु उचित आधार प्रदान किए।

सचिवीय लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी के खातों, कागज़ात, कार्यवृत, प्रपत्र, दायर विवरणी, कंपनी के अन्य अभिलेखों, अधिकारी, एजेंट तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर मैं एतत्द्वारा प्रतिवेदित करता हूं कि मेरे विचार से, दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षण अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अधोवर्णित सांविधिक प्रावधानों का अनुसरण किया गया है, तथा कंपनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रिया एवं अनुसरण क्रियावली इस तरह लागू है, जैसा एवं जिस रूप में आगे प्रतिवेदित है :

मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों, कागज़ात, कार्यवृत, प्रपत्र, दायर विवरणी, एवं कंपनी के अन्य अभिलेखों की जांच की जो निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत विहित नियम।

2. इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीस ऑफ इण्डिया (आईसीएसआई) द्वारा निदेशक मंडल बैठकों एवं आम बैठकों हेतु जारी सचिवीय मानक।

3. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय(डीपीई दिशा निर्देश) द्वारा लोक उद्यमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस 2010 के तहत जारी दिशा निर्देश।

4. औद्योगिक एवं श्रम कानून के तहत कारखाना अधिनियम, 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972, संविदा श्रमिक (नियमन व समापन) अधिनियम, 1970, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की सूचना की अनिवार्यता) अधिनियम, 1959।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित विनिमय और दिशा–निर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनिमय, 1992 को छोड़कर एफएसएनएल पर लागू नहीं है।

6. प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और उनके नियम।

Qjk LØi fuxe fyfeVM एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। बोर्ड की संरचना हैवी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय(डीपीई दिशा–निर्देश) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए कारपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार है।

सचिवालय मानकों के अनुसार बोर्ड मीटिंग्स को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को एजेंडा के साथ पर्याप्त सूचना दी जाती है और कम अवधि के लिए सूचना या एजेंडा प्रेषण के सभी उदाहरण बोर्ड/समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए थे और मिनटों में दर्ज किए गए थे। इसके अलावा बैठक से पहले एजेंडा, वस्तुओं पर और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय, परिसंचरण के माध्यम से अनुमोदित प्रस्तावों सहित बहुमत के आधार पर किया गया था और सदस्यों के विचारों को असंतोशित किया गया था जहां कोई भी मिनटों के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए यक फॉर्म दायर किए हैं और कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ रिटर्न दाखिल किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं।

मैंने कंपनी के लिए लागू विभिन्न कानूनों के तहत दायर रिटर्न की जांच की है (जैसा कि उपरोक्त प्वाइंट iv में उल्लिखित है) और परीक्षण जांच के आधार पर मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के पास लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास उचित प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर होने वाली कोई अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्यरत नहीं हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशा–निर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधानों का पालन किया है :–

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार और वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 43 के अनुसार, कंपनी ने रू. 66.81 लाख की राशि सीएसआर की ओर रू. 10.04 लाख राशि भुगतान किया तथा रू. 56.77 लाख की शेष राशि का भुगतान 31.03.2019 को किया जाना था।

2. 1990 से 1999 के बीच बनाए गए एफएसएनएल के आरोपों के संबंध में कंपनी द्वारा चार्ज संतुष्टि फार्म दाखिल नहीं किए गए हैं। इसलिए, ये शुल्क अभी भी एमसीए पोर्टल पर प्रभाव के सूचकांक में दिखाई देते हैं।

3.ऑडिट के दौरान किए गए परीक्षण जाँच परीक्षाओं के आधार पर, यह देखा गया कि एफएसएनएल के राउरकेला इकाई द्वारा जारी किए गए कर चालान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 (3) के तहत आवश्यक रूप से पंजीकृत कंपनी के कार्यालय के संबंध में आवश्यक खुलासे नहीं हैं।

4.कंपनी ने एफडीआर के खिलाफ ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्राप्त की हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के तहत आवश्यक है कि कंपनी ने ऐसी ओवरड्राफ्ट सुविधा पर शुल्क नहीं बनाया है।

वास्ते प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

सही / –

प्रतिभा खंडेलवाल
स्वत्वधारी
एफसीएस 7194
सीपी नं. 3973

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10.07.2019

izfrHkk [kaMsyoky ,.M ,lksfl;sV~l
daiuh lfpo

vuqyXud&1

सेवा में,
सदस्यगण,
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,

इस पत्र के साथ संलग्न तारीख की हमारी रिपोर्ट भी पढ़नी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. मैंने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थे। यह सत्यापन आधार पर किया गया था कि सच तथ्यों परिलक्षित होता है। हमारा मानना है कि हमारी प्रक्रियाओं के लिए उचित आधार प्रदान करने वाली प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

3. मैंने वित्तीय रिकॉर्ड और कंपनी के खातों की किताबों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का आयोजन किया है।

वास्ते प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सही/–

(प्रतिभा खंडेलवाल)
स्वत्वधारी
एफसीएस 7194
सीपी नं. 3973

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10.07.2019

foÙkh; o"kZ 2018&19 ds fy, lpkyd ds çfrosnu esa lfEefyu gsrq lfpoh; vads{k.k çfrosnu ds voyksdu ds lUnHkZ esa çca/ku dk çR;qÙkj

क्रमांक	अंकेक्षणावलोकन	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
1.	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा वित्तीय विवरणियों के टिप्पणी क्रमांक 43 के अनुसार कम्पनी ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के मद में रु .66.81 लाख खर्च किए जिसमे रु . 10.04 लाख का भुगतान कर दिया गया किन्तु शेष राशि, रु. 56.77 लाख, का भुगतान दिनांक 31.03.2019 पर्यन्त नहीं किया गया है।	सभी कारपोरेट सामाजिक दायित्व की परियोजनाएं पूर्ण कर दिनांक 31.03.2019 के पूर्व हस्तांतरित कर दी गईं थीं किन्तु कुछ देयकों का भुगतान दिनांक 31.03.2019 को होना शेष था चूंकि सम्बन्धित पक्षों को जारी कार्यादेशों के अंतर्गत अनुबंधित वाणिज्यिक शर्तों का उनके द्वारा अनुपालन लंबित था।
2.	वर्ष 1990 से 1999 के मध्य एफ.एस.एन.एल. पर निर्मित प्रभारों के सन्दर्भ में कम्पनी द्वारा प्रभार संतुष्टि पत्र दायर नहीं किए गए हैं। अतएव, ये प्रभार कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतरजाल पटल पर प्रभार से सम्बद्ध विषय सूची में अब भी प्रदर्शित हैं।	वित्तीय वर्ष 2018–19 की वित्तीय विवरणियों के अनुसार ये प्रभार लंबित नहीं हैं। तथापि, कम्पनी सम्बन्धित प्रभार धारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगी।
3.	अंकेक्षण के दौरान किये गए नमूना–जांच परीक्षणों के आधार पर यह देखा गया कि एफ.एस.एन.एल. की राउरकेला इकाई द्वारा जारी कर–बीजकों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 (3) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के पंजी कृत कार्यालय के विषय में अपेक्षित प्रकटीकरण समाविष्ट नहीं हैं।	राउरकेला इकाई द्वारा माह अप्रेल, 2018 से जून, 2018 के दौरान प्रस्तुत बीजकों में भूलवश कम्पनी के पंजी कृत कार्यालय का पता दर्शाया नहीं गया थाद्य माह जुलाई, 2018 एवं उसके पश्चात प्रस्तुत देयकों में कम्पनी के पंजी कृत कार्यालय का पता विधिवत् उल्लेखित किया जा रहा है।
4.	कम्पनी द्वारा अपनी मियादी जमाओं के विरुद्ध अधिविकर्ष की सुविधा ली गई है। किन्तु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी द्वारा इन अधिविकर्ष सुविधाओं पर प्रभार निर्मित नहीं कराया गया है।	एफ.एस.एन.एल. द्वारा अधिविकर्ष सुविधा बैंक में मियादी जमाओं की प्रतिभूति के विरुद्ध ली गई है अतरू मियादी जमाओं के माध्यम से शत प्रतिशत उपांत (मार्जिन) के एवज में प्रदान की गई अधिविकर्ष सुविधा हेतु बैंक द्वारा प्रभार निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है।

ii= Ø- ,e thVh & 9

okf"kd fooj.k dk lkj
31-03-2019 dk lekIr foÙkh; o"k d iHkko ij

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

1- ith;u ,o vU; fooj.k

सीआईएन	यू 27102सीटी1989जीओआई005468
पंजीयन तिथि	28.03.1979
संस्थान का नाम	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
संस्थान का वर्ग / उप–वर्ग	अंश पूंजी युक्त संस्थान
पजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेन्ट्रल एवेन्यू, पोस्ट बॉक्स–37, भिलाई, 490 001 दूरभाष : 0788–2222474 / 2222475 ई–मेल : fsnl.co@gov.in वेबसाईट : www.fsnl.nic.in
क्या सूचिबद्ध संस्थान है	नहीं
पंजीयक एवं स्थानांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो	निरंक

2- lLFkku d ie[k 0;kolkf;d fØ;kdyki

कंपनी की कुल बिक्री में 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाले सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों का विवरण दें :–

क्रम	प्रमुख उत्पाद / सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल बिक्री की प्रतिशतता
1	फीस अथवा निविदा आधार पर मेटल वेस्ट एवं स्क्रैप रिकवरी(पुनरचक्रण) – अन्य मिल सेवाओं के साथ लौह एवं इस्पात स्क्रैप तथा स्लैग हैन्डलिंग	9989	99.90
2	मालगोदाम सेवाएं	9967	0.05
3	संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित सेवा	–	0.05

1- /kkjd] lgk;dk ,o lc/k lLFkkvk dk fooj.k

Øe	lLFkku dk uke ,o irk	lhvkbZ,u@ thvkbZ,y	/kkjd@ lgk;dk @lc)	/kkfjr v'k dh if'krrk	i;kT; /kkjk
1	एमएसटीसी लिमिटेड 225–सी, ए.जे.सी.बोस रोड़, कोलकाता, 700–020	एल27320डब्लूबी1964जीओएल026211	धारक	100 प्रतिशत	2(46)

1- vi'k/kkj.k Lo:i ¼bfDoVh vi'k&iwath dy bfDoVh dh ifr'krrk dk fooj.k½
v½ vi'k/kkj.k dk oxZ

अंशधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या				दौरान प्रतिशतता में परिवर्तन
	डीमेट	फिसिकल	कुल	कुल अंश का प्रतिशत	डीमेट	फिसिकल	कुल	कुल अंश का प्रतिशत	
'k;j /kkjdksa dh Js.kh									
xSj&lLFkk,i vkSj fudk; dkiZ		32000000	32000000	100%	0	32000000	32000000	100%	निरंक
;ksx ¼d½¼1½	0	32000000	32000000	100%	0	32000000	32000000	100%	
2) विदेशी क) एनआरआई/ व्यक्ति ख) अन्य–व्यक्ति ग) निकाय कार्प. घ) बैंक/वित्तीय संस्था ङ.) कोई अन्य	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	– – – – –	निरंक
;ksx ¼d½¼2½	–	–	–	–	–	–	–	–	निरंक
;ksx¼iwoZorhZ dk dqy vi'k /kkj.k ¼d½= ¼d½¼1½ + ¼d½¼2½	0	32000000	32000000	100%	0	32000000	32000000	100%	निरंक
[k-yksd vi'k /kkj.k 1- lLFkku (ए)म्यूचुअल फन्ड (बी)बैंक/वित्तीय संस्था (सी) केन्द्र सरकार (डी) राज्य सरकारें (इ) उद्यम कैपिटल फन्ड (एफ) बीमा कंपनियां (जी) एफआईआई (एच) विदेशी उद्यम कैपिटल फन्ड (आई) अन्य (विवरण दें)	0	0	0	0	0	0	0	0	
;ksx ¼[k½¼1½	0	0	0	0	0	0	0	0	निरंक
2.गैर–संस्थान (अ)निकाय कार्प. 1. भारतीय 2. विदेशी (ब)व्यक्तिगत 1.रु.1 लाख तक मामूली अंश धारण करने वाले व्यक्तिगत अंशधारक 2.रु.1 लाख से अधिक मामूली अंशधारण करने वाले व्यक्तिगत अंशधारक (स) अन्य (विवरण दें)	& & & & &	& & & & &	& & & & &	& & & & &	& & & & &	& & & & &	& & & & &	& & & & &	निरंक

c½ iorldk dk vi'k/kkj.k

क्रम	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या			
		रू. 1000/– के अंकित मूल्य वाले अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशो में प्रतिशतता	कुल अंशों में से प्रतिभूतित/ऋण–ग्रसित अंशों की प्रतिशतता	रू. 10/– के अंकित मूल्य वाले अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशो में प्रतिशतता	कुल अंशों में से प्रतिभूतित/ऋण–ग्रसित अंशों की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन की प्रतिशतता
1.	एमएसटीसी लिमिटेड (पीएसयू)	32000000	100	निरंक	32000000	100	निरंक	निरंक
	;kx	32000000	100	fujd	32000000	100	fujd	

l½ iorldk d vi'k/kkj.k e ifjortu¼;fn dkbi ifjortu u gk rk d i;k bfxr dj½

		वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या		वर्ष के अंत में धारित अंशों की संख्या	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशो में प्रतिशतता	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों में प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में	32000000	100	32000000	100
	वर्ष के दौरान प्रवर्तक के अंशधारण में दिनांकवार बढ़त/कमी, एवं बढ़ोतरी/कमी की वजह (उदाहरणार्थ, आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि)।	परिवर्तन नहीं		निरंक	
	वर्ष के अंत में	32000000	100	32000000	100

n½ lokPp nl vi'k/kkjdk dk vi'k/kkj.k Lo:i ¼fun'kdk] iorldk rFkk thMhvkj@,Mhvkj /kkjdk dk NkM+dj½

क. सं.		वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचयित अंशधारण	
	सर्वोच्च सभी 10 अंशधारकों के लिए	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों में प्रतिशतता	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों में प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	वर्ष के दौरान अंशधारण में दिनांकवार बढ़त/कमी, एवं बढ़ोतरी/कमी की वजह (उदाहरणार्थ, आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट)।	परिवर्तन नहीं	–	निरंक	–
	वर्ष के अंत में (अथवा वियोजन की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान वियोजित हुए हों)।	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

b½ fun'kdk rFkk e[; ic/kdh; dfe;k dk vi'k/kkj.k

क. सं.		o"k d ikjEHk e vi'k/kkj.k		o"k d nkjku lpf;r vi'k/kkj.k	
	सभी निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के लिए	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों में प्रतिशतता	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों में प्रतिशतता
	वर्ष के प्रारम्भ में	किसी भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के पास कंपनी का कोई अंश नहीं है।			
	वर्ष के दौरान अंशधारण में दिनांकवार बढ़त/कमी, एवं बढ़ोतरी/कमी की वजह (उदाहरणार्थ, आबंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट ईक्विटी आदि)।	परिवर्तन नहीं		निरंक	
	वर्ष के अंत में	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

5- _.kxLrrk

d:iuh dh _.kxLrrk ,o C;kt cdk;k@mikftlr fdUrq Hkxrku grq vifjiDo

	ifrHkwr _.k tek d: vykok	vifrHkwr _.k	tek	dqy _.kxLrrk
foRr o"k d: ikjEHk e: _.kxLrrk अ) मूल धन ब) ब्याज परिपक्व किन्तु अभुक्त स) ब्याज उपार्जित किन्तु अपरिपक्व	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक
;kx ¼v+ c+l½	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
foRr o"k d: nkjku _.kxLrrk e: ifjorlu – वृद्धि – घटाव	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
'k) ifjorlu	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
foRrh; o"k d: vr e: _.kxLrrk अ) मूल धन ब) ब्याज परिपक्व किन्तु अभुक्त स) ब्याज उपार्जित किन्तु अपरिपक्व	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक	 निरंक निरंक निरंक
;kx ¼v+ c+l½	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

टीपः कार्यशील पूंजी हेतु कंपनी द्वारा इंडियन बैंक, भिलाई में मियादी जमा के विरुद्ध रु. 975.30 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपभोग किया गया(विगत वर्ष निरंक)।

6-funs'kdk: rFkk ie[k ic/kdh; dfe;k: dk ikfjJfed

v½ ic/k funs'kd] dk ikfjJfed] lii.kdkfyd funs'kd ,o@vFkok ic/kd

de	ikfjJfed dk fooj.k	ic/k funs'kd@ii.kdkfyd funs'kd@ic/kd dk uke	dqy jkf'k
		श्री राजीब भट्टाचार्य प्रबंध निदेशक	
1.	सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	 34,01,560.00 0.00 0.00	 34,01,347.00 0.00 0.00
2.	स्टॉक विकल्प	0.00	0.00
3.	स्वेट ईक्विटी	0.00	0.00
4.	कमीशन – लाभ के प्रतिशत स्वरूप – अन्य, उल्लेखित करें	0.00	0.00
5.	अन्य, कृपया उल्लेखित करें गृह भाडा भत्ता 1,21,563.00 चिकित्सा 70,930.00 मनोरंजन भत्ता 45,456.00 प्रदर्शन से संबंधित भुगतान 6,94,852.00	9,32,801.00	9,32,801.00
	कुल (अ)	43,34,148.00	43,34,148.00
	अधिनियम के अनुसार उच्चतर सीमा *		

* एफएसएनएल एक सरकारी संस्थान होने की वजह से, संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रबंध निदेशक की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

c½ vU; fun'kdk dk ikfjJfed%

¼#i ;½

पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
	श्री औरोबिन्दो बेहेरा, स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक	
1.स्वतंत्र निदेशक –निदेशक मंडल समिति की बैठकों में शामिल होने की फीस – कमीशन – अन्य, कृपया उल्लेखित करें	2,70,000.00 – –	45,000.00 – –	15,000.00 – –	3,30,000.00 – –
कुल (1)	2,70,000.00	45,000.00	15,000.00	3,30,000.00
2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक – निदेशक मंडल समिति की बैठकों में शामिल होने की फीस – कमीशन – अन्य, कृपया उल्लेखित करें	अप्रयोज्य			अप्रयोज्य
कुल(2)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल(ब) – (1+2)	2,70,000.00	45,000.00	15,000.00	3,30,000.00
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2,70,000.00	45,000.00	15,000.00	3,30,000.00
अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा *				

* स्वतंत्र निदेशक को बैठकों हेतु फीस का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लेखित सीमा के भीतर ही किया गया।

टिप :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी अन्य गैर– कार्यकारी निदेशक को कंपनी द्वारा गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।

l½ ic/k fun'kd@ic/kd@i.kdkfyd fun'kd dk NkM+ vU; ie[k ic/kdh; dfe;k dk ikfjJfed

ikfjJfed dk fooj.k	ie[k ic/kdh; deh		कुल राशि (रुपये)
	श्री शतदल मित्रा महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)	श्री अशोक मिश्रा (कंपनी सचिव)	
सकल वेतन (अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ब) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभो का मूल्य (स) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	25,98,461.00 0.00 0.00	12,27,999.00 0.00 0.00	38,26,460.00 0.00 0.00
स्टॉक विकल्प	0.00	0.00	0.00
स्वेट ईक्विटी	0.00	0.00	0.00
कमीशन – लाभ के प्रतिशत स्वरूप – अन्य, उल्लेखित करें		0.00	0.00
अन्य, कृपया उल्लेखित करें गृह भाडा भत्ता चिकित्सा मनोरंजन भत्ता प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	2,92,948.00 48,971.00 11,081.00 2,40,193.00	1,39,474.00 42,334.00 0.00 0.00	4,32,422.00 91,305.00 11,081.00 2,40,193.00
कुल	31,91,654.00	14,09,807.00	46,01,461.00

7-vFknM@ l tk@dy vijk/k½

idkj	diuh vf/kfu;e dh /kkjk	lf{klr fooj.k	vFknM@ l tk@dy okfNr Qhl dk fooj.k	ikf/kdkjh ¼vkjMh@,ulh,yVh@U;k;ky;½	vihy dk fooj.k] ;fn dh xbl gks
v½ diuh					
vFknM	fujd				
l tk					
dy vijk/k					
c½funs'kd					
vFknM	fujd				
l tk					
dy vijk/k					
l½vU; nks"kh vf/kdkjh					
vFknM	fujd				
l tk					
dy vijk/k					

okLr] funs'kd eMy

सही/–
बम बहादुर सिंह
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2019

ckMZ 'kYd esa 'kkfey gksus ds fy, lh,lvkj vf/kfu;eksa ij okf"kZd fjiksVZ ds fy, iz:i

1. प्रस्तावित परियोजना अथवा क्रियाकलापों के विवरणों के साथ कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, एवं सीएसआर नीति एवं परियोजना अथवा क्रियाकलापों से संबद्ध वेबलिंक का संदर्भ शामिल है।

ifjdYiuk

कंपनी की दृष्टिगतता के अनुरूप, एफएसएनएल द्वारा अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से अपनी सेवा, आचरण एवं पहल आदि के बल पर समाज एवं समुदायिक क्षेत्र में, जहां वह संचालित है, अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि जारी रखते हुए एवं पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखते हुए समाज एवं समुदाय की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु अपने ''lkeqnkf;d mRrjnk;h fuxe'' की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया जाएगा।

m)s';

उपरोक्त परिकल्पना के मद्धेनज़र, एफएसएनएल द्वारा एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनाई गई है, जिसके प्रमुख उद्धेश्य हैंः—अपने कार्य क्षेत्र के आस—पास ऐसी गतिविधियों का प्रत्यक्ष अथव परोक्ष रूप से निर्वहन जिनसे जन समुदाय लाभान्वित हो, एवं कालांतर में स्थानीयजनों की जीविका एवं वित्तीय अवस्थाओं में बढ़ोत्तरी हो सके, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से एफएसएनएल के लिए एक सामुदायिक प्रतिष्ठा कायम करना जिससे एफएसएनएल की छवि एक सकारात्मक एवं सामूहिक उत्तरदायी निगमित संस्था के रूप में उभर सके, संस्थान में सभी स्तरों पर संवर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

fuf/k vkcaVu

दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से विगत तीन वित्त वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसतन कुल लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन की दिशा में प्रत्येक वित्त वर्ष में खर्च की जाएगी।

lh,lvkj ifj;kstukvksa dk p;u ,oa vko';drk dk vkdyu

सीएसआर एवं वहनीयता परियोजना/क्रियाकलापों का चयन, स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर होता है, जिन्हें आवश्यकता शिनाख्ति अध्ययन, अथवा जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन/निकाय/ नागरिक फोरम,/एनजीओ/ट्रस्ट/सोसाइटी/लाभार्थी आदि के साथ वार्तालाप के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, तथा निवेदन/आवेदनों की जांच परख निगमन स्तर के सीएसआर समिति द्वारा की जाती है।

आवश्यकता आंकलन/बेस—लाईन सर्वेक्षण आंतरिक निपुणता एवं संसाधनों से की जाती है।

lh,lvkj ifj;kstuk@fØ;kdykiksa dk vuqeksnu

समस्त सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों को सीएसआर निगरानी समिति द्वारा अनुशंसित किया जाता है और उसके बाद निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2018&19 ds nkSjku fd, x, ifj;kstuk,

¼d½ 'kkSp@ok'k csflu vkfn dh lqfo/kk, iznku djukA

0k"kZ 2018&19 ds fy, lh,lvkj xfrfof/k ds fuoZgu esa vkj Hkkjr ljdkj }kjk 'kq: fd, x, LoPN fo|ky; vfHk;ku ds ikyu esa] ,Q,l,u,y us ljdkjh Ldwyksa @efgyk@iq:"k Nk=kokl ksa esa fuEufyf[kr lqfo/kk,a inku dh gS&

(क) शासकीय मिडिल स्कूल, भोथली, पाटन, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण।

(ख) संजीवनी गर्ल्स हास्टल, दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा प्रदान करना।

(ग) शासकीय मिडिल स्कूल, पीसेगांव, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण ।

(ड़) शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सेलूद, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश की सुविधा प्रदान करना।

(च) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्टेशन मरोदा, भिलाई, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा प्रदान करना।

(छ) शासकीय मिडिल स्कूल, अंजोरा ढ़ाबा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण।

(ज) शासकीय प्राथमिक विद्यालय, उफरा, पाटन, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण ।

(झ) शासकीय मिडिल स्कूल, थनौद, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण।

(ञ) शासकीय आदर्श बालिका मिडिल स्कूल, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एक शेड का निर्माण।

(ट) शासकीय मिडिल स्कूल, मुरमुंदा, धमधा, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) में हैंडवाश सुविधा के साथ एग शेड का निर्माण।

उपरोक्त के अलावा, चिन्हित एस्पिरेशल जिलों में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए सरकारी निर्देशों के पालन में, एफएसएनएल ने विशाखापट्टणम (आंध्रप्रदेश) और बोकारो (झारखंड) के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में निम्नलिखित गतिविधियां की हैः–

1. टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण, जिसमें लड़कों के लिए 5 मूत्रालय और 3 शौचालय, और छात्राओं के लिए 3 मूत्रालय और 3 शौचालय, जिला परिषद उच्च विद्यालय–रामबली, विशाखापट्टणम (आंध्रप्रदेश) में 14 शौचालय हैं ।

2. जिला परिषद उच्च विद्यालय, थोटागरूवु–विशाखापट्टणम (आंध्र प्रदेश) में लड़कों और लड़कियों विद्यार्थियों के लाभ के लिए 23′X45′ आकार के एक हॉल का निर्माण।

3. रामरूद्र इंटरमीडिएट स्कूल, चास, बोकारो, जिला–धनबाद (झारखंड) में 16 शौचालयों, कुल 4 मूत्रालय और छात्रों के लिए 4 शौचालय, एवं छात्राओं के लिए 4 शौचालय का निर्माण।

4. रामरूद्र इंटरमीडिएट स्कूल, चास, जिला–बोकारो (झारखंड) में दो क्लास रूम का निर्माण।

एफएसएनएल के प्रयासों को स्कूलों और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यापक रूप से प्रशंसित और सराहा गया है।

2- fuxfer lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr dh lajpuk

मंडल स्तर की एक सीएसआर समिति के प्रधान एक स्वतंत्र निदेशक हैं। समिति की संरचना कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती है।
सीएसआर क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एवं प्रबोधन, मंडल स्तर की समिति की देखरेख में होती है।

3- foxr 3 foÙkh; o"kksa esa dEiuh dk vkSlr 'kq) ykHk

foRrh; o"kZ	:- yk[k esa
2015–16	3252.54
2016–17	3621.69
2017–18	1303.94
	....
	8178.17
	....
पिछले 3 वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ	2726.06
2% का औसत शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्ष	रू. 54.52
पेपर रि–साइक्लिंग प्लांट का एसेट मूल्यः 2016 के दौरान सीएसआर गतिविधि के रूप में माना जाता है– 17, शासकीय लेखा परीक्षा द्वारा सहमत नहीं	रू. 10.40 लाख
	....
	रू. 64.92 लाख
	....
राउंड ऑफ :	रू. 65.00 लाख

4- fu/kkZfjr lh,lvkj 0;; ¼mijksDr vuqlkj½ % रू. 65.00 लाख

नोट : सीएसआर मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के अनुरूप निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट को संशोधित कर रू. 65.00 लाख की परिपत्र संकल्प दिनांक 08.02.2019 को संशोधित कर वास्तविक सीएसआर व्यय रू. 66.81 को प्रस्तावित किया।

5- foÙkh; o"k¼2018&19½ d nkjku lh,lvkj 0;;k dk fooj.k

(लाख रूपयों में)

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना	कार्य क्षेत्र	परियोजना से लाभान्वित राज्य व जिले	परियोजनावार खर्च	खर्च की गई राषि		संचयी खर्च	प्रत्यक्ष तौर पर अथवा एजेन्सी के माध्यम से
					प्रत्यक्ष खर्च	बंधा खर्च		
1	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के 7 शासकीय विद्यालयों में शेड के साथ हैंडवॉश की सुविधा प्रदान करना।	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य (स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत)	छत्तीसगढ़ राज्य में जिला : दुर्ग	3.32	3.25	0.24	03.49	प्रत्यक्ष
2	छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 सरकारी स्कूलों और 1 बालिका हास्टल में हैंडवॉश की सुविधा प्रदान करना।	स्वच्छ विद्यालय एवं स्वास्थ्य स्वच्छता	छत्तीसगढ़ राज्य में जिला : दुर्ग	0.67	0.59	0.06	04.14	प्रत्यक्ष
3	रामरूद्र इंटरमीडिएट विद्यालय, चास, बोस, बोकारो में बालिका छात्रों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	स्वास्थ्य और स्वच्छता के (अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान)	आकांक्षात्मक जिला बोकारो (झारखंड)	7.42	07.41	—	11.55	प्रत्यक्ष
4	रामरूद्र इंटरमीडिएट विद्यालय, चास, बोस, बोकारो में बालिक छात्रों के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	स्वास्थ्य और स्वच्छता के (अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान)	आकांक्षात्मक जिला बोकारो (झारखंड)	7.41	07.41	—	18.96	प्रत्यक्ष
5	जिला परिषद हाई विद्यालय, रामबिल्ली–विशाखापट्टणम में बालक और बालिकाओं के लिए पोर्टबल प्रकार के टॉयलेट ब्लॉक प्रदान करना।	स्वास्थ्य और स्वच्छता के (अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय अभियान)	आकांक्षात्मक जिलाः विशाखापट्टणम (आंध्रप्रदेश)	10.64	10.64	—	29.60	प्रत्यक्ष
6	जिला परिषद उच्चतर विद्यालय थोटागरूवु, विशाखापट्टणम में	षिक्षा	आंकांक्षात्मक जिला विशाखापट्टणम (आंध्रप्रदेश)	18.41	19.24	0.06	48.90	प्रत्यक्ष

7	रामरूद्र इंटरमीडिएट विद्यालय,चास, बोकारो में 2 क्लास रूम का निर्माण	षिक्षा	आंकांक्षात्मक जिला बोकारो (झारखंड)	17.08	17.19	—	66.81	प्रत्यक्ष
	dqy			64-95	66-45	0-36	66-81	

6. यदि विगत तीन वर्षों अथवा खण्डों के औसतन कुल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में कंपनी अयमर्थ रही, तो मंडल प्रतिवेदन में कंपनी खर्च न किए जाने के कारणों का उल्लेख करेगी A

vi:;kT;

dqy fcyk dk Hkxrku vHkh rd lcf/kr i{kk }kjk yfcr vuqikyu ds fy, 31-03-2019 ds vk/kkj ij fd;k tkuk Fkk]gkykfd mud }kjk tkjh fd, x, dk;l vkns'kk ds lger foKkiuk ds vuqlkj 31-03-2019 ls igys ijk lki fn;k x;kA

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व वक्तव्य है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन के साथ है A

lfefr }kjk ;g iekf.kr fd;k tkrk g fd lh,lvkj uhfr dk fØ;kUo;u ,o ickq/ku] lh,lvkj mnns';k rFkk dk iuh dh uhfr;k ds vuqikyu ds lkFk fd;k x;kA

सही / – (भानु कुमार) सीएसआर नियंत्रण समिति के निदेशक एवं सदस्य	सही / – (औरोबिंदो बेहेरा) स्वतंत्र निदेशक और सीएसआर नियंत्रण समिति के अध्यक्ष	सही / – (राजीब भट्टाचार्य) प्रबंध–निदेशक एफएसएनएल	सही / – (व्ही.व्ही. सत्यनारायण) महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) / (विधि) एफएसएनएल

dkikjV xouUl ij ifronu

diuh dk fl)kr

कार्पोरेट गवर्नेन्स के संबंध में कंपनी का सिद्धांत, समूचे संस्थान में पारदर्शिता, प्रकटीकरण एवं सूचना, तथा नीतिपरक व्यवहार सुनिश्चित करना है। यह ज्ञातव्य है कि मंडल, अंशधारकों के प्रति उत्तरदायी है, तथा कंपनी के हितों की रक्षा एवं प्रोत्साहन, मंडल के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है।

ifjdYiuk

कंपनी की परिकल्पना, वर्तमान कारोबार का विकास करते हुए संचालनीय क्षितिज का संवर्धन करना है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।

y{;

कंपनी का लक्ष्य ''व्यर्थ से अर्थ'' उपर्जित करना है।

m)';

इस्पात उद्योग में व्यर्थ पदार्थों के पुनश्चक्रण के क्षेत्र में बाजार में अग्रणी बने रहना, कंपनी का उद्धेश्य है।

fun'kd eMy

ljpuk

31.03.2019 को बोर्ड की संरचना श्री बम बहादुर सिंह (डीआईएन : 03212787) के अध्यक्ष के रूप में, श्री राजीव भट्टाचार्य (डीआईएन : 07091356) कंपनी के प्रबंध निदेशक, श्री औरोबिंदो बेहेरा (डीआईएन : 00765734) के रूप में शामिल थी। आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360) MSTC लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन : 08308190) गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक, श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082) के रूप में सरकारी नामित निदेशक और श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647) गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में।

बोर्ड पर निदेशकों में से कोई भी अधिक नहीं है तो दस समितियां या उन सभी कंपनियों में अधिक से अधिक पांच (5) समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती है जिसमें वे निदेशक हैं।

uo&fu;Dr fun'kdk d ckj e lf{kIr tkudkjh

श्री औरोबिंदो बेहेरा (डीआईएन : 00765734), गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक को एक वर्ष की एक और अवधि के लिए दिनांक 27.11.2018 से नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा 20.12.2018 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में की गई थी।
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360) को 01.12.2018 को श्री असिम कुमार बसु (डीआईएन : 0312901) के स्थान पर एमएसटीसी लिमिटेड के नॉमिनी के रूप में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था।

श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएनः 08308190) को तीन साल की अवधि के लिए गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 14.12.2018 को उनकी नियुक्ति की पुष्टि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा 30.04.2019 को हुई कंपनी की साधारण बैठक में की गई थी।

दिनांक 05.022019 को श्री अरूण कुमार कैलू (डीआईएन : 07521092) के स्थान पर श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082), सरकार के नॉमिनी को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647) को गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 11.03.2018 को नियुक्त किया गया था। एवं 30.04.2019 को आयोजित कंपनी की एक्स्ट्रा–साधारण मीटिंग में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई।

fun'kdk }kjk fun'kd in dk fuoZgu

अध्यक्ष श्री बम बहादुर सिंह(डीआईएन : 03212787), एमएसटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं साथ ही महेन्द्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग लिमिटेड के भी निदेशक हैं ।

श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360), नामित निदेशक एमएसटीसी लिमिटेड में निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में भी कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647), गैर–आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक भी एमएसटीसी लिमिटेड और आईएफसीआई फाइनेंसिएल सर्विस लिमिटेड, में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं।

fun'kdk dk ikfjJfed

स्वतंत्र और शासकीय नामित निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भौतिक संबंध या लेन–देन नहीं होता है। हालांकि गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा तय की गई दर के अनुसार दैनिक भत्ता और बैठने की फीस की भुगतान किया जाता है। बोर्ड और निदेशकों की समितियों की बैठक में भाग लेना। वर्तमान में बोर्ड के प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए आरएस के 670 ⁄ – प्रतिदिन और आरएस के बैठने की फीस 15000 ⁄ – है और निदेशकों की समिति गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों को भुगतान किया जा रहा है।

सरकार द्वारा नामित एवं एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक, कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा शुल्क पाने के हकदार नही हैं।

जहां तक प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक के संबंध में, वेतनमान को मंत्रालय द्वारा प्रबंध निदेशक के नियुक्ति के समय तय किया जाता है।

eMy@lfefr dh cBd ,o i.kkyh

v½ eMy@lfefr dh cBdk dk fy, ,tMk fo"k;k dk p;u ,o vuqlfp

1. बैठकें सभी निदेशकों के अनुमोदन के अनुरूप और बोर्ड ⁄ कमेटी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के अपेक्षित होने के बाद उचित नोटिस देकर निर्धारित की जाती हैं। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बैठक के समय और स्थान को शॉर्ट नोटिस(यदि कोई हो) को पुनः निर्धारित करने की पुष्टि करता है। बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य स्पष्टीकरण के ब्यौरे अग्रिम रूप से प्रसारित किए जाते हैं। बोर्ड व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचलन द्वारा संकल्प भी पेश करता है।

2. एजेंडा कागज़ात संबंधित विभाग प्रमुखों के द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन हेतु प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत

किए जाते हैं। अनुमोदित एजेंडा कागज़ातों को कंपनी सचिव द्वारा मंडल सदस्यों के मध्य परिचालित किया जाता है।

3. कुछ परिस्थितियों में मंडल के अध्यक्ष/निदेशकों के बहुमत स्वतंत्र निदेशकों सहित की अनुमति से एजेंडा पर अतिरिक्त अथवा अनुपूरक विषयों पर भी चर्चा की जाती है।

¼c½ vuqikyu

सभी विभाग प्रमुखों के द्वारा प्रयोज्य कानून, नियम, नियमन आदि के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

eMy dh cSBd ,oa mifLFkfr

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, 6 बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम समय सीमा एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं है।

वित्त वर्ष 2018–2019 में आयोजित कंपनी की बोर्ड की बैठक में निदेशक उपस्थिति का विवरण

निदेशकों का नाम	26.04.2018 को हुई 170 वीं बोर्ड की बैठक	13.07.2018 को हुई 171 वीं बोर्ड की बैठक	10.09.2018 को हुई 172 वीं बोर्ड की बैठक	29.10.2018 को हुई 173 वीं बोर्ड की बैठक	24.11.2018 को हुई 174 वीं बोर्ड की बैठक	19.03.2019 को हुई 175 वीं बोर्ड की बैठक
श्री बाम बहादुर सिंह (डीआईएन – 03212787)	शामिल नहीं हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल नहीं हुए
श्री राजीब भट्टाचार्य (डीआईएन – 07091356)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री ए.के. बसु (डीआईएन 03102901)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन – 00765734)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए

श्री अरूण कुमार कैलू (डीआईएन – 07521092)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल नहीं हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन –7982360)	–	–	–	–	–	शामिल हुए
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन –0830819 0)	–	–	–	–	–	शामिल हुए
श्री आषीष शर्मा (डीआईएन –0836508 2)	–	–	–	–	–	शामिल हुए
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन – 00028647)	–	–	–	–	–	शामिल हुए

fun'kd eMy d le{k iLrr lpuk,

निदेशक मंडल, कंपनी के भीतर समस्त सूचनाएं सर्वदा ज्ञात कर सकते हैं। नियमित रूप से मंडल को दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं:–

- वार्षिक संचालनीय रूपरेखा, बजट व अद्यतन
- पूंजिगत बजट, राजस्व बजट व अद्यतन
- कंपनी की सामयिक भौतिकीय एवं वित्तीय निष्पादन विवरण
- मंडल समितियों का गठन/पुनर्गठन
- निदेशकों की नियुक्ति, नामांकन में परिवर्तन एवं त्यागपत्र
- लाभांश की घोषणा
- आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- कंपनी के निदेशक मंडल व अन्य मंडल समितियों की बैठकों का कार्यवृत

- निवेश संबंधी सामयिक प्रतिवेदन
- निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध, यथा, वेतन समझौता, अतिरिक्त संसाधन उपार्जन नीति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार
- विभिन्न न्यायालयों में लंबित वैधानिक प्रकरणों की सूचना
- सेवा कर, मूल्य वर्धित कर (व्हैट), आयकर जैसे राजस्व संबंधी कानून के दायरे में लंबित प्रकरणो के संबंध में सूचना।
- कार्रवाई की गई रिपोर्ट।

foxr rhu o"kksa ds nkSjku laiUu lkekU; lHkk,a

बैठक का प्रकार	दिनांक	समय	स्थल	पारित विशेश संकल्प
ईजीएम	25 अप्रैल, 2016	अपरान्ह 02.30 बजे	एमएसटीसी लिमिटेड, 30/31ए, प्रथम तल, जिवन विकास बिल्डिंग, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली–110002	2
37 वां वार्षिक सामान्य बैठक	22 सितंबर, 2016	अपरान्ह 12.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाइ, (छ.ग.) . .	3
38 वां वार्षिक सामान्य बैठक	18 सितंबर, 2017	अपराह्न 12.30 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाइ, (छ.ग.)	निरंक
39 वां वार्षिक सामान्य बैठक	28 सितंबर, 2018	पूर्वान्ह 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाइ, (छ.ग.)	निरंक
ईजीएम	20 दिसंबर, 2018	पूर्वान्ह 11.00 बजे	पंजीकृत कार्यालय, भिलाइ, (छ.ग.)	निरंक

श्री बी.बी. सिंह, अध्यक्ष, श्री राजीब भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, 28 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की 39 वीं वार्षिक बैठक में उपस्थित थे।

eaMy dh lfefr;ka

निदेशक मंडल द्वारा तीन बोर्ड स्तर की समितियाँ गठित की जाती हैं, जैसे कि लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर निगरानी समिति और नामांकन और प्रेषण समिति।

ys[kk ijh{k.k lfefr

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री ए.के. बसु, नामित निदेशक और श्री अरुण कुमार कैलू, शासकीय निदेशक लेखा परीक्षा कमेटी का सदस्य बना। अंतरिम अवधि के दौरान श्रीमती भानु कुमार, नॉमिनी निदेशक को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में

शामिल किया गया था और बाद में बोर्ड में आगे के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद श्रीमती भानु कुमार कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में लेखापरीक्षा समिति के सदस्य बनना बंद कर दिया है। श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री आशीष शर्मा, शासकीय निदेशक और श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किया गया। 31 मार्च, 2019 तक की ऑडिट समिति में तीन स्वतंत्र गैर–कार्यकारी निदेशक और एक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है।

InL; dk uke	inuke	J.kh
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन : 00765734)	अध्यक्ष	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन : 08308190)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082)	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक

लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर हैं और लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। कंपनी का सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। समिति की कार्यवाही की शर्तें, लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा समिति की 6 बैठको का आयोजन किया गया। निम्नलिखित तालिका में समिति के सदस्यों की बैठक और उपस्थिति का विवरण दिया गया है।

निदेशक का नाम	25.04.2018 को 23वीं बैठक आयोजित	12.06.2018 को 24वीं बैठक आयोजित	03.09.2018 को 25वीं बैठक आयोजित	27.10.2018 को 26वीं बैठक आयोजित	24.11. 2018 को 27वी. बैठक आयोजित	19.03.19 को 28वीं बैठक आयोजित
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन : 00765734)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री ए.के.बसु (डीआईएन : 03102901)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्री अरूण कुमार कैलु (डीआईएन : 07521092)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360)	–	–	–	–	–	–
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन : 08308190)	–	–	–	–	–	शामिल हुए
श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082)	–	–	–	–	–	शामिल हुए
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647)	–	–	–	–	–	–

लेखा परीक्षा समिति सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की न्युनतम संख्या के बारे में मानदंडों को अर्हता प्राप्त नही करता हैं।

fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro i:ck/ku lfefr

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री ए.के. बसु, नामित निदेशक और श्री अरुण कुमार कैलू, शासकीय निदेशक सीएसआर मॉनिटरिंग समिति का सदस्य बनना बंद कर दिया है। श्रीमती भानु कुमार, नामित निदेशक, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री आशीष शर्मा, शासकीय निदेशक और श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीएसआर मॉनिटरिंग समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 31 मार्च, 2019 तक सीएसआर मॉनिटरिंग कमेटी में तीन स्वतंत्र गैर–कार्यकारी निदेशक और दो गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

lnL; dk uke	inuke	Js.kh
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन : 00765734)	अध्यक्ष	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्री भानु कुमार (डीआईएन : 7982360)	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन : 08308190)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082)	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबोधन समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

निदेशक का नाम	18.06.2018 को 18वीं बैठक आयोजित	03.09.2018 को 19वीं बैठक आयोजित	26.10.2018 को 20वीं बैठक आयोजित	04.02.2019 को 21वीं बैठक आयोजित
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन : 00765734)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री ए .के.बसु (डीआईएन : 03102901)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्री अरूण कुमार कैलु (डीआईएन : 07521092)	शामिल हुए	शामिल हुए	शामिल हुए	–
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360)	–	–	–	शामिल हुए
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन : 08308190)	–	–	–	शामिल हुए
श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082)	–	–	–	–
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647)	–	–	–	–

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबोधन समिति की संस्तुति के आधार पर कंपनी का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना नीति(सीएसआर नीति) प्रतिपादित की गई।

dEiuh dh lh,lvkj uhfr dEiuh dh osclkbV ^^**www.fsnl.nic.in**** rFkk oc fyad **http://www.fsnl.co.in/pdf/CSR_Policy_Hi.pdf** ij miyC/k gSA

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबोधन समिति की कार्यवाही की शर्तें, लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप हैं।

ukekadu vkSj ikfjJfed lfefr %
¼iwoZ esa ikfjJfed lfefr ds :i esa tkuk tkrk gS½

कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में एक कार्यात्मक "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" है और समिति के संदर्भ की शर्तें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर जारी डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार हैं। वर्ष के तहत समीक्षा श्री ए.के. बसु, नामित निदेशक और श्री अरुण कुमार कैलू, सरकार। निदेशक ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति का सदस्य बनना बंद कर दिया है। श्रीमती भानु कुमार, नामित निदेशक, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, स्वतंत्र निदेशक, श्री आशीष शर्मा, सरकारी निदेशक और श्रीमती। अपर्णा चतुर्वेदी, स्वतंत्र निदेशक को नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, 31 मार्च, 2019 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन स्वतंत्र गैर–कार्यकारी निदेशक और दो गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

lnL; dk uke	inuke	Js.kh
श्री औरोबिन्दो बेहेरा (डीआईएन : 00765734)	अध्यक्ष	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन : 7982360)	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा(डीआईएन : 08308190)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक
श्री आशीष शर्मा (डीआईएन : 08365082)	सदस्य	गैर कार्यकारी निदेशक
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन : 00028647)	सदस्य	स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, इस समिति की दो समितियाँ नीचे दी गई हैं।

निदेशक के नाम	12.09.2018 को 12 वीं बैठक	26.10.2018 को 13 वीं बैठक
श्री औरोबिंदो बेहरा (डीआईएन: 00765734)	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री ए.के. बसु(डीआईएन: 03102901)	शामिल हुए	शामिल हुए
श्री अरूण कुमार कैलु (डीआईएन:07521092)	शामिल हुए	शामिल हुए
श्रीमती भानु कुमार (डीआईएन: 7982360)	-	-
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा (डीआईएन: 08308190)	-	-
श्री आशीष शर्मा(डीआईएन: 08365082)	-	-
श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी (डीआईएन: 00028647)	-	-

ys[kk fof/k ekudksa dk vuqikyu

वित्तीय विवरण, इन्स्टिट्यूट् ऑफ चार्टर्ड एकांउन्टन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी उपयुक्त लेखा विधि मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

vkrfjd fu;=.k

कंपनी के व्यावसायिक उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम है, जिसमें अन्य अनिवार्यताओं के साथ–साथ वित्तीय प्रतिवेदनों की परिशुद्धता एवं तत्परता, संचालन की दक्षता, निर्धारित नीतियों व प्रणालियों का अनुसरण तथा विधि व नियमनों का अनुसरण भी शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर देते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण की स्तंत्रता सुनिश्चित करने हेतु, आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य स्वतंत्र बाहरी सनदी लेखापाल फर्मों को सौंपा जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन, सुधार, आगणन, एवं आवश्यकतानुसार निवारक उपाय हेतु समय–समय पर प्रबंधन को प्रस्तुत किए जाते हैं।

vkpkj lafgrk

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कंपनी के मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मियों के लिए कंपनी द्वारा व्यावसायिक व्यवहार पर एक वृहत आदर्श आचार–संहिता रूपांकित की गई है। संहिता, कंपनी के सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के मध्य परिचालित की जाती है। आचार संहिता कंपनी के वेबसाईट **www.fsnl.nic.in** पर उपलब्ध है। सभी मंडल सदस्यों एवं मनोनीत वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र इस प्रतिवेदन के अंत में दी गई है।

izca/ku ifjppkZ ,oa fo'ys"k.k izfronu

m|kx lajpuk ,oa fodkl

ज्ञातव्य है कि भारत में स्क्रैप प्रक्रमण उद्यम की पहल कई वर्षों पूर्व 1956 में की गई थी जब तत्कालीन ''टिस्को'' के प्रबंध निदेशक द्वारा अमेरिका के मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी, यूएसए (हार्सको कार्पोरेशन, यूएसए की एक शाखा) से संपर्क किया गया था, जिसे विश्व में स्क्रैप प्रक्रमण तकनीक का प्रवर्तक माना जाता है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की पूर्ववर्ती संस्था मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी(यूएसए) द्वारा वर्ष 1957 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (तत्कालीन टिस्को–जमशेदपुर) में यांत्रिकीय स्क्रैप प्रक्रमण संचालन प्रारम्भ किया गया था। तत्पश्चात, वर्ष 1962 में राउरकेला इस्पात संयंत्र एवं 1964 में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी–बर्नपुर द्वारा भी स्क्रैप प्रक्रमण हेतु इसकी सेवाओं को प्रयुक्त किया गया।

अमेरिकी संस्थान की भारतीय शाखा के रूप में मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी(यूएसए) द्वारा भारत में संचालन किया जा रहा था। विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन से मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी (यूएसए) को या तो अपना कारोबार समेटना था, या एक भारतीय संस्थान को साझेदार बनाना था जो बहुमत अंशधारक होती। इसी समय, इस्पात संयंत्रों द्वारा भारत में इस संस्थान की सेवाओं की निरंतरता इस्पात उद्योग के लिए लाभकारी मानी गई। एक नये संस्थान का बनाया जाना ही इसका विकल्प था।

भारत सरकार की इच्छा थी कि मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी, यूएसए के संचालन का राष्ट्रीयकरण हो। तदनुसार, एमएसटीसी लिमिटेड (तत्कालीन मेटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लिमिटेड) जो उस समय स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायिका संस्थान थी, को इस निर्णयन पर कार्य प्रारम्भ करने को कहा गया। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा गहन अध्ययन करने के उपरांत इस कार्य के संचालन हेतु एक स्वतंत्र कंपनी के निर्माण करने की संस्तुति दी गई, और इस तरह 28 मार्च 1979 को मेसर्स हार्सको इन्कार्पोरेशन, यूएसए के सहयोग के साथ फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड अस्तित्व में आई।

मेसर्स हेकेट इंजिनियरिंग कंपनी की समस्त स्क्रैप प्रक्रमण तकनीक, उपकरण एवं सेवारत कार्मिकों की सेवाओं को एफएसएनएल को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें 60 प्रतिशत अंश एमएसटीसी लिमिटेड के पास एवं बाकी 40 प्रतिशत अंश में हार्सको कार्पोरेशन लिमिटेड, यूएसए के पास था। प्रारम्भ में एफएसएनएल, स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायिका संस्थान थी एवं तत्पश्चात एमएसटीसी लिमिटेड के साथ ही वर्ष 1982 में ''सेल'' से अलग हुई। वर्ष 2002 में हार्सको कार्पोरेशन द्वारा अपने 40 प्रतिशत अंश को एमएसटीसी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया, और इस तरह,

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था बन गई।

कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी–रत्न श्रेणी II' से सम्मानित किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एफएसएनएल ने एक आवेदन पत्र पत्र नं। एफएसएन / 2411/2018 दिनांक 06.04.2018 को एफएसएनएल को "अनुसूची सी" से "अनुसूची बी" कंपनी में अपग्रेड करने के लिए। कंपनी ने एफएसएनएल ने हमारे पत्र सं। एफएसएन / 3160/2018 दिनांक 15.05.2018 को "मिनीरत्न श्रेणी II कंपनी" से एफएसएनएल के पुनः श्रेणीकरण के लिए "मिनीरत्न श्रेणी I कंपनी"।
एफएसएनएल द्वारा वर्ष 2011 में अपने निगमन कार्यालय एवं समस्त इकाइयों में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली– आईएसओ 9001:2008, 14001:2004 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 लागू किया गया।

fodkl@ubZ ifj;kstuk,¡%
orZeku xzkgd bLikr la;=ksa esa fodkl

ग्राहक इस्पात संयंत्रों द्वारा अधिक मात्रा में स्लैग व स्क्रैप उपार्जन के अनुरूप रिकवरी एवं प्रोसेसिंग करने हेतु आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढाने के लिए एफएसएनएल तैयार है।

इस्पात संयंत्रों के विकास गतिविधियो के परिणामस्वरूप स्क्रैप की आवश्यकता बढ़ सकती है, जिसे एफएसएनएल इसे एक अवसर के रूप में देखते हुएं आने वाले वर्षो में इस्पात संयंत्रों से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है। लागत में कमी, संवर्धित उत्पादकता एवं दक्षता को मद्धेनज़र रखते हुए एफएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से अनुवृद्धि/आशोधन/प्रतिस्थापन के तहत वर्तमान उपकरणों के बेडों की मरम्मत,/प्रतिस्थापन का विचार किया जा रहा है।

एफएसएनएल, विभिन्न लोक उद्यमों/संस्थाओं को स्क्रैप संयंत्र एवं मशीनरी, चल व अचल सामग्री/संपत्ति के मूल्यांकन की सेवा प्रदान करती है। एफएसएनएल द्वारा खदानों में अधिसंचितों की निकासी(कोल, अयस्क आदि) तथा स्क्रैप प्रबंधन का कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

एफएसएनएल द्वारा कार्य विविधीकरण के तौर पर स्लैग को आवश्यकतानुसार पृथक स्लैग वर्ग में परिवर्तित कर इस्पात संयंत्रों को प्रदान करने की योजना बनाई गई है, जो विभिन्न कार्यों, जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण सामग्री, रेल बेलास्ट, सोइल कंडीश्नर आदि के लिए उपयोगित किए जा सकेंगे।
मौजूदा इस्पात संयंत्रों की बढ़ती क्षमता के साथ कच्चे माल की बढ़ती आवश्यकता की जरूरत है, जिसे एमएमएस मल, बीएफ मल, बीएफ डस्ट आदि जैसे लौह युक्त अपशिष्ट पदार्थ के उपयोग के साथ पूरक किया जा सकता है। इस संबंध में एफएसएनएल ने सीएसआईआर–नेशनल मेटलर्जिकल लिमिटेड, जमशेदपुर के साथ उपरोक्त अपशिष्ट पदार्थ से ब्रिकेट बनाने के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक समझौते में प्रवेश कर रहा है। लैब स्केलर स्तर पर। यह न केवल एफएसएनएल के लिए अच्छा राजस्व प्राप्त करेगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी योगदान देगा। CSIR &NML ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उपयुक्त पाया है। प्लांट का ट्रायल लिया जाना चाहिए जिसके लिए आवश्यक मात्रा में ब्रिकेट बनाने के लिए सीएसआईआर–एनएमएल के साथ समझौता ज्ञापन / समझौता किया जाना है।

'kfDr ,oa detksjh

'kfDr;k¡

- मेटल स्क्रैप रेकवरी व बल्क मटेरियल हैन्डलिंग में तात्विक सक्षमता
- उत्तम कार्यनीति के साथ बृहद, अनुशासित एवं दक्ष श्रमशक्ति
- अपने मूल व्यावसाइक क्षेत्र में उच्चतम बाजार अंश
- ग्राहक लोक उद्यम होने की वजह से सांविधिक निकायों व नियामकों का भरोसा
- ग्राहकों से ऐतिहासिक सौहार्दपूर्ण संबंधों
- आवश्यकता/अवसरानुसार नई तकनीकों को समावेश/प्रयुक्त करने की क्षमता

detkfj;k

- ग्राहकों की अस्थिर अपेक्षा / मांग
- दीर्घकालिक आश्वासित कारोबार की कमी
- इस्पात क्षेत्र में व्यावसाय चक्र का प्रभाव एवं परिवर्तनशीलता

nf"Vdk.k

बृहद पैमाने पर अगणनीय / अपृथकृत स्क्रैप का अपर्याप्त उपभोग की वजह से कई इस्पात संयंत्रों, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र व बोकारो इस्पात संयंत्र में, विशाल ढेर प्राकृतिक संसाधनों में क्षीणता उत्पन्न करने के साथ–साथ बहुमूल्य जगह भी घेरे हुए हैं।

एफएसएनएल के पास ऐसे विशाल मेटल स्क्रैप के ढेरों को अंतिम उत्पाद के निर्माण हेतु द्वितीयक कच्चे माल में संपरिवर्तित करने के पर्याप्त अवसर है।

एफएसएनएल के पास निम्नलिखित प्रक्रियाओं से उत्पादकता एवं दक्षता में संवर्धन की योजना हैः–

अ) मैग्नेट क्रेन से बालिंग के जरिए कड़े स्लैग को ढीला करने के पारम्परिक प्रक्रिया के स्थान पर स्लैग पिट के कड़े स्लैग को ढीला करने हेतु ''रॉक ब्रेकर अटैचमेंट'' प्रयुक्त करना।

ब) डब्ल्यूआरएम मिल्स में मिल रिजेक्ट्स की प्रोसेसिंग के लिए पारम्परिक मैन्युअल गैसकटिंग प्रक्रिया के स्थान पर कतरनी (शियर अटैचमेंट) प्रयुक्त करना, जिससे मिल रिजेक्ट्स की प्रोसेसिंग में सुरक्षा के साथ–साथ तीव्रता भी आएगी।

volj ,o [krj

volj

– ग्राहक इस्पात संयंत्रों का क्षमता विकास
– अन्य क्षेत्रों में कार्य प्राप्ति का प्रयास

[krjk

– नई तकनीक के साथ इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से एफएसएनएल को मेटलिक इनपुट में कमी
– जोखिम भरे एवं प्रतिकूल कार्यक्षेत्रों में कार्य करने की अनिवार्यता
– सख्त समयावधि के भीतर सेवा निष्पादन हेतु ग्राहकों की मांग

tkf[ke ,o fpark

1. इस्पात निर्माण तकनीक एवं संचालनीय व्यवस्था के आधुनिकीकरण की वजह से स्क्रैप की मात्रा घटेगी, जो एफएसएनएल के लिए चिंता का क्षेत्र है।

2. एकल व्यवसाय, तथा एफएसएनएल का निष्पादने, इस्पात उद्योग के व्यवसाय चक्र से सीधे जुडा हुआ है।

3. छोटे आकार के संस्थानों द्वारा काम की समान प्रकृति लाने के लिए अंडरकटिंग।

4. माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच एफएसएनएल द्वारा दायर किए गए एमएटी 244 / 2019 दिनांक 15.02.2019 को अनुमति नहीं प्रदान की जिससे महत्वपूर्ण व्यापार जोखिम होगा। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय एमएटी 244 / 2019 दिनांक 15.02.2019 ने रिट याचिका संख्या में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के

आदेश के खिलाफ 2013–07 की 33074 (डब्ल्यू) एकल पीठ ने एफएसएनएल को नामांकन के आधार पर काम के लिए नामांकन नीति को रद्द कर दिया है।

0;olk; [k.Mokj vFkok mRiknokj fu"iknu

वर्ष के दौरान कंपनी, भारत के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप रिकवरी एवं संबद्ध कार्यों में सेवारत थी। यह व्यवसाय, लेखा कार्य मानक एएस–108 के अंतर्गत आता है, जो प्रतिवेदनीय व्यवसाय खण्ड माना जाता है। स्क्रैप रेकवरी एवं संबद्ध कार्यों के अलावा, कंपनी द्वारा स्क्रैप किए गए संयंत्र और मशीनरी, चल या अचल सामग्री/संपत्तियों के साथ मालगोदाम प्रबंधन सेवा का कार्य भी संपन्न किया गया, चूंकि इस कार्य से अर्जित राजस्व कुल राजस्व के 10 प्रतिशत से कम है, यह प्रतिवेदनीय व्यवसाय खण्ड की श्रेणी में नही आता है। भौगोलिक खण्डकरण भी प्रासंगिक नही है, चूंकि कंपनी का भारत के बाहर कोई कारोबार नही है।

[k.Mk dk fu/kkj.k

कंपनी के संचालित व्यवसाय, उत्पाद एवं निष्पादित सेवा के स्वरूप के आधार पर पृथक रूप से व्यवस्थित एवं प्रबंधित किए जाते हैं, जिसका प्रत्येक खण्ड एक सामरिक व्यवसाय यूनिट का प्रतिनिधित्व करती है, जो विविध उत्पाद प्रदान करती है और विविध बाजार में सेवा प्रदान करती है। भौगोलिक खण्ड का विश्लेषण उन क्षेत्रों पर आधारित है जहां कंपनी के प्रमुख संचालनीय खण्ड संचालित हैं।

vrj&[k.Mh; gLrkrj.k

कंपनी प्रायः अंतरखण्डीय बिक्री एवं हस्तांतरण का लेखा इस तरह तैयार करती है, जैसे कि बिक्री अथवा हस्तांतरण तृतीय पक्ष को वर्तमान बाजार दर पर की गई हो।

vfu/kkfjr vo;o

निगमन एवं अन्य खण्डों में सामान्य निगमन आय एवं व्यय अवयव शामिल होते हैं, जो किसी भी व्यावसायिक खण्ड के लिए आबंटित नही होते हैं।

lpkyuh; fu"iknu d lnHk e foRrh; fu"iknu ij ifjppk

कंपनी की कुल आय रु. 37,841.34 लाख थी जिसमें सेवा शुल्क रु. 36,519.56 लाख शामिल है, जबकि विगत वर्ष की रकम क्रमशः रु. 34,029.79 लाख एवं रु. 31,961.12 लाख क्रमशः लगभग 11.20 % की वृद्धि के साथ। पिछले वर्ष की तुलना में कुल खर्च में 3.08 % की वृद्धि हुई है। व्यय में मुख्य रूप से उच्च गति वाले डीजल और स्टोर पुर्जों की लागत के लिए।

ekuo l l k/ku fodk l

कर्मचारियों की निपुणता एवं प्रबंधकीय दक्षता में संवर्द्धन के उद्धेश्य से एवं औद्योगिक जगत में हो रहे नित–नये विकासों से उन्हें अवगत कराने के उद्धेश्य से वर्ष 2018–19 के प्रारम्भ में निर्धारित वार्षिक प्रशिक्षण सारिणी के आधार पर कर्मचारियों(कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक) के लिए भारी मशीनों के उत्पादकों एवं प्रख्यात प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम(आंतरिक एवं बाह्य) आयोजित किए गए।

वर्ष 2018–19 के दौरान कार्य निपुणता एवं प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि की दिशा में कुल 415श्रमदिवस कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किए गए।

foRrh; fooj.kk d lnHk e vkrfjd fu;=.kk dh Ik;kIrrk

यथार्थ एवं स्पष्ट रूप से व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं वित्तीय प्रतिवेदनों की पारदर्शिता हेतु कंपनी के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए कंपनी में एक प्रभावी एवं सुदृढ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कायम है। वर्तमान नियंत्रण प्रणाली, नियम, कानून

एवं नियमनों तथा कंपनी की प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के वैधानिक अनुपालन को सुनिश्चित करती है।

आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर देते हुए आंतरिक लेखा परीक्षण की स्तंत्रता सुनिश्चित करने हेतु, आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य स्वतंत्र बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन, सुधार, आगणन, एवं आवश्यकतानुसार निवारक उपाय हेतु समय–समय पर प्रबंधन को प्रस्तुत किए जाते हैं।

dkikjV xouUl fn'kk fun'kk d rgr vuqorh idVu

1. ऐसा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष व्यवहार नही है, जिसका कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
2. कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की असम्मति नही पाई गई/प्रतिवेदित की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित प्रकरण में किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न कोई कटु–आलोचना की गई है और न ही कोई अर्थदंड लगाया गया है।
3. निदेशक मंडल के अनुमोदन से, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कंपनी में संचेतन नीति (व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी) अपनाई गई है। किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षण समिति से संपर्क करने से नही रोका गया, एवं इस नीति के तहत किसी ने कोई शिकायत दर्ज नही कराई है।
4. कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देशों का अनुपालन कंपनी के लिए लागू है।
5. वर्ष के दौरान एवं विगत तीन वर्षों में कंपनी द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
6. ऐसे किसी भी व्यय मद को लेखा पुस्तिका मे विकलित नहीं किया गया जो कारोबार से सबद्ध नही हैं।
7. निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए ऐसे कोई भी खर्च नही किए गए जो व्यक्तिगत श्रेणी के हों।
8. वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाईट ''www.nic.in'' पर उपलब्ध हैं।
9. एफएसएनएल के नामित कर्मचारी जिनमें कंपनी के निदेशक और अधिकारी शामिल हैं, एमएसटीसी के ट्रेडिंग विंडो के बंद होने के दौरान एमएसटीसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के शेयरों में लेन–देन से समापन करनें के लिए सूचित किया गया था।

diuh dh igpku l[;k ¼lhvkb,u dekd½

कंपनी की पहचान संख्या यू27102सीटी1989जीओआई005468 है।

vfHkj{k.k oDrO;

कंपनी के उद्धेश्यों एवं अपेक्षाओं को परिलक्षित करते हुए प्रबंधन परिचर्चा के वाक्य एवं विश्लेषण अगस्थदर्शी वाक्य हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम संन्निहित अथवा अभिव्यक्त वक्तव्यों से भिन्न हो सकते हैं, जो लोक उद्यम इस्पात संयंत्रों से नामांकन पद्धति में व्यवसाय की निरंतरता के साथ–साथ कंपनी के संचालन में अंतर ला सकते हैं।

वास्ते, निदेशक मंडल

सही/–
बम बहादुर सिंह
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2019

vkpj.k lafgrk vuqikyu dh ?kks"k.kk

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता के मॉडल कोड के अनुपालन की पुष्टि की है।

सही/–
राजीब भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

lfpoh; y[kk ijh{k.k iek.k i=
¼dkiksjsV xouZUl ij½

सेवा में,

सेवा में,
सदस्यगण,
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड,
सीआईएन : यू27102सीटी1989जीओआई005468,
एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक,
सेन्ट्रल एवेन्यू, भिलाई, जि.दुर्ग(छ.ग.)–490001

मैंने, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए निहित दिशा–निर्देशों के अनुसरण में,फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन की जांच की।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई विधियों एवं इनके क्रियान्वयन तक ही मेरी जांच सीमित थी। यह न तो कोई लेखा परीक्षण है, न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपना मत का प्रकटन है। यह लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी सीमित प्रयोजन रिपोर्ट है।

मेरे विचार में, मेरी सर्वोच्च जानकारी एवं मुझे प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं ये प्रमाणित करता हूं कि कंपनी द्वारा विस्तीर्ण रूप से कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन किया गया है:–

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहारिकता को सुनिश्चित करती है, न ही प्रभावकारिता की दक्षता को, जिसके माध्यम से प्रबंधन द्वारा कंपनी के क्रिया कलापों का निर्वहन किया गया है।

वास्ते प्रतिभा खंडेलवाल एण्ड एसोसिएट्स

सही / –

(प्रतिभा खंडेलवाल)
अभ्यासी कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफसीएस 7194
सीपी नं. 3973

स्थान : जयपुर
दिनांक : 20.07.2019

Qjk LØi fuxe fyfeVM

31 ekp 2019 dk ryu&i=

:- yk[k e

	i=h	31 ekp 2019 rd	31 ekp 2018 rd
vkfLr;k			
¼1½ xj ek tnk vkfLr;k			
(क) संपत्ति,संयंत्र और उपकरण	5	6,989.39	6,461.83
(ख) कार्यानुगत पूँजी	5	271.37	395.56
(ग) अन्य अमूर्त आस्तियाँ	6	11.55	14.02
(घ) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियाँ	6	57.20	29.20
(च) वित्तिय आस्तियाँ			
1 प्राप्य व्यापार	7	0.00	44.37
2 अन्य वित्तिय आस्तियाँ	8	28.86	33.03
(छ) आयकर आस्तियाँ	9	1,326.61	1,777.73
(ज) अन्य गैर मौजूदा आस्तियाँ	10	828.04	662.22
(झ) आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	11	0.95	0.75
कुल गैर–मौजूदा आस्तियाँ		9]513-97	9,418.98
¼2½ orleku vkfLr;k			
(क) वस्तु सूचियाँ	12	603.50	415.63
(ख) वित्तिय आस्तियाँ			
1) प्राप्य व्यापार	13	14.972.16	13,932.05
2) नकद एवं बैंक अधिशेष	14	19.38	12.43
3) अन्य बैंक अधिशेष	15	9,907.69	9,834.09
4) अन्य वित्तिय आस्तियाँ	16	1,173.52	1,234.77
(ग) अन्य वर्तमान आस्तियाँ	17	834.05	958.85
		27,510.30	26,387.82
वर्गीकृत आस्तियों बिक्री हेतू	18	307.61	259.21
कुल वर्तमान आस्तियाँ		27,817.91	26,647.03
dy vkfLr;k		37]331-88	36]066-01
lkE; o nunkfj;k			
1½ bfDoVh			
1) इक्विटी अंश पूँजी	19	3,200.00	3,200.00
2) अन्य इक्विटी	20	16,841.79	15,378.23
कुल इक्विटी		20,041.79	18,578.23
2½ xj ek tnk nunkfj;k			
प्रावधान	21	5,879.16	7,269.26
कुल गैर मौजूदा देनदारियाँ		5,879.16	7,269.26
3½ orleku nunkfj;k			
अ) वित्तिय देनदारियाँ			
1) उधारी	22	975.30	453.72
2) देय व्यापार	23	3,611.58	3754.53
3) अन्य वित्तिय देनदारियाँ	24	2,779.02	2,785.36
ब) अन्य मौजूदा देनदारियाँ	25	977.13	1072.75
स) प्रावधान	26	3,048.10	2,127.32
		11,391.13	10,193.58
बिक्री हेतु आयोजित वर्गीकृत परिसंपत्ति सहित देयताएं	27	19.80	24.94
कुल मौजूदा देनदारियाँ		11]410-93	10,218.52
कुल देनदारियाँ		17]290-09	17,487.78
dy bfDofV vkj nunkfj;k		37]331-88	36,066.01

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खाताओं पर पत्रियाँ 1 से 53

संगत पत्रियाँ वित्तीय विवरणियों का अभिन्न खंड है।
सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, लक्ष्मी तृप्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर एस क्र. 009189सी

वास्ते एवं निदेशक मण्डल
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

सी.ए.– (एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता क्र078427

सही/–
(अशोक मिश्रा)
कंपनी सचिव

सही/–
(शतदल मित्रा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

स्थानः दुर्ग
दिनाँकः 22 मई, 2019

सही/–
(भानु कुमार)
निदेशक
डीआईएन–07982360

सही/–
(राजीब भट्टाचार्य)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07091356

सही/–
(बी. बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन–03212787

Qjk LØi fuxe fyfeVM

31 ekp 2019 dh vof/k d fy, ykHk vkj gkfu dk fooj.k

:- yk[k e

fooj.k		i=h	lEçfr o"k 31-03-2019	xr o"k 31-03-2018
I	संचालन से राजस्व	28	36,519.56	31,961.13
II	अन्य आय	29	1,321.78	2,068.67
III	कुल राजस्व (I + II)		37]841-34	34,029.80
IV	खर्च			
	(अ) परिचालन खर्च	30	4,879.42	4,032.30
	(ब) कर्मचारी लाभ व्यय	31	10,912.96	12,408.34
	(स) वित्त लागत	32	86.79	7.35
	(द) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5 एवं 6	1,343.99	1094.16
	(ड) अन्य खर्चे	33	16,509.23	15,183.86
	dy 0;; ¼IV½		33]732-39	32]726-01
V	असाधारण वस्तुओं और टैक्स से पहले लाभ (III&IV)		4,108.95	1,303.79
VI	असाधारण आइटम		0.00	0.00
VII	VDl ls igy ykHk ¼V&VI½		4]108-95	1]303-79
VIII	टैक्स व्यय			
	(अ) वर्तमान कर		1,605.94	532.67
	(ब) आस्थगित कर		(165.82)	(35.60)
	dy dj 0;;		1]440-12	497-07
IX	वर्ष के लिए कर के बाद लाभ (VII&VIII)		2,668.83	806.72
X	अन्य व्यापक आमदनी		(431.29)	(123.50)
	ऐसे आइटम जिन्हें लाभ/(हानि) में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(अ) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मुद्रण		(662.95)	(188.86)
	(ब) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनरू वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		231.66	65.36
XI	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)		2]237-54	683.22
XII	आय प्रति इक्विटी शेयर (रु.10 / – प्रत्येक)			
	(अ) मौलिक		8.34	2.52
	(ब) तनुकृत		8.34	2.52

egRoi.k y[kkdu uhfr;k ,o [kkrkvk ij if=;k 1 l 53

संगत पत्रियाँ वित्तीय विवरणियों का अभिन्न खंड है।

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, लक्ष्मी तृप्ती एंड एसोसिऐट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर एस क्र. 009189सी

वास्ते एवं निदेशक मण्डल
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

सी.ए. (एल.एन.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता क्रमांक– 078427

सही / –
(अशोक मिश्रा)
कंपनी सचिव

सही / –
(शतदल मित्रा)
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)

स्थानः दुर्ग
दिनाँकः 22 मई, 2019

सही / –
(भानु कुमार)
निदेशक
डीआईएनः07982360

सही / –
(राजीब भट्टाचार्य)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः07091356

सही / –
(बी. बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएनः03212787

Qjks LØSi fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh çokg fooj.kh

:- yk[k esa

fooj.k	31 ekpZ 2019 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,	31 ekpZ 2018 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,
v- çpkyu xfrfof/k;ksa ls mRiUu udnh çokg		
वर्ष के लिए लाभ	2,668.83	806.71
समायोजन के लिए :		
अवमूल्यन तथा परिशोधन गैर मौजूदा आस्तियाँ	1,343.99	1,094.16
मान्यता प्राप्त आयकर व्यय लाभ और हानि	1,440.12	497.07
(लाभ)/हानि पर संपत्ति के निपटान, संयंत्र एवं उपकरण (शुद्ध)	(4.27)	4.22
वित्तीय लागत	86.79	7.35
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त आय पर ब्याज	784.44	782.35
dk;Z'khy iwath ifjorZuksa ds iwoZ ifjpkfyr udn ykHk	6]319-90	3]191-86
çpkyfu; vkfLr;ksa vkSj ns;rkvksa esa ifjorZuh; lek;kstu		
lek;kstu gsrq ¼of)½@deh çpkyuh; vkfLr;ksa		
व्यापार में (वृद्धि)/कमी प्राप्य	(995.74)	(1,770.00)
अन्य वित्तीय आस्तियां (वृद्धि)/कमी	9.97	8.87
अन्य आस्तियां (वृद्धि)/कमी	76.20	(77.24)
वस्तु सूचियों में (वृद्धि)/कमी	(187.87)	(50.04)
lek;kstu gsrq ¼of)½@deh çpkyuh; ns;rk;sa		
प्राप्य व्यापार में वृद्धि/(कमी)	(142.95)	1,257.45
अन्य वित्तीय आस्तियां वृद्धि/(कमी)	(6.34)	686.90
अन्य आस्तियां वृद्धि/(कमी)	(100.76)	429.18
प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	(1,132.27)	(720.64)
çpkyu ls mRiUu udn	3]840-14	2]956-34
प्रत्यक्ष कर भुगतान (शुद्ध की वापसी)	(923.16)	(1,187.31)
'kq) udn çpkyu xfrfof/k;k	2]916-98	1]769-03
c- foÙkh; xfrfof/k;ksa ls udnh çokg		
सी डब्लूय आई पी से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अंतरण	(2,228.32)	(1,931.09)
संपत्ति, संयंत्र ओर उपकरण निपटान से प्राप्ति	459.71	232.95
आवधि जमा में निवेश	(73.61)	(297.14)
ब्याज प्राप्ति	(728.72)	(1,311.37)
fuos'k xfrfof/k;ksa esa ¼mi;ksx fd;k x;k½ 'kq) udn	¼2]570-94½	(3,306.65)
l- foÙkh; xfrfof/k;ksa esa udnh çokg		
बैंकों से लघु अवधि के उधार		
iquHkZqxrku		
ब्याज भुगतान	(86.79)	(7.35)
लाभांश भुगतान	(642.01)	(616.99)
भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(131.97)	(125.61)
foÙkh; xfrfof/k;ksa esa mi;ksx dh xbZ 'kq) udn	¼860-77½	¼749-95½
'kq) of) ¼deh½ udn ,oa udn lerqY; ¼v + c + l½	¼514-73½	(2]287-57½
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	(441.19)	1,846.38
o"kZ ds var esa udn ,oa udn lerqY; ¼uksV l- 14½	(955-92½	¼441-19½

बयान और केस समतुल्य दिखाने वाला स्टेटमेंट

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्षः वर्ष के अंत में	19.38	12.43
ओवर ड्राफ्ट बैंक बैलेंस और वर्ष के अंत में नकद समकक्ष	(975.30)	(453.62)
	(955.92)	(441.19)

कोष्ठक में दिए गए आंकडों से बहिर्वाह का संकेत मिलता है।

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, लक्ष्मी तृप्ती एंड एसोसिऐट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर एस क्र. 009189सी

वास्ते एवं निदेशक मण्डल
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

सी.ए.- (एल.एन. अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य क्र. 078427

सही/-
(अशोक मिश्रा)
कंपनी सचिव

सही/-
(शतदल मित्रा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

सही/-
(भानु कुमार)
निदेशक
डीआईएन-07982360

सही/-
(राजीब भट्टाचार्य)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07091356

सही/-
(बी. बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन-03212787

स्थानः दुर्ग
दिनाँकः 22 मई, 2019

Qjk LØi fuxe fyfeVM

31 ekp] 2019 dk lekIr o"k d fy, bfDoVh e ifjorZu dk fooj.k

v- bfDoVh 'k;j iwath #- yk[k e

fooj.k	1 vizSy] 2017 dh 'ks"k jkf'k		bfDoVh e ifjorZu		31 ekp] 2018 dh 'ks"k jkf'k	
	ux	eY;	ux	eY;	ux	eY;
10 लाख प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,20,00,000	3,200.00	–	&	3,20,00,000	3,200.00
शेयर पूंजी जारी करना	–	–	–	–	–	–
बोनस शेयर पूंजी जारी करना	–	–	–	–	–	–

fooj.k	1 vizSy] 2018 dh 'ks"k jkf'k		bfDoVh e ifjorZu		31 ekp] 2019 dh 'ks"k jkf'k	
	ux	eY;	ux	eY;	ux	eY;
10 लाख प्रत्येक के इक्विटी शेयर	3,20,00,000	3,200.00	–	&	3,20,00,000	3,200.00
शेयर पूंजी जारी करना	–	–	–	–	–	–
बोनस शेयर पूंजी जारी करना	–	–	–	–	–	–

प्रत्येक जारी किए गए, 10 लाख के इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए

c- vU; bfDoVh

fooj.k	vkjf{kr vkj vf/k'ks"k			;ksx
	iwath vkjf{kr	lkekU; vkjf{kr	vf/k'ks"k	
1 अप्रैल 2017 के रुप में शेष	37-36	15]389-21	11-05	15]437-62
इस वर्ष का लाभ	–	–	806.71	806.71
अंतरिम लाभांश	–	–	(123.50)	(123.50)
अंतिम लाभांश	–	–	(8.99)	(8.99)
लाभांश वितरण कर (अंतरिम)	–	–	(608.00)	(608.00)
लाभांश वितरण कर (अंतिम)	–	–	(1.83)	(1.83)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	–	(123.78)	(123.78)
बोनस शेयर जारी करना	–	–	–	–
31 ekp] 2018 d #i e 'ks"k	37-36	15]389-21	48-34	15]378-23
इस वर्ष का लाभ	–	–	2,668.83	2,668.83
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	(431.29)	(431.29)
(आयकर का शुद्ध)	–	–	(320.00)	(320.00)
अंतरिम लाभांश	–	–	(322.01)	(322.01)
अंतिम लाभांश	–	–	(66.01)	(66.19)
लाभांश वितरण कर (अंतिम)	–	–	(65.78)	(66.19)
लाभांश वितरण कर (अंतरिम)	–	–	(65.78)	(65.78)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	–	1,400.00	(1,400.00)	–
– –				
31 ekp] 2019 d #i e 'ks"k	37-36	16]789-21	15-22	16-841-79

सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार

वास्ते, लक्ष्मी तृप्ती एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर एस क्र. 009189सी

वास्ते एवं निदेशक मण्डल
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

सही/–
(सी.ए. एल.एन.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता सं.–078427

सही/–
(अशोक मिश्रा)
कंपनी सचिव

सही/–
(एस. मित्रा)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

स्थानः दुर्ग
दिनॉकः 22 मई, 2019

सही/–
(भानु कुमार)
निदेशक
डीआईएन–07982360

सही/–
(राजीब भट्टाचार्य)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07091356

सही/–
(बी.बी.सिंह)
निदेशक
डीआईएन–03212787

Qjk LØi fuxe fyfeVM

1- lkekU; lpuk

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल या कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है, जिसे दिनांक 28.03.1979 को सम्मिलित किया गया और जिसका पंजीकृत कार्यालय, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान में यह ''मिनी रत्न–II पीएसयू'' (आईएमएस प्रमाणित) भारत सरकार का एक कंपनी है, जो इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

'एफएसएनएल' इस्पात संयंत्र में लौह एवं इस्पात निर्माण के दौरान अवक्षेपित धातुमल एवं अपशिष्ट पदार्थों को दोबारा काम के योग्य बनाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड धमन भट्ठी और इस्पात विगलन कार्यस्थल के अहाते से प्राप्त धातुमल की खुदाई और ढुलाई करने की विशेष सेवाएँ प्रदान करता है साथ ही लौह एवं इस्पात कपाल तथा कारखाना के द्वारा अस्वीकृत पदार्थों को ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप निर्मित करता है। 'एफएसएनएल' एलडी धातुमल से प्राप्त लौह खंडों की सफाई, धुलाई, छिलाई कर उसे प्रच्छालन संयंत्र, धमन भट्ठी, इस्पात विगलन संयंत्र, रेल खंड में उपयोग करने योग्य बनाने की पेशकश भी करता है। 'एफएसएनएल' खुले स्थान पर एकत्रित अम्लीय कूड़ा–कर्कट को निश्प्रभावी करने का भी प्रबंध करता है।

कंपनी ये सेवाएँ भी प्रदान करती है–(अ) एमएसटीसी लिमिटेड के ग्राहकों के लिए माल गोदाम प्रबंधन एवं संरक्षण सेवाएँ। (ब) संयंत्र और मशीनरी / स्क्रैप चल एवं अचल सामग्री / संपत्ति के लिए मूल्य निर्धारण सेवाएँ।

2- dk;kRed vkj iLrfr eqnkLQhfr

ये वित्तीय विवरण भारतीय रूपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी निकटतम शून्य तक गोल किया गया है।

3- u, vkj l'kkf/kr bM ,,l dk vkonu

(अ) इंडस्ट्रीज़ के रूप में 115: ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व 28 मार्च 2018 को जारी किया गया था और इंडस्ट्रीज़ 18 के रूप में इंडस्ट्रीज़ के रूप में जारी किया गया था: 21 और राजस्व और इंडस्ट्रीज़ 21: निर्माण अनुबंध और यह लागू होता है, ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न सभी राजस्व के लिए सीमित अपवाद के साथ। 115 के रूप में इंडस्ट्रीज़ के तहत: राजस्व मान्यता प्राप्त है जब एक ग्राहक माल या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है। कंपनी ने अपनाओ इंड इंड 115 का अनुसरण करते हुए, लेखा नीति में परिवर्तन का आकलन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी की राजस्व मान्यता नीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(ब) मानक जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है। मौजूदा इंडस्ट्रीज़ AS मानकों में निम्नलिखित संशोधनों से कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

(क) परिशिष्ट सी से आईएनडी एएस 12: आयकर (आयकर करों से अधिक अनिश्चितता)
(ख) आईएनडी एएस 12 के रूप में संशोधन: आयकर
(ग) आईएनडी एएस 19 के रूप में संशोधन: कर्मचारी लाभ
(घ) आईएनडी एएस 23 के रूप में संशोधन: उधार लेने की लागत
(ङ.) आईएनडी एएस 28 के रूप में संशोधन: निवेश सहयोगी और संयुक्त उद्यम
(च) आईएनडी एएस 103 के रूप में संशोधन: व्यावसायिक परियोजन
(छ) आईएनडी एएस 109 के रूप में संशोधन: वित्तीय प्रपत्र
(ज) आईएनडी एएस 111 के रूप में संशोधन: संयुक्त व्यवस्था

4- egRoi.kZ ys[kkdu uhfr;k

4-1 rS;kjh dk vk/kkj

ऐतिहासिक मूल्य व्यवहार के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देनदारियों के कुछ अपवाद को छोड़कर जो संगत मूल्य के लिए आवश्यक है कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि ऐतिहासिक लागत के तहत

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है कंपनी के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किया गया है प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में किया जाता है।

न्याय संगत मूल्य वह मूल्य है जो परिसंपत्तियों की बिक्री या देयताओं के स्थानांतरण पर बाजार प्रतिभागियों के बीच निर्धारित तिथि पर भुगतान किया जाता है, यह ध्यान दिए बिना की मूल्य प्रत्यक्ष विचार योग्य है या अन्य मूल्यांकन तकनीक से आकलित किया गया है। परिसंपतियों या देयताओं के न्याय संगत मूल्य के आंकलन में परिसंपत्तियों या देयताओं के विशिष्ट लक्षणों का कंपनी ध्यान रखती है, जब परिसंपत्तियों या देयताओं का मूल्य निर्धारण निर्धारित तिथि पर किया जा रहा हो तो बाजार प्रतिभागियों द्वारा भी परिसंपत्तियों या देयताओं के विशिष्ट लक्षणों का ध्यान रखा जाता है।
कंपनी तुलन पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों या देयताओं को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को प्रचलित परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब वह–
–जब यह मान लिया जाय या सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसे सामान्य परिचालन चक्र में बेचा
या उपभोग किया जाएगा।
–यदि परिसंपत्ति को समायोजित करने के लिए परिवर्तन या उपयोग में लाने के लिए प्रस्तुत अवधि
के बारह महीने के बाद नगद या नगद के समतुल्य प्रतिबंधित हो।
–अन्य सभी परिसंपत्तियाँ अप्रचलित श्रेणी में वर्गीकृत की गई है।

,d n; rk ipfyr g tc&

–यह उम्मीद की जाय कि वह सामान्य परिचालन चक्र में समायोजित किया जाएगा उसे प्रस्तुत –अवधि के बाद बारह महीने के भीतर समायोजित करना अपेक्षित है।
–या ऐसा कोई निःशर्त अधिकार नहीं है जो प्रस्तुत अवधि के कम से कम बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति के समायोजन से भिन्न हो।
कंपनी अन्य सभी देयताओं को अप्रचलित श्रेणी में वर्गीकृत करती है। कर में विभिन्नता वाले परिसंपत्तियों और देयताओं को अप्रचलित परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणी में वगीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र प्रौद्योगिकी के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नगद या नगद के समतुल्य स्वीकृति के बीच का समय है। कंपनी परिसंपत्तियों के परिचालन चक्र का बारह महीने तक पहचान करती है।

4-2 iDdyu dk mi;kx vkj foopukRed fu.k;

आईएनडी एएस के अनुरूप लेखा निर्माण के लिए प्राक्कलन, प्रबंधन और अनुमान आवश्यक है जो परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रस्तुत मात्रा को प्रभावित करे, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं का लेखा तिथि और आय–व्यय की प्रस्तुत मात्रा का उस अवधि के दौरान खुलासा किया जाता है।

वास्तविक नतीजे उस प्राक्कलन, विवेचनात्मक निर्णय और प्राक्कलन के स्त्रोतों या कंपनी लेखा नीतियों को लागू करने की अनिश्चितता, संपत्ति से संबंध, संयंत्र एवं उपकरण, प्रचलित परिसंपत्ति प्रावधान, कर विभिन्नता, सेवानिवृत्ति लाभ के कारण से भिन्न हो सकता है। इन सभी कारकों को निरंतर पुनरीक्षित किया जाता है। पुनरीक्षित लेखा प्राक्कलन उस अवधि तथा भविष्य की प्रभावित अवधि में मान्य है।

4-3 lifÙk] l;a= vkj midj.k

संपत्ति का एक अंश, संयंत्र और उपकरण एक परिसंपत्ति के रूप में मान्य है यदि यह संभावित हो कि भविष्य में इस परिसंपत्ति के अंश से कंपनी को आर्थिक लाभ होगा और इसकी वास्तविक कीमत आँकी जा सकती है। यह मान्यता का सिद्धांत संपत्ति के एक अंश, संयंत्र और उपकरण तथा उसके किसी भाग को बदलने या मरम्मत के लिए किए गए खर्च को जोड़कर अधिग्रहित करते समय के प्रारंभिक मूल्य पर लागू होता है। अन्य सभी मरम्मत एवं रख–रखाव का खर्च, नियमित कार्य पर किए गए खर्च को जोड़कर लाभ–हानि पत्रक में मान्यता दी जाती है। किसी एक हिस्सा के स्थानापन्न की जरूरत होने पर विस्थापित हिस्से की राशि अमान्य हो जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जीर्ण होने पर संचित ह्रास और क्षति को कम किया जाता है। सभी प्रत्यक्ष मूल्य में परिसंपत्तियों को कार्यावस्था में लाने और उसके अभीष्ट उपयोग के लिए स्थापन पर किए गए खर्च शामिल हैं।
किसी एक परिसंपत्ति के निष्कासन होने पर होने वाले लाभ या हानि को बिक्री की आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है, और लाभ–हानि पत्रक में मान्यता दी जी है।

संपत्ति के अंतर्गत, संयंत्र और उपकरण तथा अनुपयोगी संयंत्र और कल पुर्जे शामिल हैं, जो जीर्ण हो चुका है, जिन्हें उनके उपयोगी जीवन और अनुमानित स्क्रैप मान से हटा दिया गया है का प्राक्कलित मूल्यांकन कर बिना मूल्य के नष्ट कर दिया जाता है।

एक वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन और रु. 25.00 लाख या अधिक प्रत्येक मामले में, उपयोग के लिए लाभ उठाने के रूप में संबंधित प्रमुखों के तहत पूंजीकृत होते हैं।

पूंजीगत कार्य की प्रगति के मूल्यांकन में उपकरण परिवर्तन और स्थापित परिसंपत्तियों की कीमत सम्मिलित हैं जो अभीष्ट उपयोग के लिए सूचित तिथि पर तैयार नहीं हैं।

''परिसंपत्तियाँ जो संघटित रूप में विक्रय के लिए वर्गीकृत है'' ''अप्रचलित परिसंपत्तियों'' के अंतर्गत है यदि उसका वहन मूल्य सैद्धान्तिक रूप से विक्रय लेन–देन के द्वारा वापस प्राप्त होता है, इसके बजाय कि निरंतर उपयोग और विक्रय की उच्च्य संभावना के द्वारा विचार किया गया हो। ये उसके वहन मूल्य और उचित मूल्य से कम राशि पर विक्रय किया गया हो। ऐसी संपत्ति को छोड़कर जो भिन्न कर संपत्ति हो, परिसंपत्तियाँ जो कर्मचारियों के लाभ के लिए हो, वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो आवश्यकता से विशेष रूप से मुक्त हो। आगे जहाँ प्रबंधन को उम्मीद हो कि कथित परिसंपत्तियों का कोई भी भाग जिसे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर निकाले जाने का विचार किया जा रहा हो। ये सभी प्रचलित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं।

''परिसंपत्तियाँ जो संघटित रूप में विक्रय के लिए वर्गीकृत हैं'' को ''अप्रचलित परिसंपत्ति के अंतर्गत उसके कुल लिखित देय मूल्य जब तक ये परिसंपत्तियाँ सामान्य परिचालन से स्वतः सेवामुक्त हो जाता है और इसे केवल विक्रय/नीलामी के लिए रखा जाता है।

''परिसंपत्तियाँ जो संघटित रूप में विक्रय के लिए वर्गीकृत है'' को तुलन पत्र में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है। देयताएँ जो संघटित रूप में विक्रय के लिए वर्गीकृत हैं, को तुलन पत्र में अन्य देयताओं से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

4-4 vi R;{k ifjlEifÙk;k

अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ जो सावधि जीवंत उपयोगी है, को एकत्रित देय राशियों का परिशोधन और एकत्रित देय राशियों का परिशोधन और एकत्रित क्षति को रोकने के लिए कम मूल्य पर अधिग्रहितकिया जाता है। देय राशियों का परिशोधन सीधे तौर पर उसकी जीवंतता और उपयोगिता के आधार पर प्राक्कलित किया जाता है, मान्य है। प्राक्कलित उपयोगी जीवंतता देय राशियों की परिशोधन विधि प्राक्कलन में किसी परिवर्तन के प्रभाव से भावी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रस्तुति काल के अंत में पुनरीक्षित किया जाता है।

एक अमूर्त संपत्ति निपटान पर डी–मान्यता प्राप्त है, या जब कोई भविष्य के आर्थिक लाभ उपयोग या निपटान से अपेक्षित नहीं हैं। इसके अलावा, प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त संपत्ति शून्य उपयोग लागत अपने जीवन के अंत में यानी शून्य अवशिष्ट मूल्य पर चल रही है।

4-5 eY;gkl vkj ifj'kks/ku

मूल्यह्रास या परिशोधन सीधे तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अन्य अप्रत्यक्ष सम्पत्तियों को अवशिष्ट मूल्य पर नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये शुल्क परिसंपत्तियों के अभीष्ट उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से प्रारंभ होता है और क्रय–विक्रय दरों का अंतर उपयोगी आर्थिक जीवंतता के आधार पर होता है। परिसंपत्तियों के प्रक्कलित उपयोगी जीवंतता

और और अवशिष्ट मूल्य को नियमित रूप से जब भी पुनरीक्षण की आवश्यकता होती है पुनरीक्षित किया जाता है। पूर्णतः लिखित लेकिन अब तक उपयोग किए जानेवाले परिसंपत्तियों के लिए आगे कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियाँ अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार है। तथापि निम्न वर्गों की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास ज्ञात किया जाता है और तकनीकी रूप से उपयोग के लिए आयु के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित एवं निदेशक मण्डल द्वारा प्रमाणित जी नीचे दर्शाया गया है, कीमत लगाई जाती है –

संयंत्र और मशीनें जो गरम धातुमल के उपयोग के लिए चलाया जाता है	5 वर्ष
डोजर	7 वर्ष
उत्खनक 1.2 से 5 क्यूबिकमीटर	7 वर्ष
क्रेन्स	15 वर्ष
चुंबकीय विभाजक	15 वर्ष
''संयंत्र और मशीन'' के अंतर्गत अन्य सभी परिसंत्तियाँ ऊपर दर्शाया परिसंपत्तियों को छोड़कर	9.19 वर्ष
सौर संयंत्र	10 वर्ष
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो वर्गीकृत और अप्रत्यक्ष है	6 वर्ष बिना किसी अवशिष्ट मूल्य के

रू. 4999/– तक की लागत वाली संपत्ति साल में पूरी तरह से कम हो जाती है जिसमें उन्हें उपयोग किया जाता है।

4-6 ifjlifÙk;k dh {kfr

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर कंपनी अपनी संपत्ति के प्रचलित राशि का पुनरीक्षण करती है। संयंत्र और उपकरण के बारे में यह ज्ञात किया जाता है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों की प्रचलित राशि को निरंतर उपयोग के कारण पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है तो परिसंपत्तियों से पुनःप्राप्त राशि का उसकी क्षति के क्रम में पुनरीक्षण किया जाता है (यदि कोई है) जहाँ परिसंपत्तियाँ नगद प्रवाह नहीं कर पाती है, जो अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र है, कंपनी नगद प्राप्य करने वाली इकाई से उस राशि को पुनर्प्राप्त करती है जहाँ से परिसंपत्तियाँ संबंधित है।

प्राप्य राशि, विक्रय के किए वास्तविक मूल्य से अधिक है और कम कीमत उपयोग में है। उपयोगी मूल्य की गणना करते समय प्राक्कलित भावी नगद प्रवाह को उसके वर्तमान मूल्य में पूर्व कर छूट दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार की गणना में धन के सामयिक महत्व को दर्शाता है और उन परिसंपत्तियों का विशिष्ट जोखिम उठाता है जिसके भावी नगद प्रवाह को समायोजित नहीं किया गया था। खराबी से होने वाली क्षति को लाभ–हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है जब भी किसी परिसंपत्ति का प्रचलन मूल्य उसके प्राप्य राशि से अधिक हो।

यदि खराबी से होने वाली क्षति इसके बाद उलटती है, तो परिसंपत्तियों के प्रचलित मूल्य(नगद देने वाली इकाई) को उसके प्राप्य मूल्य से पुनरीक्षित प्राक्कलन में बढ़ाया जाता है जिससे कि बढ़ी हुई प्रचलित मूल्य उस प्रचलित मूल्य से अधिक न हो जिस परिसंपत्ति को खराबी के कारण न होने वाली क्षति के रूप (नगद देने वाली इकाई) में पूर्व वर्षों में मान्यता दी जा चुकी है। खराबी से होने वाली क्षति में बदलाव को तुरंत लाभ–हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है।

4-7 foÙkh; midj.k leg

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ मान्य है जब कंपनी उपकरणों के संविदात्मक शर्त के अनुसार एक पार्टी हो जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक तौर पर उसके वास्तविक मूल्य पर आँकी जाती है। लेन–देन मूल्य जिसका सीधे तौर पर कारण निश्चित किया जाता है और अधिग्रहित किया जाता है या वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ जारी की जाती है (वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की लाभ–हानि के द्वारा प्रारम्भिक तौर पर उसके वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त) या उसके वास्तविक मूल्य से जोड़ा या घटाया जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के प्रारंभिक मान्यता पर आधारित है। लेन–देन मूल्य जिसका सीधे तौर पर कारण निश्चित किया गया है और अधिग्रहित किया गया है जो उसके वास्तविक मूल्य पर आधारित है को लाभ–हानि विवरणी में तुरंत मान्यता दी जाती है।

iHkkoh C;kt fof/k

प्रभावी ब्याज विधि वित्तीय उपकरणों के परिशोधन मूल्य की गणना करती है और संबंधित समय के लिए ब्याज, आय और व्यय का आबंटन करती है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो भावी नगद प्राप्तियों और भुगतान में वित्तीय उपकरणों की वांछित जीवंतता के द्वारा या जहाँ, उचित हो, कम समय में वास्तविक छूट देता है।

¼v½ foÙkh; ifjlifÙk;k

ifj'kks/ku eY; ij foÙkh; ifjlifÙk;k

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर आँका जाता है यदि ये परिसंपत्तियाँ व्यापार मॉडल के अंतर्गत रखे गए हैं जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगद प्रवाह और संविदात्मक अवधि के क्रम में संग्रह करना है जो नगदी प्रवाह पर निर्दिष्ट तिथियों पर बढ़ोत्तरी के लिए जो बकाया मूलधन के मूलधन पर या मूलधन और ब्याज का पूरी तरह से भुगतान कर रहें हैं।

mfpr eY; ij ekih xbZ ifjlifÙk;k

वित्तीय परिसंपत्तियों को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये संपत्तियाँ कारोबारी मॉडल में होती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नगदी प्रवाह एकत्र करने या वित्तीय संपत्ति के संविदात्मक शर्तों को देने के लिए उन सम्पत्तियों को निर्दिष्ट तिथियों पर रखना है, जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति परिमाणीकृत लागत पर या व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है।

foÙkh; ifjlifÙk;k dh {kfr

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए हानि भत्ता अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय आस्तियों के लिए मान्यता प्राप्त है।

अपेक्षित जीवन समय के बराबर हानि भत्ते क्रेडिट घाटे को पहचाना जाता है यदि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधनों पर क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है। वित्तीय साधनों के लिए जिनके क्रेडिट जोखिम में प्रारंभिक मान्यता से काफी वृद्धि नहीं हुई है, बारह महीनों के बराबर हानि भत्ता की अपेक्षा क्रेडिट घाटे को मान्यता दी गई है।

foÙkh; ifjlifÙk;k dk mUewyu

कंपनी ने वित्तीय संपत्तियों को केवल तब मान्यता दी जब परिसंपत्ति की समाप्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार, या वह वित्तीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण करता है और परिसंपत्ति के स्वामित्व को अन्य संस्था के लिए जोखिम और पुरस्कार प्रदान करता है। अगर कंपनी स्थानांतरित परिसंपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए न तो हस्तांतरण करती है और ना ही स्वामित्व और धन के सभी जोखिमों और प्रतिफल को बरकरार रखती है, तो कंपनी संपत्ति में अपनी ब्याज को पहचानती है और उस राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि कंपनी को हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा जाता है, तो कंपनी का योगदान वित्तीय संपत्ति को पहचानने के लिए प्राप्त आय के एक संपार्शिवक उधार को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

¼c½ foÙkh; nkf;Ro vkSj bfDoVh midj.k

_.k ;k bfDoVh ds :i esa oxhZdj.k

वित्तीय देनदारियों और कंपनी द्वारा जारी इक्विटी उपकरण को अनुबंधित व्यवस्था में शामिल किए पदार्थों और एक वित्तीय देनदारी और एक इक्विटी उपकरण की परिभाषा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

bfDoVh midj.k

एक इक्विटी उपकरण किसी भी अनुबंध का है जो कंपनी की परिसंपत्तियों में अपने सभी देनदारियों को घटाकर अवशिष्ट हितों का उपयोग करता है। प्राप्त इक्विटी उपकरण पर सीधे प्रत्यक्ष मुद्दे लागत का शुद्ध लाभ दर्ज किए जाते हैं।

foÙkh; mÙkjnkf;Ro

व्यापार और अन्य देनदारियां लेनदेन लागतों के उचित मूल्य पर सटीक रूप से मिलती है और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

foÙkh; mÙkjnkf;Roksa dk mUewyu

कंपनी वित्तीय देनदारियों को मान्यता नहीं देती है, जब कंपनी के दायित्वों को छुट्टी दे दी जाती है रद्द कर दी जाती है या वो समाप्त हो जाती है।

4-8 bUoasVªh

गैर चलित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं मूल्य या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम है मापी जाती है। लागत में खरीद लागत और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं लेकिन ऐसे सामानों पर उत्पाद शुल्क, सामान और सेवा कर शामिल नहीं है जहां कंपनी ने जीएसटी नियमों के तहत सेनवैट क्रेडिट नियम 3(1) 2004 के अनुसार सेनवैट क्रेडिट लेने के लिए पात्र हैं।

तीन साल से अधिक समय तक स्थानांतरित नहीं किए जाने वाले वस्तुओं को गैर–चलित वस्तुएँ माना जाता है। गैर चलित वस्तुएं वर्ष 2001–2002 से प्रति वर्ष दस प्रतिशत की लागत से कम लागत पर मूल्यवान है।

रद्द किए गए/अनावश्यक भंडार वस्तुओं की लागत या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जो भी कम हो, मूल्यवान है।

4-9 m/kkj ykxr

कार्यशील पूंजी पर उधार लेने की लागत उस वर्ष के लिए लाभ/हानि के लिखाफ लगाई जाती है जिसमें यह खर्च किया जाता है। उधार लेने की लागत सीधे योग्यता परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है, जो कि संपत्ति है, जो जरूरी है कि उनके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लगता है, उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि संपत्ति उनके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है।

विशिष्ट उधारी के अस्थायी निवेश पर अर्जित अन्य आय, योग्यता परिसंपत्तियों पर अपने व्यय को लंबित करती है, उधार लेने की लागत से पूंजीकरण के लिए पात्र होती है।

अन्य सभी उधार लेने की लागत उन अवधि में लाभ या हानि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

4-10 de|pkjh ykHk

¼v½ vYi dkfyd nkf;Ro

मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं, गैर मौद्रिक लाभों सहित, जिसे अवधि के अंत के बाद पूरी तरह से निपटाने की उम्मीद की जाती है, जो कर्मचारियों को संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में मान्यता प्राप्त है और फिर देनदारियों का निपटारा करते समय भुगतान की जाने वाली रकम के बारे में मापा जाता है। देनदारियों को प्रचलित कर्मचारी लाभ दायित्व के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

¼c½ vU; nh?k|dkfyd de|pkjh ykHk nkf;Ro

अर्जित अवकाश और अस्वस्थता अवकाश के लिए देयताएँ उस अवधि के अंत में जिसमें कर्मचारियों ने अपनी संबंधित सेवाएँ दी है पूर्णतः बारह महीने के भीतर समायोजित करने की उम्मीद नहीं की जाती, इसलिए इससे वर्तमान मूल्य के रूप में कर्मचारियों द्वारा सेवा देने के कारण प्रस्तुत अवधि के अंत में प्रायोजित इकाई क्रेडिट विधि से भावी भुगतान की उम्मीद की जाती है।

निःशक्त कर्मचारी/दिवंगत कर्मचारियों के कानूनन उत्तराधिकारी से संबंधित भावी भुगतान कर्माचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत जो वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित होता है, प्रायोजित इकाई क्रेडिट विधि से की जाती है।

बाजार प्राप्ति का उपयोग करते हुए प्रस्तुत अवधि के अंत में लाभ में कटौती की जाती है जो कि संबंधित दायित्व से अनुमानित होता है। अनुभव समायोजन और वास्तविक पूर्वानुमान में परिवर्तन को लाभ–हानि पत्रक में मान्यता दी जाती है।

¼l½ mÙkj jkstxkj nkf;Ro

कंपनी निम्नलिखित उत्तर रोजगार स्कीम चलाती है।

(अ) परिभाषित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी, उत्तर रोजगार चिकित्सा योजना, अंशदायी उत्तर सेवानिवृति चिकित्सा योजना और

(ब) भविष्य निधि के रूप में परिभाषित अंशदान योजना।

xzP;qVh nkf;Ro

ग्रेच्युटी योजना के संदर्भ में परिभाशित लाभ का वर्तमान मूल्य प्रस्तुति अवधि के अंत में योजनाकृत परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य से कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक वर्ष लिपिक द्वारा प्रायोजित इकाई क्रेडिट विधि से की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्राक्कलित भावी नगद अप्रवाह बाजार प्राप्तियों के संदर्भ में प्रस्तुति अवधि के अंत में छूट देते हुए सरकारी अनुबंध पर जो संबंधित दायित्व के लगभग होता है, निकाला जाता है।

कुल ब्याज मूल्य की गणना, कुल बचत के परिभाषित लाभ दायित्व और योजना परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य से रियासत दर द्वारा की जाती है। यह कीमत कर्मचारी लाभ खर्च में लाभ–हानि पत्रक में सम्मिलित किया जाता है।

मुनाफा और नुकसान का पुनर्मापन अनुभव, समायोजन और बीमांकिक पूर्वानुमान में परिवर्तन से सामने आता है, मान्य है जो उस समय में सीधे तौर पर व्यापक आय के क्रम में उत्पन्न होता है। ये रोके गए उपार्जन शेयरों में परिवर्तन पत्रक और तुलन पत्र में जोड़ा जाता है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन संशोधनों और कॉट–छाँट से उत्पन्न परिणाम लाभ–हानि पत्रक में उत्तर–सेवा खर्च के रूप में तुरंत मान्य है।

mÙkj&jkstxkj fpfdRlk nkf;Ro

कंपनी अपने सेवानिवृत कर्मचारियों को उत्तर सेवानिवृत स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करती है। इस सेवा का लाभ प्रायः उन कर्मचारियों पर सशर्त लागू होती है जो सेवानिवृत समय तक सेवा में है और जिन्होंने न्यूनतम सेवा समय पूरी की है। इस सेवा का अपेक्षित लाभ रोजगार समय से अधिक जैसा कि परिभाषित लाभ योजना के लिए किया जाता है वही लेखा विधि का उपयोग करते हुए दिया जाता है। मुनाफा और नुकसान का पुनर्मापन अनुभव, समायोजन और बीमांकिक पूर्वानुमान में परिवर्तन या उस समय में जिस समय ये अन्य व्यापक आये आकलित है सामने आए हैं।

ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk,a

कंपनी भविष्य निधि का भुगतान उस ट्रस्ट के माध्यम से करती है जो आयकर ऑथोरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस अंशदान से राजस्व आवेशित करती है। अंशदान की गणना परिभाषित अंशदान योजना और अंशदान जो मान्यता प्राप्त है तथा कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में दिया जाता है जब ये देय हो। पेंशनर लाभ, कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम 1995 द्वारा सुरक्षित है।

4-11 jktLo ekU;rk

राजस्व उन राशियों के लिए मान्य है जहाँ कंपनी अपेक्षा करती है कि ग्राहकों से वचनबद्ध सामानों और सेवाओं के विनिमय के लिए अधिकृत है, उन राशियों को छोड़कर जो विक्रय कर के रूप में तीसरी पार्टी से प्राप्त होती है यानि विक्रय कर। ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व मान्यता प्राप्त है, जब कंपनी वादा किए गए सामानों और सेवाओं के नियंत्रण के माध्यम से अनुबंध पहचान की गई प्रदेर्शन की जिम्मेदारी को संतुष्ट करती है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्य और उचित आधार पर मान्यता प्राप्त विचार के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
(क) आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों पर तरल नुकसान।
(ख) आयकर की वापसी पर ब्याज।

ब्याज आय प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके एक आकस्मिक आधार पर रिपोर्ट की जाती है।

4-12 lsok izHkkj

सेवा शुल्क स्क्रैप और अन्य वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करते हैं, भंडार प्रबंधन के लिए संरक्षक सेवाएं और संबंधित स्टील प्लांट और अन्य पार्टीयों के लिए प्रस्तावित दरों पर कंपनी द्वारा की गई परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित सेवा।

ग्राहकों के साथ समझौते के दर पुनरीक्षण खंड के अनुरूप सेवा शुल्क का कोई भी पूर्वव्यापी संशोधन इस तरह के दावों को ग्राहकों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संशोधन के वर्ष में किया जाता है।

जहाँ ग्राहकों के साथ समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, सेवा शुल्क का प्रावधान अनंतिम आधार पर किया जाता है।

4-13 fons'kh eqnzk ysunsu

लेन–देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेनदेन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में लेनदेन किया जाता है।

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेनदेन लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय की दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में संपीड़ित मौद्रिक वस्तुओं को फिर से देखा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरें। उचित मूल्य पर किए गए नो—मॉनेटरी इटेंस को विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है, उचित मूल्य निर्धारित किए जाने की तिथि पर प्रचलित दरों पर फिर से अंकित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापी जाने वाली गैर—मौद्रिक वस्तुओं का पुनःलेन देन नहीं किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले अंतर, और मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवर्तन पर अवधि के लिए लाभ और हानि के बयान में शामिल हैं, विनिमय मूल्य पर गैर—मौद्रिक वस्तुओं पर उचित मूल्य पर किए गए विनिमय मतभेद उत्पन्न होते हैं और लाभ के बयान में शामिल होते हैं गैर—मौद्रिक वस्तुओं के प्रतिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले अंतर को छोड़कर अवधि के लिए नुकसान जिसके संबंध में लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता दी जाती है।

जहाँ भी विदेशी मुद्रा में उतार—चढ़ाव ग्राहकों को उनके साथ समझौते के अनुसार उठाना पड़ता है, विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को कंपनी की पुस्तकों में मान्यता नहीं दी जाती है।

4-14 vk; ij dj

वर्ष के लिए व्यय वर्तमान और स्थगित कर शामिल हैं।
कर, जो वर्तमान देय वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, शुद्ध लाभ, लाभ—हानि विवरणी में दिए गए कर योग्य लाभ के मुकाबले शुद्ध लाभ से अलग है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य है और आगे, उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। जो कर योग्य या कटौती कभी नहीं कर रहे हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारी, कर दर और कानूनों का उपयोग करके की है, जो देश में लागू किए गए हैं, जहां कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक काम करती है।

आस्थगित कर, कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त वित्तीय विवरणों और संबंधित कर आधारों में होने वाली परिसंपत्तियों और देनदाररियों के बीच की मात्रा में देय या वसूली योग्य होने की उम्मीद है, और तुलन पत्र देयता विधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। स्थगित कर देयताएं आम तौर पर सभी करों के लिए मान्यता प्राप्त होती है अस्थायी अंतर इसके विपरीत, कर स्थगित कर संपत्ति केवल उस हद तक मान्यता प्राप्त हुई है कि यह संभव है कि अस्थायी मतभेदों के खिलाफ भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

स्थगित करों की चालान राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्य करने के लिए पर्याप्य कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएं उस हद तक पूरी की जाती है जो वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए करों से संबंधित होती है और मौजूदा कर परिसंपत्तियां सेट करने के लिए कानूनी तौर पर लागू होने योग्य अधिकार है और उस क्षेत्राधिकार में वर्तमान कर देयताएं है।

मौजूदा आस्थगित कर को लाभ और हानि विवरणी में एक व्यय या आय के रूप में पहचाना जाता है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में जमा किए गए या डेबिट किए गए आइटम से संबंधित होते हैं।

4-15 iko/kku] vkdfLed n;rk, vkj vkdfLed ifjlifÙk

देयताएं जो सामग्रियां है और जिनके भविष्य के परिणाम का पर्याप्त रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है उन्हें आकस्मिक माना जाता है और नोटों के जरिए प्रदान नहीं किया जाता है और उनको नोटों के जरिए प्रकट किया जाता है। ये सभी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की जाती है और अंतिम निर्णय के अनुसार मौजूदा प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के रूप में योग्यता के आधार पर संबंधित मामलों का निपटान किया जाता है आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित होने पर इसका खुलासा किया जाता है।

प्रावधान पहचाने जाते है, जहां कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व है या जहां दायित्व की राशि के लिए और पिछले घटनाओं के परिणाम के लिए विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, जिसके लिए यह संभव है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता होगी, इन्हे प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

4-16 fuos'k

एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए आयोजित होने/आयोजित निवेश का दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे लागत पर लगाए गए हैं। दीर्घकालिक निवेश पर लाभ/हानि केवल बिक्री के समय आय/व्यय के रूप में माना जाता है। वर्तमान निवेश को कम लागत और अविश्वसनीय निवेश के आधार पर निर्धरित उचित मूल्य पर कहा गया है।

4-17 lafnX/k MsfcV@vfxze dk izko/kku

दावों और अग्रिमों के खिलाफ प्रावधान किया जाता है, जहां ऐसे दावे/अग्रिम प्रबंधन की राय में संदिग्ध माना जाता है। देनदारियों/प्रावधानों को वापस लिखना प्रबंधन की राय में जरूरी किसी भी दायित्व/प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

4-18 uxnh izokg fooj.kh

नकदी प्रवाह विवरणी इंडेक्स एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिससे वर्ष के लिए लाभ गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव, किसी भी डिफरल या पिछले या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों के संचय के लिए समायोजित किया जाता है या नकद प्रवाह निवेश या वित्तपोषण से जुड़े आय या व्यय का भुगतान और आइटम। नकदी प्रवाह का बयान इंडेक्स एएस 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है। जिससे वर्ष के लिए लाभ गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव, किसी भी डिफरल या पिछले या भविष्य की परिचालन नकदी प्राप्तियों के संचय के लिए समायोजित किया जाता है या नकद प्रवाह निवेश या वित्तपोषण से जुड़े आय या व्यय का भुगतान और आइटम। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग हो गया है। कंपनी सभी को मानती है। आत्यधिक तरल निवेश जो नकद समकक्ष होने के लिए नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं।

4-19 lsxesaV fjiksfVZax

कंपनी भारत में विभिन्न इस्पात संयंत्रों और भेल–हरिद्वार में स्क्रैप रिकवरी से संबद्ध कार्य के कारोबार में लगी हुई है जो कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविध है। स्क्रैप रिकवरी और संबद्ध कार्य के अलावा कंपनी ने संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित सेवा और सेवाओं की सेवा प्रदान की है। हालांकि इंडेक्स एएस(108) यानि ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के पैरा 11 के अनुसार एक बिजनेस सेगमेंट को एक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट के रूप में पहचाना जाना चाहिए यदि बाहरी राजस्व और अंतरंग बिक्री या स्थानान्तरण दोनों की बिक्री सहित इसकी राजस्व 10 प्रतिशत या अधिक है सभी रिपोर्टिंग सेगमेंट के संयुक्त राजस्व, आंतरिक और बाहरी संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित संरक्षक सेवा और सेवा के खिलाफ प्राप्त कुल सेवा शुल्क अर्जित राजस्व का 10 प्रतिशत से कम है, इसलिए पूर्व एक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट का गठन नहीं करता है।

आगे भौगोलिक सेगमेंट के संबंध में, खड़ा होने वाले लेखांकन में परिकल्पना की गई प्राथमिक मानदंड़ों का विवरण निम्नानुसार है :

(क) आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता
(ख) विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ऑपरेशन के बीच संबंध
(ग) परिचालन की निकटता
(ड़) विशेष क्षेत्रों में ऑपरेशन के साथ जुड़े विशेष जोखिम
(च) विनिमय नियंत्रण नियम
(छ) मुद्रा जोखिम को कम करना

चूंकि कंपनी इकाईयों को सेवाएं प्रदान करती है, जो कि एक ही आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अधीन होती है और

इसलिए एक ही परिचालन जोखिम अर्थात मुद्रा नियंत्रण नियमों का आदान–प्रदान, संचालन की निकटता आदि के संबंध में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ऑपरेशनों के बीच संबंध एक–दूसरे से अलग नहीं होते हैं और इसलिए प्रबंधन या कंपनी के लिए कोई प्रासंगिक नहीं है।

4-20 izfr 'k;j vk;

प्रति शेयर आय और प्रति शेयर कम आय की गणना इंडस्ट्रीज एएस 33 के अनुसार की जाती है।
इस अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों के कारण अवधि के लिए टैक्स के बाद लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर बुनियादी कमाई की गणना की जाती है।

प्रति शेयर कम आय की गणना के उद्देश्य के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण अवधि के लिए टैक्स के बाद लाभ सभी मंदीकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

4-21 uxn vkj uxn led{k

तुलन–पत्र में नकद और नकद समतुल्य बैंकों में नकदी, हाथ पर नगदी और तीन महीने या उससे कम की मूल्य परिपक्वता के साथ अल्पकालिन जमा शामिल हैं, जो मूल्य में बदलाव के एक तुच्छ जोखिम के अधीन है।

4-22 'k;j vkj HkkMkj

शेयर पूजीं जारी किए गए शेयरों के नाममात्र मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। फिटर इक्विटी के घटाकों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- परिभाषित लाभ देयता के पुनः माप में जनसांख्यिकीय और वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन और योजना परिसंपत्तियों पर वापसी से बीमांकित लाभ या हानि शामिल है।
- अन्य लेनदेन सीधे अन्य व्यापक आय में दर्ज किए जाते हैं।
- सभी मौजूदा और पूर्व अवधि के दौरान रिटायर्ड कमाई मुनाफे को बनाए रखती है।

4-23 igys o"kZ ls lacaf/kr lek;kstu

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में रू.5.00 लाख से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

5 - lifÙk] l;= vkj midj.k

:- yk[k esa

fooj.k	Hkou	dk;ky; midj.k	l;= ,o midj.k	Quhpj vkj fQDLpj	okgu	dy eri vkfLr;k	çxfr e iath dk dke	iathxr dke lfgr dy eri lifÙk;k çxfr ij
1 अप्रैल 2018 वर्ष की शुरुआत में लागत	307.27	124.61	8814.32	53.24	271.56	9571.00	395.56	9966.56
अतिरिक्त	50.16	27.33	1823.50	7.22	19.94	1928.15	268.61	2196.76
कटौती / समायोजन	0.00	0.33	99.06	0.00	1.29	100.68	392.80	493.48
31 ekp] 2019 rd dh ykxr	357-43	151-61	10538-76	60-46	290-21	11398-47	271-37	11669-84

1 अप्रैल, 2018 वर्ष की शुरुआत में मूल्यह्रास	73.13	63.33	2889.32	13.11	70.28	3109.17	0.00	3109.17
अवधि के लिए शुल्क	22.21	23.99	1252.28	4.93	35.14	1337.95	0.00	1337.95
कटौती / समायोजन	0.00	0.23	37.81	0.00	0.00	38.04	0.00	38.04
31 मार्च, 2019 तक की मूल्यह्रास	95.34	86.49	4103.79	18.04	105.42	4409.08	0.00	4409.08
31 ekp] 2018 rd uV cd oY;w	234-14	61-28	5925-00	40-13	201-28	6461-83	395-56	6857-39
31 ekp] 2019 rd uV cd oY;w	262-09	65-12	6434-97	42-42	184-79	6989-39	271-37	7260-76

6 - vU; verZ vkfLr;k

विवरण	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल अमूर्त आस्तियां	विकास के तहत अमूर्त अस्तियां	विकास के तहत अमूर्त आस्तियां सहित कुल अमूर्त आस्तियां
वर्ष, 1 अप्रैल, 2018 के शुरुआत में लागत	23.55	23.55	29.20	52.75
अतिरिक्त	3.57	3.57	28.00	31.57
कटौती / समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
31 ekp 2019 rd dh ykxr	27-12	27-12	57-20	84-32
वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 के में परिशोधन	9.53	9.53	0.00	9.53
अवधि के लिए शुल्क	6.04	6.04	0.00	6.04
कटौती / समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00

31 ekp] 2019 dk rd ifj'kks/ku	15-57	15-57	0-00	15-57
31 मार्च 2018 तक नेट बुक वैल्यू	14.02	14.02	29.20	43.22
31 मार्च 2019 तक नेट बुक वैल्यू	11-55	11-55	57-20	68-75

7 - çkI; 0;kikj ¼xSj&orZeku½

:- yk[k esa

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp] 2018 rd0;kikj
Lohdkj ;kX;		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	–	44.37
असुरक्षित, माना हुआ संदिग्ध	11.69	
छुटःसंदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	11.69	
;kx	&	44-37

8 - vU; foÙkh; vkfLr;k ¼xSj&orZeku½

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31ekp] 2018 rd
(1) सुरक्षा जमा	23.17	22.84
(2) ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
कर्मचारियों को ऋण	2.09	3.07
(3) अन्य ऋण और अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण	3.60	7.39
;kx	28-86	33-30

9 - vk;dj vkfLr;k

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp] 2018 rd
करों का अग्रिम भुगतान	8,045.46	7,122.30
कम अग्रिम आयकर के लिए प्रावधान	6,718.85	5,344.57
;kx	1]326-61	1]777-73

10- vkLFkfxr dj

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp] 2018 rd
आस्थगित कर (देनदारियां)/आस्तियां		
आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव		
cgh 'ks"k vkSj vpy lEifÙk;ksa dk dj 'ks"k dk chp vUrj ij आस्थगित कर देनदारियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव	(82.94)	(269.02)
vkLFkfxr dj ifjlEifÙk;ksa dk xBu djus okyh oLrqvksa dk dj çHkko	(82.94)	(269.02)
मुआवजा अनुपलब्धता, उपदान और अन्य कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान		

संदिग्ध कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान	882.76	821.93
वृद्धि दावे के खिलाफ विक्रेता को देय दावा के लिए प्रावधान	14.94	14.94
सेवा कर पर ब्याज के लिए प्रावधान	–	81.08
मुआवजे की मांग के लिए प्रावधान	13.28	13.29
vkLFkfxr dj ifjlifÙk;ka dk xBu djuk okyh oLrqvka dk dj çHkko	910-98	931-24
vkLFkfxr dj¼ns;rk,½@ifjlifÙk ¼'kq)½	828-04	662-22

11 - vU; vkfLr;k ¼xSj&orZeku½

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
(1) प्रीपेड लीज भुगतान	0.16	0.23
(2) अन्य ऋण और अग्रिम प्रीपेड खर्च	0.79	0.52
;kx	0-95	0-75

अन्य संपत्तियों का वर्गीकरण :		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	–	–
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.95	0.75
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	–	–

जिस जमीन पर कंपनी का संयंत्र और भवन राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो विजन, दुर्गापुर और डुबरी में स्थित है, वहां न तो फ्रीहोल्ड है और न ही पट्टाबंदी है। कंपनी ने सेवा समझौते के एक हिस्से के रूप में जमीनधारकों से मुफ्त उपयोग का अधिकार हासिल कर लिया है। हालांकि कंपनी ने सेल–बीएसपी से लीजहोल्ड की जमीन 33 साल के पश्चात पट्टे पर ले ली है, जिस पर 29 दिसंबर, 1988 को पंजीकृत कार्यालय भवन का निर्माण किया गया था।

12- buoSVjh

:- yk[k esa

fooj.k		31 ekpZ 2019 rd		31 ekpZ 2018 rd
1 ढीले उपकरणों सहित स्टोर और स्पेयर पार्ट्स		434.23		324.15
2 नॉन–मूविंग इन्वेंट्री का स्टॉक		152.04		162.74
3 अप्रचलित इन्वेंटरी का स्टॉक		25.95		25.95
4 स्टोर और पुर्जों – निपटान का इंतजार		0.14		0.14
5 इन्वेंटरी कमी–लंबित समायोजन		1.19		0.50
6 दूसरी जगह ले जाया जाता सामान		9.82		10.39
7 मुद्रण और स्टेशनरी का स्टॉक		86.71		–
		710-08		523-87
8 de % çko/kku				
(अ) गैर–स्थानांतरित करने वाले शेयरों के लिए	92.41		94.07	
(ब) इन्वेंट्री की कमी के लिए	0.14		0.14	
(स) अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए	14.03	106-58	14.03	108.24
;kx		603-50		415-63

13- çkI; 0;kij ¼orZeku½

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
भुगतान के लिए देय तिथि से 6 महीने से कम अवधि के लिए बकाया प्राप्य व्यापार		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	12,565.83	12,247.46
भुगतान के लिए देय तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है		
घटावें : संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	2,406.33	1,684.59
;kx	14]972-16	13]932-05

14 - udn vkSj cSad 'ks"k

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
udn vkSj udn lerqY;		
1 हाथ में नकद	0.62	2.48
2 बैंकों के साथ शेष		
चालू खाता में	18.76	9.95
;kx	19-38	12-43

15 - vU; cSad 'ks"k

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
जमा खाता में		
परिपक्वता तक 12 महीने	7,747.69	4,884.09
12 महीनों से अधिक के साथ परिवक्वता' ,	2 160.00	4,950.00
;kx	9]907-69	9]834-09

उपरोक्त जमाओं में बैंक गारंटी के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ गिरी हुई रु. 2.32 लाख शामिल हैं। (पिछला वर्ष 2017–18 रु. 3,844.09 लाख और 31.03.2018 बैंक गारंटी और ओवरड्राफ्ट सुविधा के खिलाफ भारतीय बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रु. 3,677.69 लाख रुपए की देय)

* उपरोक्त जमा में बैंक गारंटी और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं के साथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक के साथ रु. 2,160.00 लाख रुपए का बकाया शामिल है। (पिछला वर्ष 2017–18 रु. 1980.00 लाख और 31.03.2018 बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक के साथ नील लाख ओवरड्राफ्ट सुविधाएं के खिलाफ)

16 - vU; foÙkh; vkfLr;ka ¼orZeku½

:- yk[k esa

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
1 सुरक्षा जमा–अन्य जमाराशि	0.53	0.88
2 जमा, ऋण और अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
(अ) सावधि जमा	1,134.49	1,190.16
(ब) कर्मचारियों को ऋण	1.07	0.15

3 अन्य ऋण और अग्रिम		
(अ) कर्मचारियों को ऋण	3.49	6.61
(ब) कर्मचारियों को अग्रिम	33.94	36.97
;kx	1]173-52	1]234-77

17 - vU; vkfLr;k ¼orZeku½

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
1 सार्वजनिक निकायों के साथ अग्रिम		
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक शुल्क	542.47	688.87
2 प्रीपेड लीज भुगतान	0.15	0.15
3 अन्य ऋण और अग्रिम		
(अ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	78.74	84.29
(ब) आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को अग्रिम	23.98	51.32
(स) पूर्वदत्त व्यय	188.71	134.22
;kx	834-05	958-85

vU; vkfLr;k dk oxhZdj.k%

सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	78.74	84.29
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	755.31	874.56

18 - fcØh ds fy, vk;ksftr ifjlaifÙk;ksa dks :i esa oxhZÑr

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (1)	307.61	259.21
;kx	307-61	259-21

1 ''बिक्री के लिए आयोजित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति'' को उनके वर्तमान लिखित मूल्य पर वर्तमान संपत्ति के तहत वर्गीकृत किया गया है क्यों कि इन परिसंपत्तियों को सामान्य जारी परिचालनों सं पहले से ही सेवानिवृत किया गया है और केवल बिक्री नीलामी के लिए आयोजित किया गया है। इसके अलावा, जहां प्रबंधन को उम्मीद है कि उक्त परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से की शेष राशि को एक वर्ष के भीतर निपटाया जाएगाधलिखा जाएगा, वही वर्तमान संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19 - 'ks;j iwath

:- yk[k esa

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ 2018 rd
अधिकृत रु.10/– प्रत्येक के 5,00,00,000 सामान्य शेयर	5,000	5,000.00
	5]000	5]000-00

जारी किया गया

रु.10 / – प्रत्येक के साधारण शेयर 3,20,00,000	3,200	3,200.00
	3]200	3]200-00

सदस्यता लिया और भुगतान किया हुआ

रु.10 / – प्रत्येक के साधारण शेयर 3,20,00,000	3,200	3,200.00
	3]200	3]200-00

कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयरों में केवल एक वर्ग है जिसे रू. 10 / – के सममूल्य वाले इक्विटी शेयरों के रूप में

संदर्भित किया जाता है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक लाभांश के लिए हकदार है और प्रति शेयर एक वोट है। कंपनी घोषित करती है और भारतीय रुपये में लाभांश का भुगतान करती है। लाभांश की मात्रा सभी सीपीएसई पर लागू डीपीई दिशानिर्देश पर आधारित है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारकों को सभी तरजीही मात्रा के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। हालांकि, इस तरह की कोई प्राथमिकता वर्तमान में मौजूद नहीं है वितरण शेयरधारकों द्वारा आयोजित इक्विटी शेयारों की संख्या के अनुपात में होगा।

31,2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतरिम लाभांश राशि का भुगतान किया है, जो कि प्रति इक्विटी शेयर 1.00 रुपये (पेय 2017–2018 रू. 1.90 प्रति इक्विटी शेयर) कुल लाभांश विनियोग राशि 385.78 लाख है, जिसमें शामिल हैं, कॉर्पोरेट लाभांश कर ते 65.78 लाख (पेय2017–18 रू. 731.77 लाख में ते 123.77 लाख का कॉर्पोरेट लाभांश कर शामिल है)

21 / 05 / 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में प्रति शेयर 1.897 रुपये का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। यदि अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का परिणाम 731.82 लाख रुपये के बहिर्वाह के परिणामस्वरुप रुपये के लाभांश वितरण कर से होगा रू. 124.78 लाख ।

19-1- 'k;j iwath

रू. लाख में

	कंपनी के मालिकों के लिए जिम्मेदार इक्विटी शेयर पूंजी–भुगतान किया	
fooj.k	31 ekp]2019 rd	31 ekp]2018 rd
इक्विटी शेयर पूंजी–भुगतान किया	3,200.00	3,200.00

19-2 tkjh fd, x,] vHkhnk vkj iwjh rjg lnHkqxrku fd, x, 'k;j iwath dk lekiu dk fooj.k

fooj.k	इक्विटी शेयर		
	नम्बर	अंकित मूल्य (रू. में)	राशि रू. लाख में
1 अप्रैल, 2018 के रुप में बकाया शेयर	3,20,00,000	10	3,200.00
जोडें :			
जारी शेयर	–	–	–
घटावें :			
शेयरों में कमी	–	–	–
31 मार्च 2019 तक बकाया शेयर	3,20,00,000	10	3,200.00

19-3 i`fr'kr ls vf/kd 'k;j gkfYMax okys 'k;j /kkjdks dk fooj.k

'k;jks dk çdkj	'k;j/kkjd dk uke	'k;jks dk i`fr'kr	j[ks gq, 'k;jks dh l[;k
रूपय 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर 31 मार्च 2019 तक	,e, lVh lh fyfeVM	100	3,20,00,000
रूपय 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर 31 मार्च 2018 तक			3,20,00,000

रू. लाख में

20 - vU; bfDoVh

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ2018 rd
1 iwath HkaMkj	37.36	37.36
2 tujy fjtoZ		
प्रारंभिक शेष	15,389.21	15,389.21
जोडें : अधिशेष से चालू वर्ष का स्थानांतरण	1,400.00	—
घटायें : बोनस शेयर जारी करना	—	—
	16]789-21	15]389-21
3 vf/k'ks"k		
प्रारंभिक शेष	48.34	11.05
जोडें : चालू वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	2,668.83	806.71
अन्य व्यापक आय से उत्पन्न होने वाले परिभाषित लाभ दायित्व के रिमूजरमेंट	(431.29)	(123.50)
घटायें : अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 15–16	—	8.99
घटायें : अंतरिम लाभांश वित्त वर्ष 16–17	322.01	—
घटायें : लाभांश वितरण कर (वित्त वर्ष 15–16–अंतिम)	—	608.00
घटायें : लाभांश वितरण कर (वित्त वर्ष 16–17–अंतरिम)	320.00	—
घटायें : अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 16–17	—	1.83
घटायें : अंतरिम लाभांश वित्त वर्ष 17–18	—	123.78
घटायें : लाभांश वितरण कर (वित्त वर्ष 16–17–अंतिम)	66.19	—
घटायें : लाभांश वितरण कर (वित्त वर्ष 17–18–अंतरिम)	65.78	—
घटायें : जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	1,400.00	—
	15-22	¼48-34½
vU; bfDoVh dk ;ksx ¼1+2+3½	16]841-79	15]378-23

21 - çko/kku ¼xSj&orZeku½

रू. लाख में

fooj.k	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ2018 rd
1 deZpkjh ykHk ds fy, çko/kku		
(v½ ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro		
(i) कर्मचारी परिवार लाभ योजना	554.15	611.77
(ii) ग्रच्युटी	514.45	2,170.17
¼c½ lsokfuofÙk ykHk nkf;Ro		
(i) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	2,344.70	1,792.50
(ii) अंशदायी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	174.87	167.67

(iii) कर्मचारी समझौता लाभ योजना	41.39	35.85
¼l½ vU; deZpkjh ykHk		
(i) अवकाश नकदीकरण लाभ	2,244.08	2,209.19
(ii) लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स	5.52	2.51
2 vU; çko/kku		
दावे के दावे के लिए विक्रेता को देय दावा	–	279.60
;kx	5]879-16	7]269-26

22- m/kkj ¼or̀eku½

fooj.k	31 ekp]2019 rd	31 ekp]2018 rd
सुरक्षित		
कार्यशील पूंजी ऋण		
इंडियन बैंक, भिलाई के साथ ओवरड्राफ्ट	975.30	453.62
;kx	975-30	453-62

* उपरोक्त ऋण बैंकरों के साथ आयोजित कंपनी की सावधि जमा पर प्रतिज्ञा के द्वारा सुरक्षित है।

23- ns; 0;kikj ¼or̀eku½

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
1 आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
(अ) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया	–	–
(ब) अन्य	3,611.58	3,754.53
;kx	3]611-58	3]754-53

24- vU; foÙkh; nsunkfj;k ¼or̀eku½

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
देय कर्मचारी लाभ	1,139.58	1,390.55
अन्य देनदारियों के लिए लेनदार		
सुरक्षा जमा/ईएमडी	1,639.44	1,394.81
;kx	2]779-02	2]785-36

25 - vU; ns;rk,a ¼or̀eku½

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31ekp] 2018 rd
o/kkfud cdk;k		
1. माल और सेवा कर देय	692.88	590.33
2. स्रोत पर कर घटाया और एकत्र किया गया	110.61	272.25
3. भविष्य निधि और पेंशन	171.94	208.03
4. अन्य	1.70	2.14
;kx	977-13	1072-75

26- çko/kku ¼or̀eku½

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(अ)परिभाषित लाभ दायित्व		
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	143.32	155.16

(ब) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व			
(i) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		80.76	56.75
(ii)अंशदायी पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा लाभ		10.20	6.80
(iii) कर्मचारी समझौता लाभ योजना		2.70	3.12
(स) अन्य कर्मचारी लाभ			
(i) अवकाश नकदीकरण लाभ		129.72	141.75
(ii) लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स		1.58	0.92
(iii) वेतन संशोधन		1,664.93	943.02
(iv) गैर–कर्मचारी के लिए देय अतिरिक्त संसाधन उत्पादन योजना		59.23	65.68
(v) प्रदर्शन से संबंधित भुगतान			
2016–17 के लिए	0.00		125.83
2017–18 के लिए	16.95	16.13	
2018–19 के लिए	174.97 191.92	0.00	141.96
(vi) पेंशन योजना		594.06	442.87
2 vU; çko/kku			
अन्य प्रावधान*		169. 68	169.29
; kx		3]048-10	2]127-32

* अन्य प्रावधानों में दुर्घटना के दावे, एम वी आई आदि की मांग में वृद्धि शामिल है।

रू. लाख में

27 - þfcØh dk fy, oxÊ—rþ vkfLr;k¡ @ mi&lHkkvksa dk lkFk n;rk,¡**

fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
fcØh dk fy, vk;kftr ifjlifÙk;k¡ @ mi&lHkkvksa dk lkFk lEcaf/kr n;rk,¡	19-80	24-94
;kx	19-80	24-94

*,p 1 fcMj }kjk tek dh xÃ jkf'k ykfdu fjikfËVx frfFk ij ugÈ yh xÃ ifjlifÙk@mi& vlscyh dk þfcØh dk fy, vk;kftr ifjlifÙk@ mi&vlscyh dk lkFk lEcaf/kroxÊ—r nunkfj;kaþ dk rgr ekuk tkrk gSA

28 - vU; vk;

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
lsokvksa dh fcdzh		
(1) स्क्रैप और अन्य वस्तुओं का प्रसंस्करण	36,482.79	31,709.81
(2) वेयरहाउस प्रबंधन के लिए कस्टोडियन सेवाएं	19.77	230.22
(3) परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित सेवा	17.00	21.10
; kx	36]519-56	31]961-13

29&vU; vk;

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
(1) एफडीआर पर ब्याज आय	784.44	782.35
(2) उप–विधानसभाओं की बिक्री	11.14	–
(3) फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री पर लाभ	4.58	4.92

(4) तरल क्षति और अन्य वसूलियाँ	17.52	20.00
(5) आवश्यक रूप से लिखे गए बैक पर प्रावधान	295.79	1,230.05
(6) विविध आय	208.31	31.35
;kx	1]321-78	2]068-67

30&ifjpkyu [kpZ

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
(1) लांसिंग ट्यूब	44.93	41 02
(2) ऑक्सीजन और एसिटिलीन	268.39	362.53
(3) स्नेहक	147.41	148.81
(4) डीजल और गैसोलीन	3,029.08	2,333.63
(5) स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	1,239.66	1,031.82
(6) जल, विद्युत, ईंधन	149.95	114.49
;kx	4]879-42	4]032-30

31 - deZpkjh ykHk O;;

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
(1) वेतन, मजदूरी और प्रोत्साहन	8,831.96	8,244.14
(2) भविष्य निधि और अन्य निधि में योगदान	1,029.89	2,834.46
(३) कर्मचारी कल्याण खर्च	1,051.11	1,329.74
;kx	10]912-96	12]408-34

32 - foRrh; [kpZ

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
(1)अल्पकालिक उधार पर ब्याज व्यय	86.79	7.35
;kx	86-79	7-35

33 -vU; [kpZ

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
(1) बाहरी एजेंसी / उपकरण किराए के माध्यम से सेवाओं की लागत	13,764.52	12,669.51
(2) परिचालन गतिविधियों के लिए जनशक्ति की भर्ती	766.50	539.55
(3) सुरक्षा सेवाएँ	359.56	352.42
(4) भत्ते सहित यात्रा	125.29	110.86
(5) संरक्षक सेवाओं के लिए व्यय	18.44	174.28
(6) बीमा	82.66	102.23
(7) दरें और कर	39.70	26.88
(8) प्रोफेशनल फास	62.34	23.59
(9) डाक, मुद्रण और लेखन सामग्री	36.17	30.96
(10) टेलीफोन व्यय	17.04	17.56
(11) उन्नति	29.04	13.61
(12) देय दावे का प्रावधान	—	11.00
(13) अचल संपत्तियों की लिखित बिक्री / बिक्री पर नुकसान	0.31	9.14
(14) स्वच्छ भारत उपकर	—	16.07
(15) कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी	66.81	63.48
(16) बैंक प्रभार	1.48	1.62
(17) लीजहोल्ड भूमि किराया व्यय	0.06	0.15
(18) मूल्यांकन सेवाओं के लिए व्यय	4.97	6.20

(19) माल		43.30		67.20
(20) क्रेडिट नोट पर छूट		12.50		–
(21) विदेश यात्रा व्यय		7.46		–
¼22½ ejEer vkj j[kj[kko				
(अ) मशीनरी के लिए मरम्मत	689.62		624.41	
(ब)भवन की मरम्मत	86.60		81.64	
(स)कार्यालय उपकरण के लिए मरम्मत	15.84		14.10	
(द)वाहन के लिए मरम्मत	6.36		6.79	
(ई)रखरखाव अमूर्त संपत्ति	0.03	798.45	0.08	727.02
¼23½ y[kk ijh{kdk vkj ikfjJfedk rFkk depkfj;k }kjk fd;k x;k [kpZ				
(अ) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क, जेब खर्च से आधे वर्ष के लिए सम्मिलित है	1.48			
(ब) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.40		1.40	
(स) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.40		0.40	
(द) प्रमाणन शुल्क	0.50		0.50	
(ई) पॉकेट खर्चों में से	1.55	4.88	1.55	3 .40
¼24½ fofo/k [kpZ		267.39		217.13
;ksx		16]509-23		15]183-86

Qjkse LØei fuxe fyfeVsM

रू. लाख में

34 - ykHk vkj gkfu [kkrs dh fooj.k esa ekU;rk çkIr vk;dj

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
1 चालू वर्ष के संबंध में वर्तमान कर	1,605.94	532.67
2 चालू वर्ष के संबंध में आस्थगित कर	(165.82)	(35.60)
pkyw o"kZ esa ekU;rk çkIr dqy vk;dj [kpZ	1]440-12	497-07

वर्ष के लिए आयकर व्यय लेखांकन लाभ/(हानि) से मेल खा सकता है

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
वर्ष के लिए कर से पहले लाभ	4,108.95	1,303.79
1 आयकर व्यय की गणना 34.944% (2017–18: 34.944%) पर की गई	1,435.83	451.22
2 कर योग्य लाभ का निर्धारण करने में खर्चों का असर नहीं	23.53	25.16
3 आय के प्रभाव से कर पुक्त है	(19.24)	27.06
4 आयकर दर में परिवर्तन के कारण आस्थगित कर पर प्रभाव	–	(6.36)
	1]440-12	497-08

वर्ष 2018–19 और 2017–18 के लिए इस्तेमाल की गई कर की दर ऊपर से सुलह में 30 प्रतिशत की कॉरपोरेट टैक्स दर और भारतीय कर कानून क तहत कर योग्य मुनाफे पर भारत में कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा देय अधिभार है।

35 - vkLFkfxr dj

fooj.k	31 ekpZ 2018 rd	iHkkj@ ¼ØfMV½ o"kZ dsa fy,	31 ekpZ 2019 rd
आस्थगित कर देयताएं			
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अन्य अमूर्त आस्तियां (पुस्तक मूल्य में अंतर)	269.02	(186.08)	82.94
	269.02	(186.08)	82.94
vkLFkfxr dj vkfLr;k			
निर्धारित लाभ दायित्व	821.93	60.83	882.76
संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	14.94	—	14.94
वक्रेता अनुवर्तन दावा के लिए प्रावधान	81.08	(81.08)	—
अन्य	13.29	(0.01)	13.28
	931.24	(20.26)	910.98
'kq) vkLFkfxr dj ¼nkf;Ro½@ lEifÙk	662-22	165-82	828-04

36 - çfr 'ks;j vk;

fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019 :- yk[k esa	fiNyk o"kZ 31-03-2018 :- yk[k esa
कर के बाद लाभ	2,668.83	806.72
शेयरधारकों के लिए लाभ का श्रेय	2,668.83	806.72
मूल ईपीएस के लिए भारित औसत शेयरों की संख्या	320	320
सामान्य शेयरों का नाममात्र मूल्य (रु)	10.00	10.00
प्रति शेयर मूल/पतित आय (प्रति शेयर)	8-34	2-52

37 - deZpkjh ykHk

ifjHkkf"kr ;kxnku ;kstuk,s

1- vodk'k uxnhdj.k

पात्र कर्मचारियों को अलग करने पर यह देय है, 300 दिन (अर्जित अवकाश और आधा वेतन छुट्टी संयुक्त) तक सीमित रहेगी और 300 दिनों की सीमा की गणना के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एचपीएल को नहीं बदला जाएगा। जमा किए गए अर्जित छुट्टी की नकदीकरण को एक कैलेन्डर वर्ष में एक बार 30 दिन तक की अनुमति दी जाती है।मृतक कर्मचारियों के अधिशेष अधिसूचना की मौलिक तारीख तक निर्धारित जमा के बदले मृतक कर्मचारियों, विकलांग कर्मचारियों के लिए मासिक भुगतान।

2- iksLV fjVk;jesaV lsVyesaV cfufQV

यह अपने घोषित गृह नगर में निपटारे के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने पर देय है।

3- nh/kdkfyd lsok iqjLdkj

यह कम से कम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने के लिए और सेवानिवृत्ति पर भी देय है।

4- deZpkjh ifjokj ykHk ;kstuk

मृतक कर्मचारियों के अधिशेष अधिसूचना की मौलिक तारीख तक निर्धारित जमा के बदले मृतक कर्मचारियों, विकलांग कर्मचारियों के लिए मासिक भुगतान।

5- Hkfo"; fuf/k

''मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 12% कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट में योगदान दिया।''

ikfjHkkf"kr ykHk ;kstuk,¡

1- xzP;qVh%

''ग्रैच्युटी पात्र कर्मचारियों के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों की दर से अलग होने पर देय है, जो न्यूनतम 5 वर्ष और 30 वर्ष तक की निरंतर सेवा प्रदान करते हैं। ग्रैच्युटी की गणना एक महीने की मजदूरी की दर से की जाती है, जो पिछले 30 साल से अधिक की सेवा के हर साल पूरा करने के लिए कर्मचारी द्वारा तैयार की जाती है। कर्मचारी को देय अधिकतम ग्रैच्युटी रु. 20 लाख है।

ग्रैच्युटी को भारत के एलआईसी के साथ वित्त पोषित किया जाता है। मार्च 17 तक कंपनी ने एलआईसी द्वारा उठाए गए मांग के आधार पर प्रीमियम के रुप में हर साल प्रीमियम के रुप में योगदान दिया, जो कि प्रीमियम के भुगतान के आधार पर ग्रैच्युटी के रुप में हुआ था। इसके अलावा, कंपनी ने इंडस्ट्रीज के अनुसार 19 के अनुसार ग्रैच्युटी फंड का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।''

2- lsokfuo`fÙk ds ckn fpfdRlk ykHk

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी के लिए एक चिकित्सा लाभ है। यह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के तहत किसी भी अस्पताल में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

3- lsokfuo`fÙk ds ckn fpfdRlk lqfo/kkvksa ¼vkoklh;½ ds fy, va'knk;h ;kstuk:

चिकित्सा सुविधाओं के भुगतान (आवासीय) अलग अधिकारियों के रूप् में, अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं (आवासीय) के लिए अंशदायी योजना में भुगतान।

इस योजनाओं में आम तौर पर कंपनी को निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के रूप में बीमांकिक जोखिमो का सामना करना पडता है।

fuos'k tksf[ke	परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य एक छूट दर का उपयोग करके गणना किया जाता है जो कि सरकारी बाण्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार के संदर्भ से निर्धारित होता है। जब इस तरह के बाण्ड के लिए एक गहरा बाजार है और यदि योजना की संपत्ति पर वापसी इस दर से कम है, तो यह एक योजना घाटे को पैदा करेगा।
C;kt tksf[ke	परिभाषित लाभ योजना की देनदारी सरकारी बाण्डों पर आधारित छूट की दर का उपयोग करती है यदि बाण्ड की पैदावार विफल होती है, तो परिभाषित लाभ योजना उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी।
y,Uxfovh tksf[ke	परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना के प्रतिभागियों की मृत्यु दर का सबसे अच्छा अनुमान है, उनके रोजगार के दौरान और बाद में दोनों के अनुसार गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी।
osru tksf[ke	परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ द्वारा गणना किया जाता है। जैसे, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि योजना की देनदारी बढ़ेगी।

(अ) कंपनी ने परिभाषित योगदान योजनाओं के तहत सालाना(2017–18रू.575.64 लाख) व्यय के लिए लाभ और हानि के विवरण में रू. 1211.51 लाख की राशि को मान्यता दी है।

ykHk ¼;kxnku½	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
	:- yk[k esa	:- yk[k esa
अवकाश नगदीकरण	22.86	180.61
पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट बेनिफिट	5.12	(1.66)
	3.67	(0.59)
लांग टर्म सर्विस अवार्ड	(69.46)	158.86
कर्मचारी परिवार लाभ योजना	613.67	874.29
भविष्य निधि		
dqy	575-86	1]211-51

(ब) कंपनी निम्न सेवानिवृत्ति परिभाषित लाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करती है:

i) फंडेड

अ) ग्रैच्युटी

ii)अनफंडेड

(अ) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना

(ब) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं (आवासीय) के लिए अंशदायी योजना

¼l½ xP;Vh ;kstuk dk fooj.k bl çdkj g¶

fooj.k	lekIr o"k dk fy,	
	31 ekp] 2019	31 ekp] 2018
1. धारणाएं		
अ. छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	7.40%
ब. योजना संपत्ति पर प्रतिवर्ष अनुमानित दर (प्रति वर्ष)	7.10%	7.40%
स. वेतन में वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	गैर–कार्यकारी–प्रथमवर्ष के लिए 10% और उसके बाद 6% कार्यकारी–प्रथम वर्ष 10% और उसके बाद 5%	गैर–कार्यकारी–प्रथमवर्ष के लिए 10% और उसके बाद 6% कार्यकारी–प्रथम वर्ष 10% और उसके बाद 5%

2- **xP;bVh dk rgr ifjHkkf"kr ykHk ;kstukvka dk lca/k ea ykHk vkj gkfu dk LVSMvyku LVsVeaV ea ekU;rk çkIr jkf'k fuEukuqlkj gA**

	lekIr o"k dk fy,	
	31 ekp] 2019	31 ekp] 2018
	लाख में रू	लाख में
अ. वर्तमान सेवा लागत	241.35	1,842.12
ब. सेवा लागत	241.35	1,842.12
स. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज (संपत्ति)	80.29	13.83
n- ih ,aM ,y ea ekU;rk çkIr ykxr	321-64	1]855-95
'k) ifjHkkf"kr ykHk n;rk@ifjlaifÙk ij fjestjesaV		
अ. डीबीओ अनुभव के कारण एक्चुरियल (लाभ)/हानि	80.44	304.69
ब. डीबीओ धारणा परिवर्तनों के कारण एक्चुरियल लाभ/हानि	117.63	31.24
स. अवधि के दौरान होने वाली एक्चुरियल (लाभ)/हानि	198.07	335.93
द. योजना की संपत्ति (अधिक)/छुट दर से कम पर वापसी	(5.26)	(21.71)
ई. ओसीआई में मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/हानि	192.81	314.22
p- ¼vk;½@ykxr vkslhvkbZ ea ekU;rk çkIr	192-81	314-22

3. ''वर्तमान सेवा लागत और वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज व्यय 'कर्मचारी लाभ' में शामिल है लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में 'एक्सपेंस' लाइन आइटम।''

4. शुद्ध परिभाषित लाभ उत्तर दायित्व का पुनर्निर्माण अन्य व्यापक आय में शामिल है।

5¼v½- ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro dk orZeku eY; ea pky fuEukuqlkj g	lekIr o"k dk fy,	
	31 ekp 2019	31 ekp 2018
	:- yk[k ea	:- yk[k ea
(अ) वर्ष की शुरुआत के रूप में दायित्व	6,815.22	4,760.34
(ब) वर्तमान सेवा लागत	241.35	53.50
(स) ब्याज लागत	469.44	313.40
(द) विगत सेवा लागत–योजना संशोधन	–	1,788.62
(ई) वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ और हानि	93.48	31.24
(च) अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि	80.44	304.69
(छ) जनांकिकीय धारणा के कारण एक्टयूरियल लाभ और हानि	24.15	–
(ज) योजना परिसंपत्ति से भुगतान किए गए लाभ	(942.79)	(436.57)
¼>½ ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro dk can djuk	6]781-29	6]815-22

5¼c½- ;ktuk lifÙk;k dh mfpr eY; e pky fuEukulkj g	lekIr o"kZ dh fy,	
	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k e	:- yk[k e
अ. पूर्व अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	4,645.05	4,359.54
ब. योजना संपत्ति पर ब्याज आय	389.15	299.57
स. नियोक्ता योगदान	2,170.17	400.80
द. संपत्ति योजना पर अधिक से अधिक (कम) छूट दर पर वापसी	5.26	21.71
ई. लाभ का भुगतान	(942.79)	(436.57)
p- orZeku vof/k dh vr e lifÙk dk mfpr eY;	6]266-84	4]645-05

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं छूट दर है और अपेक्षित वेतन वृद्धि दर मुद्रास्फीति नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया है रिपोर्टंग के अंत में होने वाली संबंधितमान्यताओं के संभावित रुप से संभावित रुप से संभावित परिवर्तन अवधि, अन्य सभी धारणाओं को लगातार रखते हुए।

NV nj e 1 ifr'kr cnyko dk çHkko	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
of)	: yk[k e	: yk[k e
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	(302.60)	(327.79)
(ii) दायित्व का समापन शेष	6478.69	6,487.43
deh		
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	329.68	358.41
(ii) दायित्व का समापन शेष	7,110.97	7,173.63

osru of) nj e 1 ifr'kr cnyko dk çHkko	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	: yk[k e	: yk[k e
of)	246.67	277.90
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	7,027.96	7,093.12
(ii) दायित्व का समापन शेष		
deh		(287.95)
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	(256.50)	6,527.27
(ii) दायित्व का समापन शेष	6,524.79	

7. ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है लाभ दायित्व के रुप में यह संभव नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा चूंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती है।

8. पिछले वर्षे से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयेग किए जाने वाले तरीकों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

¼n½ iksLV fjVk;jeUV esfMdy csfufQV ;kstuk dk foo.k bl çdkj g ½

foo.k	lekIr o"kZ dh fy,	
	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
1. धारणाऐं		
अ. छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	7.40%
ब. चिकित्सा मुद्रास्फीति (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%

2. सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना के तहत परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में मान्यता दी गई राशि निम्नानुसार है :

	lekIr o"kZ dh fy,	
	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k e	:- yk[k e
i- वर्तमान सेवा लागत	47.78	40.69
ii- सेवा लागत	47.78	40.69
iii- शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर शुद्ध ब्याज / (संपत्ति)	134.00	121.94

vi- ih ,M ,y e eklU;rk çkIr ykxr	181-78	162-63
'k) ifjHkkf"kr ykHk n;rk@ifjlifÙk ij fjetjeV		
v- डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	389.06	84.23
vi- डीबीओ धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	82.27	(137.83)
vii- अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	471.33	(53.60)
viii- योजना की संपत्ति (अधिक से अधिक) /छूट दर से कम पर वापसी	–	–
	471.33	(53.60)
ix- ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि)	–	–
x- शुद्ध संपत्ति पर सीमा के लिए समायोजन		
xi- (आय)/लागत ओसीआई में मान्यता प्राप्त	471-33	¼53-60½

3. वर्तमान सेवा लागत और वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज व्यय कम्र्रचारी लाभ मे ंशामिल है। लाभ और हानि स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में एक्सपेंस लाइन आइटम

4. शुद्ध परिभाषित लाभ उत्तर दायित्व का पुनर्निर्माण अन्य व्यापक आय में शामिल है

5. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में मूवमेंट निम्नानुसार	lekIr o"kZ dss fy,	
	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k esa	:- yk[k esa
(अ) वर्ष की शुरुआत में दायित्व	1,849.25	1,794.27
(ब) वर्तमान सेवा लागत	47.78	40.69
(स) ब्याज लागत	134.00	121.94
(द) वित्तीय मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि	97.79	(137.83)
(ई) एक्चुअरी एडजस्टमेंट से होने वाले एक्चुअरिअल गेन लॉस	389.06	84.23
(च) कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए लाभ	(76.91)	(54.05)
(छ) जनसांख्यिकी धारणा से उत्पन्न होने वाले एक्चुअरिअल लाभ और हानि	(15.52)	
¼t½ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro dk can djuk	2]425-45	1]849-25

6. परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं छूट दर और हैं अनुमानित चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति – नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया है रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं में काफी हद तक संभव बदलाव, जबकि सभी अन्य मान्यताओं को लगातार रखते हुए''।

NwV nj esa 1ifr'kr cnyko dk çHkko of)	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k esa	:- yk[k esa
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	(304.04)	(236.12)
(ii) दायित्व का समापन शेष	2,121.41	1,613.13
deh		
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	374.49	291.35
(ii) दायित्व का समापन शेष	2,799.94	2,140.60

fpfdRlk eqækLQhfr nj esa 1 ifr'kr ifjorZu dk çHkko of)	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k esa	:- yk[k esa
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	378.82	295.64
(ii) दायित्व का समापन शेष	2,804.27	2,144.89
deh		
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	(312.20)	(243.06)
(ii) दायित्व का समापन शेष	2,113.25	1,606.19

7– ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है परिभाषित लाभ दायित्व के रूप में यह संभव नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन के अलगाव में घटित होगाएक दूसरे के रूप में कुछ मान्यताओं सहसंबंधित हो सकता है–

8. पिछले वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

¼b½ ikLV fjVk;jeV fpfdRlk lfo/kkvk ¼?kjyw½ d fy, ;kxnku ;ktuk d fooj.k bl çdkj g %

fooj.k	lekIr o"k d fy,	
	31 ekp] 2019	31 ekp] 2018
/kkj.kk,¡		
अ. छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	7.40%
ब. चिकित्सा मुद्रास्फीति (प्रति वर्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं

2. ग्रैच्युइटी के तहत परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है :	lekIr o"k d fy,	
	31 ekp 2019	31 ekp 2018
	:- yk[k e	:- yk[k e
अ. वर्तमान सेवा लागत	6.60	8.10
ब. सेवा लागत	5.60	8.10
स. शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व पर शुद्ध ब्याज/(संपत्ति)	12.67	15.52
द. (लाभ) का तत्काल मान्यता/हानि–अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ योजना	–	&
b- ih ,M ,y e eY; dh igpku	18-27	23-62
'k) ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro/lifUk ij fjemtjeV %		
अ. डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(10.01)	(60.94)
ब. डीबीओ धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.82	(10.82)
स. अवधि के दौरान होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.19)	(71.76)
द. ओसीआई में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.19)	(71.76)
b- ¼vk;½@ykxr vkl hvkbZ e ekU;rk çkIr	¼1-19½	¼71-76½

3– वर्तमान सेवा लागत और वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज व्यय कर्मचारी में शामिल हैं लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में फायदे ईपेंस लाइन आइटम

4. शुद्ध परिभाषित लाभ उत्तरदायित्व का पुनर्निर्माण अन्य व्यापक आय में शामिल

5. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में आंदोलन इस प्रकार है।	lekIr o"k d fy,	
	31 ekp 2019	31 ekp 2018
	:- yk[k e	:- yk[k e
अ. वर्ष की शुरुआत के रूप में दायित्व	(174.47)	(227.22)
ब. वर्तमान सेवा लागत	(5.60)	(8.10)
स. ब्याज लागत	(12.67)	(15.52)
द. अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि	–	&
इ. कंपनी द्वारा लाभ का सिधे भुगतान	6.48	4.61
च. ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(1.19)	71.76
N- ifjHkkf"kr ykHk nkf;Ro cn djuk	¼185-07½	¼174-47½

6– परिभाषित दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं छूट दर हैऔर अनुमानित चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति – नीचे संवेदनशीलता विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया है रिपोर्टिंग के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के संभावित रूप से संभावित परिवर्तन अवधि, जबकि सभी अन्य मान्यताओं को स्थिर रखने

NV nj e 1 ifr'kr cnyko dk çHkko	31 ekp] 2019	31 ekp] 2018
of)	:- yk[k e	:- yk[k e
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	(19.83)	(18.91)
(ii) दायित्व का समापन शेष	(204.90)	(193.38)
deh		
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	23.85	22.72
(ii) दायित्व का समापन शेष	(161.22)	(151.75)

fpfdRlk eæksLQhfr nj esa 1 ifr'kr cnyko dk çHkko of)	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2018
	:- yk[k esa	:- yk[k esa
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) दायित्व का समापन शेष	–	–
deh		
(i) कुल वर्तमान सेवा और ब्याज लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) दायित्व का समापन शेष	–	–

7. ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है लाभ दायित्व के रूप में यह संभव नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा चूंकि कुछ धारणाएं सहसंबंधित हो सकती हैं–

8. पिछले वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और मान्यताओं में कोइ परिवर्तन नहीं हुआ।

38- foÙkh; lk/kuksa ij çdVhdj.k

यह खंड कंपनी के लिए वित्तीय साधनों के महत्व का एक सिंहावलोकन देता है और बैलेंस शील वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है जिनमें वित्तीय साधन शामिल होते हैं।
मान्यता प्राप्त मानदंड, माप का आधार और जिस आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी गई है, वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयता के प्रत्येक वग्र के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का ब्योरा स्पष्ट रुप से विवरणों के लिए नोट में प्रकट किया गया है।

¼1½ foÙkh; laifÙk vkSj nsunkfj;k

निम्नलिखित सारणी प्रत्येक वर्ष की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा और उचित मूल्य को प्रस्तुत करती है, जैसे वर्ष के अंत में।

foÙkh; laifÙk	31 ekpZ 2019 rd	31 ekpZ] 2018 rd	fVIif.k;k
	#- yk[k esa	#- yk[k esa	
व्यापार प्राप्तियां	14,972.16	13,976.42	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	1,202.38	1,268.07	परिशोधित लागत
नकद और नकद समकक्ष	19.38	12.43	परिशोधित लागत
अन्य बैंक शेष	9,907.69	9,834.09	परिशोधित लागत
dqy foÙkh; ifjlaifÙk;k	26]101-61	25]091-01	

foÙkh; nsunkfj;k			
उधार	975.30	453.62	परिशोधित लागत
देय व्यापार	3,611.58	3,754.53	परिशोधित लागत
अन्य वित्तीय देयताएं	2,779.02	2,785.36	परिशोधित लागत
dqy foÙkh; ns;rk,a	7]365-90	6]993-51	

¼2½iwath çca/ku

कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऋण और इक्विटी बैलेंस के अनुकूलन के माध्यम से शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करने पर चिंता जारी रहेगी।

¼3½foÙkh; tksf[ke çca/ku dk mís';

कंपनी के कारपोरेट ट्रेजरी फंक्शन, व्यापार को सेवाएं प्रदान करता है, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच का समन्वय करता है, कंपनी के संचालन से संबंधित वित्तीय जोखिम का प्रबंधन करता है। इन जोखिमों में मार्केट जोखिम (जैसे– मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम), क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल है नीतियों और जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निरंतर आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समिक्षा की जाती है। कंपनी सट्टा वाले उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

¼4½cktkj tkf[ke

कंपनी की गतिविधियां यह मुख्य रूप से वित्तीय जोखिमों को उजागर करती है जो बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव हो सकती है।

(अ) ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
कंपनी के पास कोई भी ऋण नहीं है, इसलिए यह किसी भी ब्याज जोखिम के दायरे में नहीं है।
(ब) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन
कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा का लेनदेन नहीं है।

¼5½ _.k tkf[ke çca/ku

क्रेडिट जोखिम से जोखिम का उल्लेख होता है कि एक काउंटर पार्टी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वो पर चूक जाएगी जिसके परिणामस्वरुप कंपनी को वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी ने केवल उन्मुख प्रतिपक्षों के साथ काम करने की नीति अपनाई है, जहाँ उपयुक्त हो चूक से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम करने के एक साधन के रुप में। कंपनी केवल ऐसी संस्थानों से लेन देन करती है, जो उपलब्ध एजेंसियों द्वारा रेट किए गए हैं और उपलब्ध नहीं हैं, कंपनी अपने प्रमुख ग्राहकों को रेट करने के लिए सार्वजनिक रुप से उपलब्ध वित्तीय जानकारी और अपने पिछले रिकार्ड का उपयोग करती है। कंपनी के जोखिम और उसके प्रतिपक्षों की क्रेडिट रेटिंग पर नजर रखी जाती है और निष्कर्ष निकाले गए लेन–देन का एकत्रित मूल्य अनुमोदित काउंटर पार्टी में फैलता है। क्रेडिट एक्सपोजर को काउंटर पार्टी की सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो वरिष्ट प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और उन्हे अनुमोदित किया जाता है।

¼6½ rjyrk tkf[ke çca/ku
कंपनी लगातार निगरानी पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह द्वारा पर्याप्त भंडार, बैंकिंग सुविधाएं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखने और वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिवक्वता प्रोफाइल को मिलाकतरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च 2018 तक अनुमानित ब्याज भुगतान सहित वित्तीय देनदारियों की अनुबंधीय परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है।

	31 ekp] 2019 rd				
	वहन राषि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 से 5 बर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
	रू. लाख में	रू. लाख में	:- yk[k e	:- yk[k e	:- yk[k e
देय व्यापार	3,611.58	3,611.58	3,611.58	–	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,779.02	2,779.02	2,779.02	–	–
	6,390.60	6,390.60	6]390-60	–	–

	31 मार्च, 2018 तक				
	वहन राषि	संविदागत नकदी प्रवाह	1 वर्ष से कम	1 से 5 बर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
	:- yk[k e	:- yk[k e	:- yk[k e	:- yk[k e	:- yk[k e
देय व्यापार	3,754.53	3,754.53	3,754.53	–	–
अन्य वित्तीय देयताएं	2,785.36	2,785.36	2,785.36	–	–
	6,539.89	6,539.89	6]539-89	–	–

¼7½ mfpr eY; ekiu

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कुछ कंपनियां वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

39 . संबंधित पक्ष से लेनदेन

रू. लाख में

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2019	पिछला वर्ष 31.03.2018
श्री राजीब भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक		
अल्पावधि लाभ	**43.34**	39.80
पोस्ट रोजगार लाभ	**2.06**	8.61
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**3.23**	1.02
श्री शतदल मित्रा,मुख्य वित्तीय अधिकारी		
अल्पावधि लाभ	**31.92**	30.87
पोस्ट रोजगार लाभ	**1.87**	1.68
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**3.26**	0.01
श्री अशोक मिश्रा कंपनी सचिव		
अल्पावधि लाभ	**14.10**	12.89
पोस्ट रोजगार लाभ	**0.53**	0.33
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**1.09**	0.73
एमएसटीसी लिमिटेड (नियंत्रणी कंपनी)		
एमएसटीसी लिमिटेड संरक्षक सर्विस के लिए गोदाम कि ओर से प्राप्त किया	**19.77**	230.21
भुगतान सेवा शुल्क के खिलाफ नीलामी	**0.64**	0.85

रू. लाख में

40. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

क्रं. सं. ' विवरण	31 मार्च,2019 तक	31मार्च, 2018 तक
(1) आकस्मिक देयताएं		
(अ) कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं		
(**i**) अधिनिर्णय के तहत पूर्व कर्मचारियों और अन्य अधीन के मुआवजे के लिए अनुमान लगाया गया।	**23.61**	23.38
(**ii**) सिविल न्यायाधीश, अलीबाग के पास सिविल वाद के अनुसार मे. आडम्बर इंलीनियरिंग वर्क्स द्वारा डोल्वी इकाई में मरम्मत कार्य	**39.25**	36.51
उप योग	**62.86**	**59.89**

¼c½ lsok dj

(i)	सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित केन्द्रिय उत्पाद, जाजपुर के अधीक्षक की माँग के अनुसार डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर	83.13	79.15
(ii)	बोकारो इकाई में ''यापार पूरक सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रॉची के आयुक्त ने आदेश दिया है, आयुक्त राची तथा सीईएसटीएटी कोलकाता के समक्ष लंबित है	722.11	2,476.53
(iii)	बर्नपुर इकाई में ''व्यापार पूरक सेवाओं ''पर सेवा कर, जैसा कि अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, बोलपुर तथा सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आसनसोल ने आदेश दिया है, आयुक्त (अपील), कोलकाता के समक्ष लंबित है	212.70	253.20
(iv)	भिलाई इकाई में ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रायपुर न आदेश दिया है, सीईएसटीएटी, दिल्ली	315.63	304.59
(v)	डुबंरी इकाई में ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर ने मई 2004 से मार्च 2007 की अवधि के लिए मांग की है, आयुक्त, केन्द्रीय अत्पाद, भुवनेश्वर के समक्ष लंबित है।	445.24	431.39
(vi)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तथा एलॉय संयंत्र में क्रमशः अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 तथा अक्टूबर, 2003 से नवंबर, 2008 की अवधि के लिए ''व्यापार पूरक सेवा'' तथा ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर, सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है	2,821.86	2,732.20
(vii)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में क्रमशः अप्रैल, 2008से मई, 2009 तथा जून, 2009 से सितंबर, 2009 की अवधि के लिए ''व्यापार पूरक सेवा'' तथा ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं' 'पर सेवा कर, सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है	831.48	803.96
(viii)	डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए आयुक्त, भुवनेश्वर ने मांग की है, सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है	231.71	221.47
(ix)	दुर्गापुर इकाई में ''व्यापार पूरक सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, बोलपुर ने अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि के लिए सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष लंबित है	239.72	229.39
(x)	डुबुरी इकाई में ''कार्गो हैण्डलिंग सेवाओं'' पर सेवा कर, जैसा कि अप्रैल, 2007 से मार्च, 2009 की अवधि के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, भुवनेश्वर के पास लंबित है	278.70	268.42
(xi)	अक्टूबर 2010 से मार्च 2015 की अवधि के लिए अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रांची–2 द्वारा मांगे गए अनुसार ऑक्सीजन के मूल्य पर सर्विस टैक्स, सेल, बोकारो को एफएसएनएल द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया।	35.79	33.60

(**xii**) सहायक आयुक्त, सीजीएसटी दुर्गापूर द्वितीय, बोलपुर के लिए अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 तक की अवधि के अनुसार दुर्गापुर यूनिट में "व्यापार सहायक सेवा" पर सेवा कर, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में अपील करने से पहले लंबित।	–	46.29
(**xiii**) डोल्वी इकाई में '''व्यापार सहायता सेवा'' कर पर रायगढ़ अपील आयुक्त से पहले वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2012–13 के लिए मुबई से पहले आयुक्त सेवाकर द्वारा मांग की गई।	103.32	96.65
(**xiv**) आयुक्त केंन्द्रीय जीएसटी और सी एक्स डिवीजन–1, बोकारो यूनिट में डी– एस्केलेषन पर सेवा सेन देनदारी के अतिरिक्त सेनवैट क्रेडिट उपयोग और सेवा कर के समायोजन के अनुसार सर्विस टैक्स।	14.42	–
(**xv**) अप्रैल–2015 से जून–2017 की अवधि के लिए आयुक्त, सीजीएसटी और सीएक्स डिवीजन–आई बोकारो सेल द्वारा एफएसएनएल को मांग के अनुसार आपूर्ति किए गए ऑक्सीजन के मूल्य पर सेवाकर।	13.33	–
mi ;kx	6]349-14	7]976-84

40- vkdfLed n;rk,a vkj çfrc)rk,a

Ø- l-	fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
	¼l½ fcØh dh vkj vU; dj		
1.	ओडिशा बिक्री कर विभाग द्वारा मांग के अनुसार राउरकेला इकाई में बिक्री कर और प्रवेश कर के लिए, बिक्री कर न्यायाधिकरण कटक से पहले लंबित है।	43-56	43.56
2.	पश्चिम बंगाल के बिक्री कर विभाग द्वारा मांग के अनुसार दुर्गापुर में बिक्री कर के लिए, बिक्री कर न्यायाधिकरण कोलकाता से पहले लंबित है।	2-94	2.94
3.	ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राउरकेला (स्टील टाउनशिप), जैसे हैवी उपकरणों पर ऑक्ट्रोई के लिए अधिसूचित क्षेत्र परिषद द्वारा डंपर डोजर आदि।	–	3.24
	mi ;kx	46-50	49.74

Ø- l-	fooj.k	31 ekp] 2019 rd	31 ekp]2018 rd
स. बकाया बैंक गारंटी		14-00	14.00
	mi ;kx	14-00	14-00
	dqy ;kx	6]472-50	8]100-47

¼2½ çfrc)rk,¡

पूजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष ठेके की अनुमानित मात्रा में (शुद्ध अग्रिम)	551-73	435-62

41- l{e y?kq vkSj e/;e m|e

एमएसएमई की वजह से राशि (नोट 23 में बताई गई) इस तरह की उपक्रमों की पहचान की गई है। कंपनी ने आम तौर पर उचित समय में एमएसएमई इकाईयों को भुगतान किया है और ब्याज या अतिदेय भुगतान के लिए पार्टियों से कोई दावा नहीं है। कंपनी मादक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) आर्डर 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है।

42&fons'kh eqnzk esa O;;

Ø-l- fooj.k	pkyw o"kZ 31-03-2019	fiNyk o"kZ 31-03-2018
;k=k O;; dh vkSj	4-24	&
;kx	4-24	&

43&dkjiksjsV lkekftd ftEesnkjh xfrfof/k;ksa ij O;;

(1)कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, वित्त वर्ष 2018 से मार्च 2019 के लिए सीएसआर बजट रू. 66.81 लाख रूपये कि तुलना में 65.00 लाख रूपये खर्च किये है

:- yk[k esa

Ø- l-	fooj.k	31 ekp] 2019 rd Hkqxrku fd;k	31ekp]2019 rd Hkqxrku fd;k tkuk ckdh gS	dqy
	(1) स्थानों पर वॉश बेसिन की आपूर्ति, स्थापना और प्रवर्तन में लाया (1) शा.पू.मा.शाला अंजोरा ढाबा (2) शा.पू.मा.शाला थानौद (3) शा.पू.मा.शाला मुरमुंदा धमधा (4) शा.पू.मा.शाला पिसगाँव (5) शा.पू.मा.शाला आदर्श (के) (6) शा.पू.मा.शाला भोथली, (7) प्राइमरी स्कूल उफरा, पाटन दुर्ग (छत्तीसगढ़) (वित्त वर्ष2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	0-00	3-25	3-25

(2) 3 स्थानों पर वॉश बेसिन की आपूर्ति, स्थापना और प्रवर्तन में लाया गया (1) संजीवनी गर्ल्स हास्टल दुर्ग (2) शासकीय हाई स्कूल मरोदा, दुर्ग (3) शासकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, सेलूद, दुर्ग। (वित्त वर्ष 2018–2019 के लिए निगमित सा. उत्तरदायीत्व बजट के तहत)	0-00	0-59	0-59
(3) रामरूद्र इंटरमीडिएट स्कूल चास बोकारो, में कन्या छात्रों के लए शौचालय ब्लॉक का निर्माण (वित्त वर्ष2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	0-00	7-41	7-41
(4) रामरूद्र इंटरमीडिएट स्कूल चास बोकारो, में बालक के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	0-00	7-41	7-41
(5) जिला परिषद हाई स्कूल, रामबिल्ली मंडल, रामबिल्ली, विशाखापट्टणम में छात्र और छात्राओं के लिए वहनीय प्रकार के टॉयलेट ब्लॉक उपलब्ध कराना। (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	0-00	10-64	10-64
(6) जिला परिषद उच्चतर मा.विद्यालय, थोटागरूवु, विशाखापट्टणम में 1 नग हॉल का निर्माण (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	0-00	19-24	19-24
(7) रामरूद्र इंटरमीटिएट स्कूल, चास, बोकारो में दो क्लास रूम का निर्माण (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर बजट के तहत)	9-68	8-23	17-91
(8) अन्य	0-36	0-00	0-36
;kx	10-04	56-77	66-81

[kyk I;

Qjk LØi fuxe fyfeVM

44. चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम उत्तम हैं वसूली योग्य हैं तथा कारोबार के सामान्य अनुक्रम में वसूले जाने पर लगभग मूल्यों के होंगे जो खातों में दर्शाए गए हैं, जबतक कि अन्यथा किसी परिणाम या सीमा का उल्लेखन किया गया हो। करोबारी देय एवं प्राप्त रकम तथा ऋण एवं अग्रिम समायोजन एवं पुष्टीकरण के अधीन हैं।

45. कम्पनी अपनी अचल सम्पत्तियों के संवहित राशियों की समीक्षा करती है यह मान कर कि कम्पनी पूर्ण रूप से नकद उत्पादक इकाई है ('कैश जेनेरेटिंग यूनिट') (CGU) तदनुसार, कम्पनी ने (CGU होने के नाते) अपनी अचल संपत्तियों के संबंधित राशियों का मिलान भावी नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्यों से किया है जिसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

46. गैर अधिकारी–वर्ग के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण अनुबंध दिनांक 31 दिसंबर 2016 को कालातीत हो गया है। दिनांक 01 जनवरी 2017 से नवीन अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने तक गैर अधिराषी कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के मद में माह जनवरी 2017 से मार्च, 201 9 तक रू. 1,664.93 लाख का प्रावधान किया गया है, साथ ही वर्ष 2018–19 के लिए वेतन पुनरीक्षण के मद में रू. 721.91 लाख के व्यय का अनुमान लगाया व प्रावधान कर लिया गया है।

47. 31 मार्च, 2019 को कंपनी की फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कार्यकारी पेंशन योजना के लिए संचित प्रावधान 594.06 लाख रुपये है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशा निर्देशों के तहत उपरोक्त मद में रू.151.19 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया।

उपरोक्त योजना के तहत प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.10.2014 को कम्पनी की सूची में विद्यमान अधिकारीगण पेंशन हेतु पात्र होंगे एवं अनके सेवान्त परिलब्धियों हेतु मंत्रालय की स्वीकृति की आषा में प्रावधान कर लिए गए हैं।

48. वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने रू. 320.00 लाख के आंतरिक लभांश की घोषणा एवं अंशधारकों को भुगतान की है, जो कि प्रदत्त सामान्य अंश पूंजी का 10.00 प्रतिशत है। रू. 65.78 लाख का लाभांश वितरण (dividend distribution tax)जमा कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017.2018 के लिए अंतिम लाभांश रू. 322.01 लाख रहा जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कर दिया गया तथा लाभांश वितरण कर रू 66.19 लाख जमा कर दिया गया है।

49. हॉट स्लैग हैंडलिंग या अन्यथा में उपयोग किए जाने पर विचार करके प्रबंधन द्वारा उत्खननकर्ताओं के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की गई है। अनुमान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप रुपये की अतिरिक्त मूल्यह्रास 88.33 लाख है जिसका हिसाब दि. 2018–19 के दौरान किया गया है।

50. निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एफएसएनएल और मेसर्स लिंड इंडिया लिमिटेड के बीच समझौते की शर्तें दायर की गईं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को निर्देश के साथ नागरिक अपील का समझौता किया। बस्ती की शर्तों के लिए प्रभाव देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रुपये के प्रावधान को लिखना पड़ता है। वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान कंपनी के खाते की पुस्तकों में 245.28 लाख ।

51. एमएसटीसी लिमिटेड के ग्राहकों को गोदाम प्रबंधन के लिए कस्टोडियन सेवा 01/06/2018 से बंद कर दिया गया है। विगत वर्ष के दौरान कस्टोडियन सेवा प्रदान करने की दिशा में 18.44 लाख रुपये खर्च हुए।

52. ''विक्रय के लिए धारित'' इस मद में वर्गीकृत आस्तियों का उचित मूल्य संवहित मूल्य से अधिक है। इन आस्तियों का विक्रय एक वर्ष चक्र के भीतर होने की सम्भावना है।

53. पिछले वर्षों के आंकड़े विभाजित कर लिए गए हैं तथा आवष्यकतानुसार पुनर्संयोजित कर लिए गए हैं ताकि वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से मेल खा सकें।

वास्ते, लक्ष्मी तृप्ती एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ आर एस क्र. 009189सी

वास्ते एवं निदेशक मण्डल
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ओर से

सी.ए. (एल.एन.अग्रवाल)
साझेदार
सदस्यता क्रमांक– 078427

सही/–
(अशोक मिश्रा)
कंपनी सचिव

सही/–
(शतदल मित्रा)
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा)

सही/–
(भानु कुमार)
निदेशक
डीआईएन:07982360

सही/–
(राजीब भट्टाचार्य)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07091356

सही/–
(बी. बी. सिंह)
अध्यक्ष
डीआईएन:03212787

स्थान: दुर्ग
दिनाँक: 22 मई, 2019

गणतंत्र दिवस 2019
Republic Day 2019

सर्तकता जागरुकता सप्ताह के अवसर पर कार्यशाला
Workshop On the Occassion of Vigilance Awareness Week

राजभाषा कार्यशाला
Rajbhasha Workshop

राजभाषा माह के दौरान आयोजित हिंदी भाषण प्रतियोगिता
Hindi Speech Competition during Rajbhasha month

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवसर पर शपथग्रहण
Oth taking on the occasion of Vigilance Awareness Week